लोक-सभा

वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २८, १९५९/१८८०-८१ (शक)

[२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से १४ चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र १९५९/१८८०-८१(शक)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २८, अंक ३१ से ४०—२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से [१४ चैत्र १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ३१—शुक्रवार, २० मार्च, १९५९/२९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४११, १४१४ से १४१६, १४१८, १४२०, १४२१, १४२५, १४२७ से १४२९ और १४३१ . ३६६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ३६९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१२, १४१३, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२६, १४३० और १४३२ से १४४४ . ३६९५—३७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२५५ . . . ३७०४—३७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३७३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३८

विधेयक पर राय ३७३९

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३७३९

सभा का कार्य ३७३९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३७३९—६५

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३७३९—६५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ३७६५

विधेयक पुरःस्थापित: ३७६६–६७

(१) श्री हेम राज का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ७३ का संशोधन) ३७६६

(२) श्री राम शंकर लाल का वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक, १९५९ . ३७६६

(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ और ४ का संशोधन और नई धारा ७ क और ७ ख का रखा जाना) . . . ३७६६

(४) श्री झूलन सिंह का खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक, १९५९ ३७६६–६७

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

राय जानने की अवधि का बढ़ाया जाना . . ३७६७

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक (वाद-विवाद स्थगित) . . ३७६७—६९

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत . ३७६९—८७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३७८७—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७८९—९५

अंक २३—सोमवार, २३ मार्च, १९५९/२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४५ से १४५०, १४५२ से १४५५, १४५७ से १४५९, १४६१ और १४६४ से १४६९ . . ३७९७—३८२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . ३८२१—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५१, १४५६, १४६०, १४६२, १४६३ और १४७० से १४८३ . . . . ३८२२—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ से २३२० . . . ३८३०—५५

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत की स्थिति . . . . . ३८५६—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र— . . . . ३८५९—६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ३८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार का पुनः आरम्भ किया जाना . . . ३८६०—६१

अनुदानों की मांगें . . . . ३८६१—३९०६

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . . . . ३८६१—३९०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९०७—१२

अंक ३३—गुरुवार, २६ मार्च, १९५९/५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ से १४९१, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०३, १५०५ और १५०६ . . . ३९१३—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ . . . ३९३७—४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४, १४९२, १४९३, १४९५, १५०१, १५०४ और १५०७ से १५१२ . . ३९४१—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२१ से २३८५ और २३८७ . . ३९४५—७५

विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में . . . . ३९७५—७६

सदस्य की रिहाई ३९७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९७७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता–बम्बई मेल की दुर्घटना . . . ३९७८

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३९७९

अनुदानों की मांगें . . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

घरेलू कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य . . . . ४०१३—१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३४३०—३५

अंक ३४—शनिवार, २८ मार्च, १९५९/७ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१३, १५१७, १५१९ से १५२१, १५२५, १५२६, १५२८ से १५३०, १५३२ से १५३६, १०३१ और १५३१ ४०३७—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४०६१—६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५१६, १५१८, १५२२ से १५२४ और १५२७ . . . . . ४०६३—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८८ से २४६४ . . . ४०६७—९६

श्री कला वेंकट राव का निधन ४०९६-९७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४०९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०९८

प्राक्कलन समिति--

चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन . ४०९९

सभा का कार्य ४०९९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०९९—४१३२

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय . . . ४०९९—४१३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ४१३३

सहकारी कृषि के बारे में संकल्प . . . . . ४१३३—५३

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार को जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१५४—५८

अंक ३५--सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५४८, १५४९, १५५२, १५५६, १५५७ और १५५९ . . . . ४१५९—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . ४१८४—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३७, १५४७, १५५०, १५५१, १५५३ से १५५५, १५५६ और १५६० से १५६४. . . . ४१८८—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६५ से २५२३ . . ४१९४—४२१७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४२१७—२३

स्थगन प्रस्ताव ४२२३—२५

(१) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना ; और ४२२३—२५

(२) दिल्ली में आंधी व तूफान आने से बेघरबार हुए परिवारों को सहायता ४२२५

प्राक्कलन समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . ४२२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर गोली वर्षा ४२२६–२७

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ४२२७

अनुदानों की मांगें ४२२७—६२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ४२२७—३५

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय ४२३६—६२

दैनिक संक्षेपिका ४२६३—६७

अंक ३६—मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९/१० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६५ से १५७०, १५७२ से १५७४, १५७६ और १५७८ से १५८५ . . ४२६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ ४२९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७१, १५७५, १५७७ और १५८६ से १५९१ ४२९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२४ से २५६५ ४३९८—४३१६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३१६

प्राक्कलन समिति—

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४३१७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४३१७—५७

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . ४३१७—५२

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . . ४३५३—५७

महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . ४३५७—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४३७४—६७

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, १ अप्रैल, १९५९/११ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ से १५९४, १५९६ से १५९९, १६०१, १६०२, १६०४, १६०६, १६०७ और १६०९ से १६१३ ४३६९—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९५, १६००, १६०३, १६०५ और १६०८ . ४३८९—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५६६ से २५६९, २५७१ से २६३० और २६३२ से २६३६ . . .४३९१—४४१९

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में एक लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४४१९—२६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४२७–२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . ४४२८

प्राक्कलन समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ४४२८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन ४४२८

तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उत्तर की शुद्धि . . . ४४२८

सदस्य को सदन से बाहर चले जाने के लिये दिये गये आदेश का रद्द किया जाना ४४२९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४४२९—८६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४४२९—७८

वैज्ञानिक, गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ४४७९—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४८७—९२

अंक ३८—गुरुवार, २ अप्रैल, १९५९/१२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१४, १६१५, १६१७ से १६२७, १६२९ और १६३१ से १६३७ . . . .४४९३—४५१८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . ४५१८—२०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६२८, १६३० और १६३८ से १६४० ४५२०—२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ से २६७७ ४५२२—३८

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४५३८—४९

पाकिस्तान से बेरुबाड़ी यूनियन और कूच-बिहार बस्तियों की अदला-बदली के बारे में वक्तव्य ४५४९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५४९—५०

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में वक्तव्य ४५५०—५२

अनुदानों की मांगें . . . . ४५५३—८५

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ४५५३—७५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४५७५—८५

चिनाकुरी कोयला-खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ४५८६—४६०१

दैदिक संक्षेपिका ४६०२—०६

अंक ३९—शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९५९/१३ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ से १६४५, १६४८ से १६५०, १६५२, १६५४, १६५५, १६५७, १६५८ और १६६१ से १६६४ ४६०७—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ ४६३२—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६, १६४७, १६५१, १६५३, १६५६, १६५९ और १६६० ४६३४—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६७८ से २७०७ ४६३७—४९

नियम ३७७ के अधीन सूचनायें ४६४९

नियम २२२ के अधीन सूचना ४६५०

दलाई लामा के बारे में वक्तव्य . ४६५०—५२

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६५२

अनुदानों की मांगें . . ४६५२—४७००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६५२—४७००

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन . . ४७००

पत्तन हज समितियां (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित-- ४७०१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव–वापस लिया गया ४७०१—०८

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत ४७०८—२०

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४७२१

दैनिक संक्षेपिका ४७२२—२५

अंक ४०—शनिवार, ४ अप्रैल, १९५९/१४ चैत्र, १८८१ (शक)

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४७२७

लकड़ी के कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका ४७२७

अनुपस्थिति की अनुमति ४७२७–२८

सभा का कार्य . ४७२८

अनुदानों की मांगें ४७२८—८९
परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४७२८—८३
श्रम और रोज़गार मंत्रालय ४७८४—८९

दैनिक संक्षेपिका ४७९०—९१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९

१० चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता

†*१५६५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ अक्तूबर, १९५८ से जेनेवा में प्रारम्भ होने वाले प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के १३वें सत्र की बैठकें अब समाप्त हो गयी हैं ;

(ख) क्या सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) विश्व व्यापार को और अधिक विस्तृत करने के लिये लगे हुये परिमाण संबंधी प्रतिबन्धों को और कम करने तथा हटाने के लिये क्या क्या उपाय स्वीकार किये गये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के १३वें सत्र में उपस्थित भारतीय प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की एक प्रति १६ मार्च, १९५९ को सभा-पटल पर रख दी गयी थी ।

(ग) प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के सदस्य देशों द्वारा अपने आयात और निर्यात पर लगाये गये परिमाण संबंधी प्रतिबन्धों के बारे में संविदाकारी पक्ष निरन्तर विचार कर रहे हैं । प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते की अन्तर्सत्र समितियों में भी अत्यधिक प्रतिबन्धों को कम करने और उसके द्वारा विश्व व्यापार को बढ़ाने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जहां तक भारत का संबंध है, विश्व व्यापार में कितनी वृद्धि होने की आशा है, और यह वृद्धि किस किस देश के साथ होने वाले व्यापार में होगी ?

†**श्री कानूनगो** : इस संबंध में इस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत को निर्यात संबंधी अपनी पहले की स्थिति को स्थिर रखने में ही इतनी कोशिश करनी पड़ रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस निकाय से सम्बन्ध स्थापित करने पर हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है या कि कमी ? अथवा क्या हमारे व्यापार की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है ?

†**श्री कानून गो :** इस प्रश्न का अधिक विस्तारपूर्वक उत्तर देना कठिन है। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है, कि इस समझौते के अभाव में, जिसके सदस्य-देशों में अपने प्रशुल्कों और प्रतिबन्धों में किसी भी प्रकार के भेद भाव को न बरतने का निश्चय किया है, विश्व व्यापार में कमी हो जाती और उसका भारत के व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता।

†**श्री कासलोवाल :** यूरोपीय सामान्य मार्केट के परिणामस्वरूप प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते में हमारी स्थिति पर और हमारे निर्यात व्यापार पर कितना बुरा असर पड़ा है ? बुरे असर को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री कानूनगो :** यूरोपीय सामान्य मार्केट इस वर्ष की १ जनवरी को ही तो बना है। अतः उसका अभी तक तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। परन्तु प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के सदस्य-देशों ने इस समस्या पर भी अब विचार किया है और अन्तर्सत्र समितियां इस संबंध में अच्छी प्रकार से विचार करेंगी कि यूरोपीय सामान्य मार्केट का किस किस वस्तु पर बुरा असर पड़ेगा।

†**श्री तंगामणि :** १३वें सत्र के परिणामस्वरूप इस देश के किन किन वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो :** सत्र में किसी विशेष वस्तुओं के संबंध में अथवा किसी विशेष प्रशुल्क दर के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। १३वें सत्र में तीन समितियां स्थापित की गयी हैं जोकि परिणाम संबंधी प्रतिबन्धों, प्रशुल्कों तथा अन्य बातों पर विचार करेंगी।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुमान लगाया है कि प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी समझौते का सदस्य बनने से विश्व व्यापार के संबंध में भारत को कितना लाभ हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : इसका उत्तर पहले ही मैं दे चुका हूं कि यदि प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी समझौता न होता और सम्बद्ध पार्टियों में संविदा न हुआ होता तो अन्य देशों के साथ साथ भारत को भी प्रतिबन्ध नीतियों के कारण अधिक नुकसान होता।

†**श्री कासलीवाल :** क्या प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी समझौते के १२वें और १३वें सत्र के दौरान सरकार ने किसी भी देश को कोई प्रतिकर दिया था ? यदि हां, तो कितना और किस किस वस्तु के संबंध में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** वह तो निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है । परन्तु १३वें सत्र की चर्चा में भारत सरकार ने कोई भी रियायत नहीं दी है और न ही इस समय किसी रियायत के लिये कहा है ।

डाइकैल्शियम फॉस्फेट

+

†*१५६६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाइकैल्शियम फॉस्फेट के उत्पादन में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) द्वितीत पंचवर्षीय योजना काल में कितना उत्पादन हो जायेगा ; और

(ग) क्या उसका लक्ष्य पूरा हो गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है ।

(ख) वर्तमान क्षमता के अनुसार तो उत्पादन २० टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा ।

(ग) इसके लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस समय देश में इस वस्तु की कितनी मांग है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जैसा कि मैंने बताया है, मुश्किल से २० टन प्रतिवर्ष का उत्पादन है और वह इस समय चीनी उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है । टूथ पेस्ट उद्योग द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले इस प्रकार के कुछ एक रसायनों का आयात करना पड़ता है क्योंकि यहां पर जो डाइ-कैल्यिशम फॉस्फेट तैयार किया जा रहा है, वह दांतों के योग्य नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस कार्य को कोई गैर-सरकारी फर्म भी कर रही है या कि यह केवल सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** एक गैर-सरकारी सार्थ ने यह सुझाव दिया था कि डाइकैल्शियम फॉस्फेट को सुपर फॉस्फेट के स्थान पर उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। परन्तु क्योंकि क्लोरीन का जो कि डाइकैल्शियम फॉस्फेट का एक मुख्य भाग है, और बहुत से लाभदायक कार्यों के लिये प्रयोग हो सकता है, इसलिये इस सुझाव को किसी ने कार्यान्वित नहीं किया है ।

सेठ गोबिन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके संबंध में कुछ चाजें बाहर से भी आती हैं जो कि बहुत कम की हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनका मंगाना भी क्यों बन्द नहीं किया जा सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में टूथ पेस्ट में मिलाने के लिये कुछ डाइकैल्शियम फॉसफेट कैमिकल ग्रेड की आवश्यकता होती है वह इतनी कम है कि उसको बनाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादिता परिषद्

+

†*१५६७. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री केशव :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगवार स्थानीय तथा प्रादेशिक उत्पादिता परिषदें स्थापित करने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भारत के सभी राज्यों में उत्पादिता परिषदें स्थापित हो गयी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अभी तक जो परिषदें स्थापित हो चुकी हैं, उनमें कितने कितने सदस्य हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) बम्बई, कोल्हापुर, मद्रास, कोयम्बटूर, बंगलौर, (मद्रास राज्य) और केरल राज्य में स्थानीय उत्पादिता परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। शीघ्र ही २० और स्थानीय उत्पादिता परिषदें भी स्थापित करने के संबंध में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). अभी पहले तो केवल औद्योगिक केन्द्रों में ही स्थानीय उत्पादिता परिषदें स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। अभी राज्य उत्पादिता परिषदों की स्थापना पर बल देने का हमारा कोई विचार नहीं है।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७**]

†**श्री रा० च० माझी** : इन परिषदों के लिये सदस्यों को किस किस आधार पर चुना जाता है ?

†**श्री मनुभाश शाह** : सदस्यों के बारे में मंजूरी राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् देती है। मोटे तौर पर चुनाव का आधार यह है कि मजदूरों और मालिकों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या कोई उत्पादिता कर्मचारी सर्वेक्षण समिति भी स्थापित की गयी है ? यदि हां, तो उसकी क्या क्या उपपत्ति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार की कोई समिति तो नियुक्त नहीं की गयी है परन्तु इस संबंध में उपाय किये जा रहे हैं। सभा को यह सुन कर खुशी होगी कि देश में औद्योगिक प्रबन्धों तथा उत्पादिता के अन्य विभिन्न कार्यों के लिये आवश्यक बहुत से सांख्यकीय नियंत्रण कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ एक नवयुवकों को उत्पादिता कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिये विदेशों में भेजने के संबंध में भी कार्यवाही कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** जब से ये परिषदें स्थापित हुई हैं, तब से लघु उद्योगों तथा मध्यम उद्योगों में उत्पादिता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसका अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता । उत्पादिता आंदोलन चल रहा है । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, फिर भी आंदोलन का हर स्थान पर अच्छी प्रकार से स्वागत किया गया है । भारत को इस बात का गर्व है कि यहां पर श्रमिकों ने उत्पादिता के सिद्धांत को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या उद्योगवार इस प्रकार की परिषदें स्थापित करने के संबंध में कोई प्रयत्न किया जायेगा और यदि हां, तो कब ? अभी तक केवल चार ही उत्पादिता परिषदें स्थापित हुई हैं । सभी उद्योगों के लिये परिषदें स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यहां पर केवल मात्र विस्तार के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया जा रहा है । हम तो इस आंदोलन को गहन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसा कि मैंने पहले बताया है शीघ्र ही २० स्थानीय उत्पादिता परिषदें स्थापित की जा रही हैं । इस समय तो यही विचार है कि पहले उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाये जहां वे उद्योग चल रहे हैं । फिर उसके बाद राज्य उत्पादिता परिषदें स्थापित की जायेंगी । मैसूर और केरल के राज्यों ने राज्य उत्पादिता परिषदों को स्थापित करना अच्छा समझा है । दोनों परीक्षण साथ ही साथ प्रारम्भ किये जायेंगे और दोनों के परिणाम देखे जायेंगे ।

†**श्री केशव :** मजदूरों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिये क्या उपाय अपनाया गया है ? क्या उनका नाम निर्देशन किया जायेगा अथवा उन्हें श्रमिक संघों द्वारा चुना जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उनके लिये नियमित रूप से चुनाव होते हैं । राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में सभी प्रमुख श्रमिक संघों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और स्थानीय उत्पादिता परिषदों का संविधान बड़े ध्यानपूर्वक बनाया गया है । वास्तविक उद्देश्य यही है कि मजदूरों और मालिकों में सहयोग की भावना उत्पन्न की जाये ताकि उद्योगों की उत्पादिता में वृद्धि हो सके ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या श्रीमान् यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन प्रदेशों के अन्दर प्रोडक्टिविटी कौंसिल कायम नहीं की गई हैं उनमें कायम न करने का मुख्य कारण क्या है, और क्या उन जगहों पर प्रोडक्टिविटी कौंसिल कायम करने का विचार किया जा रहा है ? इस संबंध में क्या आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई सिफारिश की है ?

श्री मनुभाई शाह : स्टेट गवर्नमेंट्स को तो हमने बहुत दफे लिखा है, लेकिन यह कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है कि सिर्फ कौंसिल के सेटअप हो जाने से या ऐसोसिएशन बन जाने से ही वह चलता हो । हमने सारे देश के अन्दर पांच जोन बनाये हैं और उनमें से हर एक जोन के अन्दर पांच, छः प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स एन० पी० सी० की तरफ से रक्खे गये हैं, और हम यह कोशिश करते हैं कि हिन्दुस्तान में और प्रोडक्टिविटी एक्स्पर्ट बढ़ें और हर एक कसर्न उसका फायदा लेकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इन उत्पादिता परिषदों द्वारा कितने दलों को विदेशों में भेजा गया है या भेजने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** एक दल तो भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट भी तैयार है और संभवतः वह रिपोर्ट आज ही पुस्तकालय में रखने के लिये भेज दी गयी है या एक दो दिनों में भेज दी जायेगी। यह विचार है कि इस वर्ष विभिन्न उद्योगों—कोयला खदान उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, लघु उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, प्रबन्ध, संघटन और प्रशिक्षण, भवन निर्माण उद्योग तथा फैक्टरी निर्माण, विपणन और वितण्य—इन उद्योगों के विभिन्न ७ या ८ दलों को विदेशों में भेजा जायेगा।

†**श्री दासप्पा :** क्या ये उत्पादिता परिषदें प्रबन्ध लेखा फर्मों का काम भी कर रही हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां।

†**श्री दासप्पा :** उत्पादिता परिषद् द्वारा क्या क्या ठोस कार्यवाहियां की गयी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ठोस कार्यवाही यह की जायेगी कि चालू वर्ष में हम एक केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था स्थापित करने के संबंध में प्रयत्न कर रहे हैं और उसका प्रबन्ध लेखा कर्म एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग होगा। धीरे धीरे इस संस्था की और भी कई शाखायें विभिन्न राज्यों में खुल जायेंगी और उनसे लघु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होगी। इस समय हमारा ध्यान इस बात पर है कि लघु उद्योग उत्पादिता के प्रति अधिक सजग हो सकें, क्योंकि बड़े उद्योग तो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये स्वयं अपने सलाहकार रख सकते हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर इंडस्ट्रियल पीस रही हो और डिसिप्लिन हो, और वहां पर प्रोडक्टिविटी कौंसिल कायम करने से गवर्नमेंट कामयाब हो सकती है या नहीं, क्या यह जानने की कोशिश की गई है ? और की गई है तो वह कौन से सेंटर हैं ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य अपनी एरिया में प्रोडक्टिविटी कौंसिल की कांशसनेस पैदा करें क्योंकि यह तो आखिर उन्हीं के हाथ में है कि वे मेहनत करें। अगर वह ऐसा करें तो हम मदद करेंगे और वहां पर फौरन उनको कायम कर देंगे। सारा सवाल तो लोकल इनिशिएटिव लाने का है। यह कोई जबर्दस्ती या ऊपर का मूवमेंट नहीं है। यह एक वायोलिशनल मूवमेंट है।

श्री अ० मु० तारिक : अभी आपने फरमाया है कि प्रोडक्टिविटी कौंसिल का एक डेलिगेशन योरप गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस डेलिगेशन का इन्तखाब किस ने किया था, और इन्तखाब करते वक्त लोगों को नामजद करने के लिये क्या बेसिस पेशेनजर रखी गई थीं ?

श्री मनुभाई शाह : उनके इन्तखाब का यह तरीका है कि जो नैशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल है उसने अलग अलग इंडस्ट्री के लिये लेबर और इंडस्ट्री के रिप्रेजेन्टेटिव्ज और गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव की सेलेक्शन टीमें बनाई हैं। वह सारी इंडस्ट्री की जो रिप्रेजेन्टेटिव बाडीज़ हैं, ट्रेड यूनियन्स हैं, उनको कंटैक्ट करती हैं और उनमें से ५०—१०० आदमियों के नामों को लेकर जो आदमी सबसे अच्छे मालूम होते हैं उनको नामजद करती हैं।

सेठ गोविन्द दास : अभी शायद मंत्री जी ने कहा कि निकट भविष्य में इस तरह की २० कौंसिलें और बनने वाली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या इस बात का भी ख्याल रक्खा गया है कि यह २० कौंसिलें इस तरह की बनाई जायें कि वे सारे देश में बन सकें और वह उन से पूरा फायदा उठा सकें, यदि हां, तो कहां कहां वह बनने वाली हैं ?

श्री मनुभाई शाह : बात यह है कि यह क्वालिटी वर्क है। सिर्फ इसका फैलावा करने से ही वह नहीं बढ़ता है। जो एरियां हम पसन्द कर रहे हैं वे ऐसी हैं कि जो करीब करीब सारी कंट्री को कवर

†मूल अंग्रेजी में

कर लेती हैं। वह जगहें यह हैं : दिल्ली, फरीदाबाद, कानपुर, जलन्धर, अमृतसर, लुधियाना, बटाला, बड़ौदा, इन्दौर, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, सांगली, पूना, हैदराबाद, नागपुर, कलकत्ता, गारीविडी, मैसूर सिटी, मैंग्लोर, ट्रिवैन्ड्रम, आलवे, और कालीकट। यह सारा प्रोग्राम ऐसा है कि हर स्टेट के अन्दर तीन चार, तीन चार मुख्य जगहों पर कौंसिलें हो जायेंगी और आहिस्ता आहिस्ता वातावरण फैलता जायगा।

†**श्री कासलीवाल** : इन उत्पादित परिषदों को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि वस्तुओं की कीमतों को कम किया जा सके और मजदूरों की मजूरी बढ़ायी जा सके। क्या सरकार ने इस दौरान यह अनुमान लगाया है कि इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस संबंध में इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मुख्य उद्देश्य केवल मात्र कीमतों में कमी करना नहीं, अपितु धन विनियोग की दृष्टि से राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाना भी है। परिषद् के स्थापित होने के ३ या चार महीनों के अन्दर ही उसके परिणामों का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या कार्मिक संघों से पूछा गया है कि इस दृष्टि से क्या सुविधायें दी जायें जिससे उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके ? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक कार्मिक संघों और राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् का संबंध है, मैं समझता हूं कि वे हमें सब से अधिक सहयोग दे रहे हैं। श्रमिक संघ उत्पादिता आंदोलन के संबंध में हमारी सहायता कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि** : 'प्रोडक्टिविटी रिव्यू' नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारम्भ होगा ? क्या आर्थिक सहायता १० लाख रुपये की ही रहेगी जैसी कि १९५९ में दी गई या बाद में उसकी राशि बढ़ा भी दी जायेगी, क्योंकि अब बहुत से और नये केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इस बारे में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आंदोलन केवल मात्र संस्थाओं और संघटनों की संख्या बढ़ाने के लिये नहीं है। हमें उत्पादिता के लिये विभिन्न प्रकार के उपकरण और साधन तैयार करने हैं। इसलिये हमारा ध्यान मुख्य रूप से वस्तुओं की किस्म को सुधारने की ओर है ताकि कम से कम खर्च से अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस वर्ष के लिये १० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं और मैं समझता हूं कि इस वर्ष इतनी राशि पर्याप्त होगी। परन्तु धन की कमी से विस्तार कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। यदि और अधिक धन की आवश्यकता हुई तो अधिक धन मंजूर कर दिया जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : मासिक पत्रिका कब छपेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह शीघ्र ही छपने लगेगी।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में कोई विदेशी विशेषज्ञ अथवा प्रविधिज्ञ भी हैं ?

†**मनुभाई शाह** : उन्हें केवल सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में केवल मात्र भारतीय सदस्य ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी व्यापार मिशन

+

†*१५६८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी:
श्री आसर :
श्री महन्ती :
श्री वाजपेयी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विमल घोष :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरूआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर—दिसम्बर, १९५८ में भारत में एक अमरीकी व्यापार मिशन आया था ;

(ख) यदि हां, तो मिशन के आगमन का उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या मिशन ने सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ), सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

अक्तूबर—दिसम्बर, १९५८ में भारत में दो अमरीकी व्यापार मिशन आये थे । प्रथम मिशन का उद्देश्य भारत सरकार को इस संबंध में परामर्श देना था कि किस प्रकार से भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघे की वस्तुओं का अमरीका को निर्यात बढ़ाया जा सकता है । दूसरा मिशन दिसम्बर-जनवरी में दिल्ली में हो रही अमरीकन लघु उद्योग प्रदर्शनी के संबंध में आया था । प्रथम मिशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । जब कि दूसरे मिशन से रिपोर्ट आने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह तो केवल मात्र प्रदर्शनी के संबंध में यहां आया था ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि दूसरे मिशन ने यह राय प्रकट की कि भारतीय वस्तुएं बढ़िया किस्म की और माणक न होने के कारण इनका निर्यात बहुत कम हो गया है ? यदि हां, तो इन की किस्मों में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य को मालूम ही होगा कि निर्यात संवर्धन परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिये अधिक मिशन और शिष्टमंडल विदेशों को भेज रही है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच है कि दूसरे मिशन ने बताया था कि अमरीका में मशीनें बनाने वाले उद्योगपति भारत में भारतीय व्यापारियों को हिस्सेदार बना कर भारत में कारखाने लगाने के लिये तैयार हैं ? यदि हां, तो सरकार की क्या राय है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न इतना लम्बा था कि मैं समझ नहीं सका।

†**श्री स० चं० सामन्त :** लघु उद्योग प्रदर्शनी के सिलसिले में जो दूसरा मिशन भारत आया था क्या उसने भारत सरकार के साथ लघु उद्योग वस्तुओं में विनिमय के बारे में बातचीत की थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस मिशन को अमरीका के लघु उद्योगों की प्रदर्शनी का काम ही सौंपा गया है जो दिल्ली में हो चुकी है। अब कलकत्ता में दिखाई जा रही है और भारत के अन्य तेरह या चौदह स्थानों पर दिखाई जायेगी। उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। कई देशों से, जिनमें अमरीका भी शामिल है, शिष्टमंडल आते रहते हैं जिन के साथ कई प्रकार की चर्चा की जाती है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** यह मिशन हथकरघा उत्पादन तथा दस्तकारी के किन-किन स्थानों पर गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह मिशन लगभग १४ स्थानों पर गया : बनारस, श्रीनगर, हैदराबाद..

†**श्री प्रभात कार :** क्या इस मिशन के आने से हथकरघा वस्तुओं और दस्तकारी के सामान का निर्यात बढ़ गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मिशन के आते ही निर्यात नहीं बढ़ जाता परन्तु इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है और विदेशों में हमारे सामान की मांग बढ़ती है और देश में बढ़िया किस्म का सामान तैयार होता है।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच है कि अमरीकी शिष्टमंडल के नेता ने कलकत्ता में एक वक्तव्य देते समय कहा कि अमरीकी व्यापारी यह चाहते हैं कि उन्हें लाभ हो जिसका प्रत्यावर्तन वे कर सकें और उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हों और यदि हां, तो कितने लाभ का प्रत्यावर्तन करने की अनुमति दी जायेगी और उसका कितना अंश उद्योग में ही लगाना पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री सुबोध हंसदा :** अमरीकी उत्पादक भारतीय व्यापारियों के साथ हिस्सेदारी करके भारत में उद्योग आरम्भ करना चाहते हैं। इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकार की यह राय है कि राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के भीतर रहते हुये देश के हित में जहां कहीं विदेशी सहयोग प्राप्त हो रहा हो इसका प्रोत्साहन किया जाये।

कच्ची फिल्मों का उत्पादन

†*१५६९. **श्री केशव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी समवाय किसी विदेशी समवाय के सहयोग से मैसूर में कच्ची फिल्मों का उत्पादन आरम्भ करने वाला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां,तो विदेशी समवाय का क्या नाम है और यह उद्योग किस स्थान पर आरम्भ किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री केशव** : यह देखते हुए कि हमारे देश में कच्ची फिल्मों की खपत काफी ज्यादा है और देश में इसका कोई कारखाना नहीं है क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने उस राज्य में एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा में पहले भी कई बार इस मामले पर बातचीत की जा चुकी है। अब यह प्रयत्न हो रहा है कि मद्रास में ओटाकमंड स्थान पर कच्ची फिल्मों का एक कारखाना लगाया जाये और पूर्व जर्मनी तथा अन्य देशों से बातचीत करके यह कोशिश की जारी है कि जल्दी से जल्दी यह कारखाना लग जाये।

†**श्री दासप्पा** : यह सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री मनुभाश शाह** : सरकारी क्षेत्र में।

दिल्ली में नाली व्यवस्था

†*१५७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में नाली व्यवस्था ठीक न होने के बारे में जांच करने वाली समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख) समिति का प्रतिवेदन २८ मार्च, १९५९ को सभा-पटल पर रख दिया गया था।

प्रतिवेदन की धारा ८ में सिफारिशों का सारांश बताया गया है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या नजफगढ़ नाले में से रेत निकालने की परियोजना आरम्भ होगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी हां, समिति की सिफारिशों में एक यह भी है। नजफगढ़ नाले में से रेत निकालने के कार्य की प्रथम प्रावस्था का प्राक्कलन भी तैयार किया जा चुका है। मेरे ख्याल से कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : कुल खर्च का प्राक्कलन क्या है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : किस मद के लिये ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : नजफगढ़ नाले के लिये।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है और इस पर लगभग २ लाख रुपये की लागत आयेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

हड़तालों की रोक थाम के लिये विधान बनाना

†*१५७२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और मद्रास राज्यों की सरकारों ने भारत सरकार से कहा है कि श्रमिक द्वारा "कारखाने के भीतर आकर हड़ताल करने" और "कम रफ्तार से काम करने" को रोकने के लिये कोई विधान बनाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां ।

(ख) स्थाई श्रम समिति द्वारा नियुक्त की गई समिति ने, जिसकी बैठक जनवरी, १९५९ में बम्बई में हुई थी, प्रस्तावों पर विचार किया था । इस विषय में और कोई कार्यवाही नहीं की जाने वाली है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार "कारखाने के भीतर आकर हड़ताल करने" और "काम की रफ्तार कम करने" को वैध्य मानती है और यदि नहीं तो सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री आबिद अली :** नैनीताल में जिस अनुशासन संहिता पर सहमति प्रकट की गई थी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जो आम तरह की हड़तालें होती हैं उनके अलावा आजकल भूख हड़तालों का रोग भी बहुत बढ़ गया है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में भी विचार किया गया है और क्या इस बारे में कोई क़दम उठाये जा रहे हैं ?

श्री आबिद अली : माननीय मेम्बर जो ऐसा ख़याल करते हैं वह भी एक अच्छी बात है और यह उन चीज़ों के बंद करने में मदद करेगा ।

श्री रामजी भाई वर्मा: गो स्लो और स्ट्राइक्स के सम्बन्ध में इंडियन लेबर कान्फ्रेंस ने जो निर्णय किया है उसके बावजूद भी यह गो स्लो और स्ट्राइक्स की जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने क्या किया है ?

श्री आबिद अली : इस बारे में जब कभी शिकायत आती है तो ज़रूरी तहकीक़ात की जाती है और उसके बाद सम्बन्धित यूनियनों और उनके लीडरों से बातचीत की जाती है और कोशिश की जाती है कि ऐसी नामुनासिब चीज़ें कम हों ।

श्री रामजी भाई वर्मा : उसके बावजूद भी उन पर काबू नहीं पाया जा रहा है और लोग गो स्लो और स्ट्राइक्स करने में लग जाते हैं तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री आबिद अली : निर्णय तो यही है कि पबलिक ओपीनियन इसके खिलाफ़ बनाई जाय ।

श्री रामजी भाई वर्मा : पबलिक ओपीनियन इसके खिलाफ़ बनाने के लिये गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यहां आने का उद्देश्य ही जनमत की रचना करना है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस प्रकार की हड़तालों के दौरान में पूरी मजूरी दी जाती है या कि कुछ कटौती की जाती है ?

†**श्री आबिद अली** : इसके लिये पूरी मजूरी नहीं दी जानी चाहिये ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : अनुशासन संहिता के लागू होने के बाद "कारखाने के भीतर हड़ताल करने" की कुछ घटनाओं की सूचना मंत्रालय को भेजी गई थी । मंत्रालय में उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने की गई कार्यवाही की व्याख्या कर दी है ।

†**श्री अ० चं० बोस** : यदि उचित पूर्व सूचना दे कर ऐसी हड़ताल की जाये जिसमें काम की रफ्तार कम कर दी जाती है तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी ?

†**श्री आबिद अली** : काम की रफ्तार घटाने को श्रम पद्धति में मान्यता नहीं दी जाती है ।

कार्मिक संघों को मान्यता देना

+

†*१५७३. { **श्री तंगामणि** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा बनाये गये नियमों का पुनरीक्षण करने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई आयोग नियुक्त किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या कार्मिक संघों को मान्यता देने वाले उन नियमों, जिनका सम्बन्ध सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों से है, का पूनरीक्षण किया जाये या नहीं ।

(ख) नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : मेरा प्रश्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा बनाये गये उन नियमों के बारे में है जो कार्मिक संघों को मान्यता देने के बारे में है । इसमें केवल औद्योगिक ही नहीं बल्कि अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये नियमों का पुनरीक्षण किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हाल ही में, ३ मार्च को, गृह-कार्य मंत्रालय ने कुछ पुनरीक्षण किये हैं ।

†**श्री तंगामणि** : मान्यता देने के पुनरीक्षित नियम जो ३ मार्च, १९५९ को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये उन में इस प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं । इस सेवा से सम्बद्ध वह व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, पदाधिकारी नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होती होगी ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री त० व० विट्ठल राव :** क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मान्यता देने के इन नियमों का परीक्षण श्रम मंत्रालय ने किया है और क्या यह उपबन्ध कर्मिक संघ (संशोधन) अधि-नियम, १९४७ के प्रतिकूल हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** श्रम मंत्रालय इनका परीक्षण कर रहा है। प्रतिकूल हैं या नहीं यह तो अपनी अपनी राय की बात है ।

†**श्री प्रभात कार :** कार्मिक संघ अधिनियम में श्रमिकों को यह अधिकार था कि वे कार्य-पालिका में ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकते थे जो श्रमिक न हों परन्तु गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित नियम इसके प्रतिकूल हैं क्या श्रम मंत्री ने इस पर विचार करके गृह-कार्य मंत्रालय से बात चीत की है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इसका परीक्षण किया जा रहा है और अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री तंगामणि :** नियमों में चन्दा जमा करने का भी उपबन्ध है। क्या यह मामला श्रम मंत्रालय को सौंपा गया है और क्या 'चंदे' में कर्मचारियों का साधारण अंशदान शामिल होगा जैसा कि अन्य कार्मिक संघों में होता है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि :** गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के बाद इस प्रश्न की पूर्व सूचना दी गई थी। कर्मचारी दो प्रकार के होते हैं— एक तो कार्यालयों के और दूसरे औद्योगिक क्षेत्र के। जब दोनों की मान्यता के लिये नियम बनाये गये हैं तो वे श्रम मंत्रालय को सौंपे जाने चाहिये थे, नियम प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी एक प्रति मेरे पास है। मैं श्रम मंत्रालय का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे नियम गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किये गये थे और श्रम मंत्री अभी इनका अध्ययन कर रहे हैं इस लिये आप उन्हें पहले नियमों का परीक्षण तो कर लेने दें।

†**श्री तंगामणि :** केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक कर्मचारियों की मान्यता सम्बन्धी नियमों के बारे में कब अन्तिम निर्णय होगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इसमें कुछ समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी आणविक भट्टी

†*१५७४. **श्री उस्मान अली खां :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दूसरी आणविक भट्टी कब तैयार होगी ; और

(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) इस भट्टी के लिये इमारत का निर्माण आरम्भ हो गया है और वह १९५९ के मध्य तक पूरी हो जायेगी । तब तक भट्टी में सब अंग बन जायेंगे और अन्तिम रूप से एकत्र करने के लिये उनका प्रारम्भिक परीक्षण हो चुकेगा । इमारत बनने के तीन मास बाद भट्टी के चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) भारी पानी, युरेनियम और ग्रेफाइट के मूल्य के अतिरिक्त परियोजना पर २५ लाख रुपये लागत आयेगी ।

†**श्री उस्मान अली खां** : इस भट्टी से क्या काम लिया जाता है और क्या ये काम कनाडा-भारत आणविक भट्टी से नहीं लिये जा सकते थे जिससे कि दूसरी भट्टी का खर्च बच जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि दूसरी भट्टी की ज़रूरत नहीं थी ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि मुझे विज्ञान सम्बन्धी मामलों की कुछ जानकारी नहीं है । हम शायद बहुत सी आणविक भट्टियां लगायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को मालूम है कि ये दोनों भट्टियां ही हैं तभी तो उन्होंने पूछा कि दूसरी की क्या ज़रूरत थी । माननीय सदस्य अध्ययन करने के बाद प्रश्न पूछा करें ।

†**श्री नागी रेड्डी** : यह बहुत टैक्नीकल है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि इस रिऐक्टर के बनाने मे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं और जो सामान लग रहा है वह हिन्दुस्तान का है या बाहर से भी मंगाना पड़ रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह रिएक्टर पूरे तौर से हमारे ही लोगों ने बनाया है । किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ी । कुछ सामान है हैवी वाटर वगैरह जो बाहर से मंगाना पड़ा है, लेकिन वह तो बाद में इस्तैमाल के लिये है । इसके बनाने में बाहर की मदद नही ली गयी ।

चाय का निर्यात

†*१५७६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान और लेबनान को भारतीय चाय के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन देशों को साधारण और दरम्याने दर्जे की भारतीय चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५८ में भारत ने ईरान को १२० लाख पौंड चाय का निर्यात किया जब कि पूर्वगामी वर्ष में १०० लाख पौंड किया था। लेबनान प्रति वर्ष ६ लाख पौंड चाय का आयात करता है जिस में भारत का अंश बहुत कम होता है ।

(ख) इन देशों में भारतीय चाय का प्रयोग बढ़ाने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं। भारत की बढ़ियां किस्म की चाय ईरान में बहुत पसन्द की जाती है जब कि लेबनान में इसकी मांग बड़ी सीमित है ।

†**श्री पांगरकर** : १९५८ में भारत से समिक्षित और डिब्बों में बन्द चाय का कुल कितना निर्यात किया गया ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९५८ में ५०७० लाख पौंड चाय का निर्यात किया गया था ।

†**श्री प्रभात कार** : ईरान में भारतीय बढ़ियां चाय की मांग है और लंका देश हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है यह देखते हुये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है जिससे ईरान में हमारी चाय की मांग पहले की तरह बनी रहे जब कि ईरान केवल हम से ही चाय खरीदता था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सही नहीं है। मैंने बताया कि १९५८ में १९५७ से अधिक उत्पादन हुआ था। वहां हमारा कभी एकाधिकार नहीं था परन्तु ईरान भी बढ़िया चाय भारत से खरीदता है। साधारण किस्म की चाय ही ईरान में भी पैदा होती है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने ईरान और लेबनान में कोई चाय केन्द्र खोले हैं और क्या इस बारे में चाय बोर्ड का सहयोग प्राप्त किया गया है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : इन स्थानों पर न तो केन्द्र खोले गये हैं और न ही इसकी ज़रूरत समझी गई है ।

समाजवादी समाज व्यवस्था

१५७८. श्री विभूति मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "समाजवादी समाज व्यवस्था" शब्दों को कोई निश्चित स्वरूप प्रदान किया है अथवा उसकी कोई ठोस परिभाषा बनाई है, ताकि जन साधारण उसे समझ सके :

(ख) यदि हां, तो आर्थिक क्षेत्र में इस का क्या स्वरूप है ; और

(ग) इसे कब पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जायगा ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्याय २ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आयोजन का एकमात्र अभिप्राय समाजवादी ढंग के समाज की ओर प्रगति करना है और हमारी हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य इस दिशा में

---

†मूल अंग्रेजी में

एक बड़ा कदम उठाना होता है । तीसरी पंचवर्षीय योजना पर भी आजकल इसी दृष्टिकोण से विचार हो रहा है ।

यह समझ लेना चाहिये कि समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करती है और उसे प्राप्त करने के लिये समाज के वर्तमान ढांचे में अनेक परिवर्तन आवश्यक हैं। यह सब केवल कानून बनान से नहीं हो सकता। इसके साथ ही इसके लिये कृषि और औद्योगिक दोनों प्रकार का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाने और साधनों का पहले से अधिक समान वितरण करने की आवश्यकता है। भूमि सुधार के प्रस्ताव और सहकारों को बढ़ावा देना समाजवादी उद्देश्य की ओर प्रगति करन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जहां तक उद्योगों का सवाल है सरकार की यह नीति है कि मूलभूत और बड़े उद्योग सरकार के हाथ में रहें तथा नियोजित उद्देश्य के अनुसार अन्य उद्योगों पर भी सरकार का आम नियन्त्रण रहे।

यह समझ लेना चाहिये कि समाजवादी समाज को पूरी तरह स्थापित करने में तो काफी समय लगेगा ही ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री ने सोशलिस्टिक पैटर्न की कोई परिभाषा नहीं बताई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सोशलिस्टिक पैटर्न की परिभाषा क्या है। उस को काम में कैसे लाया जाय, वह तो अलग बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ज़मीन, कारखानों, सरकारी आय और जितनी आर्थिक समस्यायें हैं, उनके सम्बन्ध में सोशलिस्टिक पैटर्न की क्या निश्चित परिभाषा है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उस की परिभाषा दो चार फिक़रों में तो यह है कि अधिक पैदा करना और ठीक तौर से उस का बटवारा होना।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइवट सैक्टर के जो कारखाने हैं, उन से जितना पैदा होता है, उसका ठीक तरह से मज़दूरों में और लोगों में बटवारा नहीं होता है, तो यह जो परिभाषा है, उस का ठीक उपयोग होता है या नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो प्राइवेट सैक्टर में पैदा होता है, उसका मज़दूरों में या किसी में बटवारा नहीं होता है। वह तो उन लोगों के पास जाता है, जिन को ज़रूरत होती है। फ़र्ज कीजिये कि प्राइवेट सैक्टर में जूते बनें, तो जिन को जूते चाहिये, उन के पास वे जायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : मेरा मतलब आमदनी के बटवारे से है। फ़र्ज़ कीजिये कि प्राइवेट सैक्टर वालों को पांच लाख मुनाफा हुआ। पांच लाख मुनाफे में सरकार थोड़ा टैक्स लेती है। समाजवादी ढांचे में जितनी आमदनी होती है—चाहे वह किसी सैक्टर से होती है या सरकार की आमदनी है— फ़र्ज़ कीजिये कि साढ़े पांच अरब की इनकम है और उस में से तीन हजार बड़े नौकर को पगार देते हैं और छोटे नौकर को देते हैं पचास रूपया, तो उस सब के बटवारे का क्या कायदा है, क्या उसूल है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं शायद कि जब समाजवाद हो जायेगा, तो क्या होगा। जब समाजवाद होगा, उस का नक्शा रखा जाये, तो वह एक बात है, लेकिन दरमियान में क्या क्या कदम उठें, उस में हर जगह बहुत बातों को देखना होता है —

†मूल अंग्रेजी में

क्या लक्ष्य है, कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है, कितना करने से और कहीं नुक्सान न हो, इस सवाल का जबाब नहीं दिया जा सकता है, चाहे मिल कर हम एक किताब लिखें ।

श्री त्यागी : जहां तक मैं समझा हूं, इस सावल में दरयाफ्त यह किया गया था कि सोशलिस्टिक पैटर्न की शक्ल यानी आबजेक्टिव क्या होगा और जो जवाब दिया गया है.....

अध्यक्ष महोदय : आबजेक्टिब नहीं है ।

कोई सा ढांचा बना लिया जाये, कोई ठोस परिभाषा बताई जाये ।

†**श्री त्यागी :** इसका उत्तर नहीं दिया गया है । माननीय प्रधान मंत्री ने जो परिभाषा बताई है वह ठीक है परन्तु वह समाजवादी व्यवस्था की सही चित्र नहीं है । सवाल यह है कि क्या सरकार ने "समाज की समाजवादी व्यवस्था" की कोई ठोस शक्ल दी है अथवा निश्चित परिभाषा बताई है । इसका उत्तर हां, या ना में दिया जाना चाहिये । क्या यह किया गया है या नहीं । यदि है तो वह क्या है । यह तो मैं समझ सकता हूं कि उद्देश्य पूर्ति के लिये कार्यवाही की गई है परन्तु उद्देश्य क्या है ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** लोकतन्त्रीय समाजवाद का उद्देश्य और मान्यतायें सर्वविदित हैं और उन्हें यदि यहां बताने लग जाऊं तो उसमें बड़ा समय लगेगा । किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी प्रगति, उसका रूप तथा किसी समय विशेष में उसमें क्या क्या बातें सम्मिलित होंगी उसका सम्बन्ध उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्वों की परिपक्वता से भी होगा । पहले से इसके बारे में सामान्य रूप में ही कहा जा सकता है जो माननीय सदस्यों को विदित ही है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** जन साधारण के समझने के लिये और विशेषकर गावों के लोगों के लिये विभिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न भाषाओं में कितनी पुस्तिकायें और पर्चे आदि छपवाये गये हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र:** भारत सरकार द्वारा कुल कितना साहित्य छपवाया गया है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता । इसके बारे में तो सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या सरकार की राय यह है कि देश में अधिकाधिक विदेशी पूंजी से समाजवाद शीघ्रता से आ सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं । श्री जाधव ।

†**श्री जाधव :** आज हमारे सामने सामाजवादी ढांचे के समाज का जो नक्शा है, उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पाणिग्रही :** माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र ने गैर-सरकारी उपक्रमों में लाभ के वितरण के बारे में पूछा था इसके उत्तर में माननीय मंत्री ने जूते के कारखाने का उदाहरण दिया था । यह कोई उत्तर नहीं है । वह यह जानना चाहते थे कि क्या जूता तैयार करने वाले कारखाने को जो लाभ होगा उसका मज़दूरों में समान वितरण किया जायेगा । प्रश्न तो यह है । इस बारे में समाजवादी ढांचा कहां तक कार्यान्वित किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

रसायन और सम्बद्ध उद्योग

†*१५७९. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी एशियाई देशों को निर्यात करने के लिये सस्ते रसायन तैयार करने और उससे संबन्ध उद्योगों को सहायता देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार संबंधित उद्योगों को किस प्रकार सहायता देने का विचार करती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) उद्योगों को उत्पादन लागत कम करने के लिये कोई विशेष सहायत नहीं दी गई है यद्यपि निर्यात के बाजारों में प्रतिद्वन्दात्मक मूल्य पर अपने सामान बेचने के लिये प्रस्ताव करने के बारे में निर्माताओं को सभी सम्भव सहायता दी जा रही है ।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या रसायन उद्योग ने कोई सहायता मांगी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निर्यात संवर्द्धन परिषदें हैं । जैसा कि सभा को विदित है कि सभी वस्तुओं के बारे में सामान्य कार्यवाही की जा रही है । सम्पूर्ण रूप से रसायनों का निर्यात प्रगति पर है । हम आशा करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में रसायनों का निर्यात और भी अधिक होगा ।

हार्ड और साफ्ट बोर्ड

†*१५८०. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वातानु कूलन एवं अन्य कामों के लिये देश में कुल कितने हार्ड और साफ्ट बोर्ड की आवश्यकता होती है और उसका कितना मूल्य होता है ;

(ख) देश में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का उत्पादन होता है तथा शेष कितनी मात्रा का आयात हमें करना पड़ता है ; और

(ग) क्या सारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये देश में ही सारा माल तैयार करने के बारे में क्या कोई कार्यवाही की गई है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हार्ड और साफ्ट बोर्ड की वार्षिक मात्रा और उसके मूल्य का अनुमान क्रमस: १६,००० टन जिस का मूल्य १ करोड़ रुपये और ४,००० टन जिस का मूल्य ४० लाख रुपये लगाया गया है ।

(ख) हार्ड बोर्ड का देश में उत्पादन अभी आरम्भ हुआ है । आशा की जाती है कि देश में १९५९ में ६,००० टन हार्ड बोर्ड तैयार किया जायेग जिसका मूल्य ३६ लाख रुपये होगा । फिलहाल देश में साफ्ट बोर्ड का उत्पादन बहुत कम होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय हार्ड और साफ्ट बोर्ड के आयात पर प्रतिबन्ध लगा है। वास्तविक उपभोक्ताओं को थोड़ी मात्रा में आयात करने की अनुमति प्राप्त है।

(ग) सरकार ने देश में हार्ड बोर्ड के उत्पादन के लिये निम्न तीन योजनाएं मंजूर की हैं :—

	क्षमता
(१) मेसर्स अनिल हार्ड बोर्ड, बम्बई	६,००० टन प्रति वर्ष
(२) मेसर्स मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रीज, भोपाल . .	६,००० टन प्रति वर्ष
(३) मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया प्लाई वुड लिमिटेड, बालीपटम .	३,७५० टन प्रति वर्ष

इन एककों में से केवल मेसर्स अनिल हार्ड बोर्ड ने उत्पादन अभी आरम्भ किय है; मेसर्स वेस्टर्न इण्डिय प्लाईवुड लिमिटेड इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरम्भ कर देगा ऐसी आशा है।

मेसर्स अनिल हार्ड बोर्ड बम्बई, द्वारा ६,००० टन साफ्ट बोर्ड तैयार करने के बारे में एक आवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : ये चीजें किन-किन देशों से आयात की जाती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं हार्ड और साफ्ट बोर्ड के आयात पर पूर्ण-रूपेण प्रतिबन्ध लगा है।

†**श्री तंगामणि** : इस समय कुल आवश्यकता १६,००० टन की है और इस वर्ष देश में हार्ड बोर्ड का उत्पादन केवल ६,००० टन होगा। इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया है कि चालू वर्ष में तीन और निम्न कारखाने खुलने जा रहे हैं जिनके नाम मेसर्स अनिल हार्ड बोर्ड, बम्बई, मेसर्स मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रीज़ भोपाल और मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया प्लाईवुड लिमिटेड, बालीपटम हैं। हम आशा करते हैं कि योजना के अन्त तक हार्ड बोर्ड और साफ्ट बोर्ड सम्बन्धी राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति देश के उत्पादन से हो सकेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में बदली

+

†*१५८१. **श्री तंगामणि** :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था में बदली करने के बारे में शर्तों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं और क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने जितने समय तक सेवा की है, इस संस्था में बदली कर देने पर निवृत्ति वेतन तथा अन्य लाभों के लिये वह सेवा काल जोड़ा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड़गपुर) अपने कर्मचारियों के लिये भारतीय औद्योगिकी संस्था (खड़गपुर) अधिनियम, १९५६ के आधीन निहित शक्तियों के अनुसार सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिये सक्षम हैं। भारत सरकार को बताया गया है कि केन्द्रीय लोक सेवा विभाग के हस्तक्षेप से संस्था ने केन्द्रीय लोक सेवा विभाग के हिडाली के कार्यभारित कर्मचारियों की बदली के सम्बन्ध में कुछ शर्तें मान ली हैं। बदली की मुख्य मुख्य शर्तों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(१) कर्मचारियों को उतना ही वेतन, वेतन-क्रम और भत्ते मिलेंगे जो वे लोक सेवा विभाग में ३१-३-१९५९ को प्राप्त कर रहे थे।

(२) फिलहाल स्थान अस्थायी और निवृत्ति वेतन वाले नहीं होंगे और संस्था में उनकी नौकरी भी उस समय तक अस्थायी होगी जब तक कि संस्था में कार्य आरम्भ कर देने के बारे में आगे आदेश न जारी किये जायें और कर्मचारी की अवस्था ६० वर्ष न हो जाये, यदि वह स्थायी हो जाता है तो।

(३) अवकाश संविधि और संस्था के नियमों के अनुसार मिलेगा।

(४) केन्दीय लोक निर्माण विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा संस्था दोनों के अधीन एक वर्ष तक सन्तोषप्रद सेवा कर लेने के पश्चात् संस्था में पुष्टिकरण हो जाने पर, कर्मचारी को अपने वेतन का ८ $^{१}/_{३}$ प्रतिशत अंशदायी भविष्य निधि में देना होगा जिसमें संस्था द्वारा भी उतनी ही राशि का अंशदान किया जायेगा।

(५) अस्थायी सेवा काल में किसी भी ओर से एक मास के नोटिस पर सेवा समाप्त हो सकेगी। संस्था के बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित चिकित्सा प्राधिकार के प्रमाणित करने पर पुष्टिकरण हो जाने के बाद तीन मास के नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। बोर्ड द्वारा छंटनी अथवा मितव्ययता के आधार पर ६ मास के लिखित नोटिस पर स्थायी कर्मचारियों को भी सेवा से हटाया जा सकेगा।

†**श्री तंगामणि** : पिछले प्रश्न के उत्तर मे यह कहा गया था कि १६४ कर्मचारियों की बदली खड़गपुर कर दी गई थी और इस प्रश्न का कि क्या उनकी पहले की सेवा शामिल की जायगी, माननीय उपमंत्री ने यह उत्तर दिया था कि इस पर विचार किया जायेगा। किन्तु विवरण में मैं देखता हूं कि भविष्य निधि में अंशदान के लिये कर्चचारियों को एक वर्ष वहां रहना होगा। क्या सरकार प्रौद्योगिकी संस्था से निवेदन करेगी कि भविष्य निधि के लिये भी उनकी पहले की सेवा पर भी विचार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या १-४-१९५९ से अभी आरम्भ से ही ८ $^{१}/_{३}$ प्रतिशत भविष्य निधि में देना पड़ेगा।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां। हमने पहले से ही संस्था से इस बारे में बात कर ली है और मुझे बताया गया है कि जो लोग पहले से ही भविष्य निधि में अंशदान दे रहे हैं उन्हें हिजली संस्था में भी उसी प्रकार अंशदान देने की अनुमति रहेगी।

†**श्री तंगामणि** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अधीन उन्हें जो कुछ दिया गया है उसके लिये दूसरा उपाय क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : में प्रश्न नहीं समझ सका।

†**श्री तंगामणि** : कर्चचारी राज्य बीमा योजना जो औद्योगिक कर्मचारियों में लागू है। केन्द्रीय लोक सेवा विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक दूसरी योजना की व्यवस्था की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

जिन कार्यभारित कर्मचारियों की बदली खड़गपुर संस्था को कर दी गई है उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी वैकल्पिक सुविधा क्या दी गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मेरे पास यहां विस्तृत जानकारी नहीं है किन्तु मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग कार्यभारित प्रतिष्ठान मे थे और जो खड़गपुर संस्था में बदली करके भेज दिये गये हैं उन्होंने अपनी स्वेच्छा से और जो शर्तें रखी गई हैं उनके आधार पर ऐसा किया है ।

पुनर्वास मंत्रालय के कार्यालयों का बन्द होना

†***१५८२. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास और अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के धीरे-धीरे बन्द हो जाने से जिन कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया जायेगा उन्हें काम दिलाने के लिये क्या उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) ऐसे कितने लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं जिनको अभी काम नहीं मिला है और उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) पुनर्वास तथा काम दिलाऊ महा-निदेशालय में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठापन के जितने लोग फालतू हो गये हैं उनको खपाने के लिये एक विशेष अनुभाग स्थापित किया गया है । दिल्ली से बाहर स्थापित कार्यालयों द्वारा छंटनी किये गये कर्मचारियों को काम दिलाऊ दफ्तरों में अपना पंजीयन कराना चाहिये जो उन्हें वैकल्पिक काम दिलाने में विशेष प्राथमिकता देंगे ।

(ख) दिल्ली में जितने लोगों की छंटनी की गई है उन्हें वैकल्पिक रोजगार मिल गया है । दिल्ली से बाहर जितने व्यक्तियों की छंटनी की गई है जिनको अभी तक वैकल्पिक काम नहीं मिला है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं है कि फरीदाबाद विकास बोर्ड के छंटनी किये गये अधिकांश कर्मचारियों को अभी तक कहीं नौकरी नहीं मिल सकी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जो अधीनस्थ पद पर हैं उन्हें स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर में अपना पंजीयन करवाना चाहिये । हमारे पास इसके ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों को काम मिल चुका है और जिन लोगों को काम नहीं मिला है उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या अन्य मंत्रालयों के विभिन्न विभागों को इस बारे में कोई निदेश जारी किये जा रहे हैं जैसे कि काम दिलाऊ दफ्तरों को किये गये हैं कि कार्यालयों में छंटनी किये गये कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि मैं अपने मूल उत्तर में बता चुका हूं कि दिल्ली में जितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है उनकी सूची विशेष अनुभाग को भेज दी गई है ?

†**डा० सुशीला नायर :** क्या फरीदाबाद विकास बोर्ड के छंटनी किये गये कर्मचारियों और मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारियों को समान प्राथमिकता दी जाती है और दोनों की स्थिति समान समझी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†**श्री प्रभात कार :** इन कर्मचारियों द्वारा दस वर्ष से अधिक काल तक की गई सेवा को ध्यान में रखते हुये क्या विशेषकर इस विभाग द्वारा राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि नई नियुक्तियां करने के बजाय वे अपने विभिन्न विभागों में इन कर्मचारियों को लें ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि मैं अपने मूल उत्तर में बता चुका हूं कि छंटनी किये गये कर्मचारियों को स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तरों में अपना पंजीयन करवाना चाहिये । किन्तु जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, मेरे पास ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज़ का कारखाना

*१५८३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, अखबारी कागज़ बनाने के लिए मुलायम लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार अथवा किसी गैर-सरकारी उद्योगपति ने अखबारी कागज़ का एक कारखाना खोलने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इस उद्योग को स्थापित करने के लिए किस प्रकार की सहायता देने का विचार कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) उत्तर प्रदेश में हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों की नरम लकड़ी अखबारी कागज़ बनाने के लिये कहां तक उपयुक्त है, इसकी विस्तृत जानकारी सरकार को नहीं है । लेकिन राज्य सरकार से इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(ख) से (घ) पिछले साल दो प्राइवेट पार्टियों ने अखबारी कागज़ के कारखाने खोलने के सिलसिले में दिलचस्पी दिखायी थी । इन में से एक पार्टी का प्रस्ताव यह कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का था । दोनों में से एक ने भी न तो कच्चे माल के साधन बताये हैं, न इस संबंध में आगे बातचीत की है और न कोई ठोस प्रस्ताव ही रखे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में जो जांच पड़ताल कर रही है, उसके परिणामों के कब तक मिल जाने की आशा की जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक केन्द्रीय सरकार की जांच पड़ताल का ताल्लुक था एक कमेटी भी नियुक्त की गई थी और उसने काफी एरिया सर्वे किया था । लेकिन यह सब हिल्ली रिजंस हैं और उसको अच्छी तरह से सर्वे करना और इंटेंसिवली सर्वे करना और सब डाटा इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है । इसलिए फिलहाल जितना डाटा अवेलेबल है, उसी पर काम किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि जब दूसरी पंच-वर्षीय योजना तैयार की जा रही थी उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया था लेकिन जैसा कि उस समय के तत्कालीन मंत्री श्री डी० पी० करमरकर साहब के उत्तर से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार के ज़ोर देने से ही उस विचार को स्थगित कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या

†मूल अंग्रेजी में

इसको अब कोई प्राथमिकता दी जाएगी और कम से कम तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको सम्मिलित किया जाएगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक न्यूज़प्रिंट के उत्पादन का सारे देश में ताल्लुक है, दूसरी योजना में उत्तर प्रदेश में किसी नए क्षेत्र में न्यूज़प्रिंट फैक्ट्री लगाने की न प्रोपोज़ल थी और न आयोजन के अन्दर उसको रखा गया था । सिर्फ एक ही सुझाव था और वह शक्करनगर के अन्दर लगाने के बारे में था, जो बगास शेगर फैक्टरी से निकलती है, उसके रा मैटीरियल के बेसिस पर । अभी भी उसकी कोशिश की जा रही है । उत्तर प्रदेश में भी कम से कम छः आदमियों को हमने कांटैक्ट किया है, बातचीत भी हो रही है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी जब तक पूरे पक्के तौर से न मालूम दे तब तक न इंडस्ट्रियलिस्ट ही कुछ कर सकते हैं और न गवर्नमेंट खुद ही कर सकती है ।

†**श्री आचार :** क्या अत्यधिक मांग को देखते हुये सरकार का विचार उत्तर प्रदेश अथवा अन्य कहीं अखबारी कागज़ बनाने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मैं बता चुका हूं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा हैदराबाद के शक्करनगर में अखबारी कागज का एक संयंत्र स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जो निज़ाम के चीनी कारखाने से प्राप्त गन्ने की खोई से तैयार किया जायेगा । जर्मनी की जिस फर्म ने वास्तव में यह तरीका निकला था वह गन्ने की खोई से सफलतापूर्वक अखबारी कागज बनाने के लिये आवश्यक टेक्निकल सहायता देने को अभी भी तैयार नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि अभी तक इस देश में अखबारी कागज़ की केवल एक फैक्ट्री चल रही है और वह नेपा में, मध्य प्रदेश में है ? क्या यह भी सही है कि उस फैक्ट्री में पूरा उत्पादन अनेक कठिनाइयों की वजह से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो नई फैक्ट्री बनाने के पहले क्या गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि जो फैक्ट्री अभी है, उसको ठीक तरह से चलाने का प्रयत्न किया जाए ?

श्री मनुभाई शाह : आपका सवाल ठीक है । जैसे हाउस को पता है इस फैक्ट्री को अच्छा करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है । हाउस को यह जानकर खुशी होगी कि १९५५ में नेपा के अन्दर २५०० टन ही सालाना उत्पादन होता था । १९५६ में वह बढ़कर १०,००० हो गया, १९५७ में १४,००० और इस साल २२,००० टन का उत्पादन हो रहा है । इससे पता चलता है कि सारी कोशिश की जा रही है और हम ने एक करोड़ रुपया चांदनी पावर हाउस को एक्सपैंड करने के लिए मंजूर किया है और फौरन ही मशीनरी आ जाएगी । आशा की जाती है कि जब स्टीम और पावर पूरी तादाद में मिल जायेंगे तो तकरीबन सौ टन पर डे मतलब ३०,००० टन की जो उसकी कैपेसिटी है, उस तक हम पहुंच जायेंगे । क्वालिटी के लिए भी कोशिश की जा रही है । एक छोटी सी टैक्नीकल कमेटी भी हम एप्वाइंट कर रहे हैं ताकि वह जांच पड़ताल कर सके जिस से जल्दी से जल्दी क्वालिटी भी अच्छी हो जाए ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि दो पार्टियों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है । मैं जानना चाहता हूं कि वे दोनों पार्टियां कौन-कौन सी हैं और किन-किन स्थानों पर वे इस कारखाने को लगाना चाहती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह . अभी कुछ तै नहीं हुआ है । जब तक कोई बात पक्के तौर पर तै न हो जाए तब तक किसी का नाम बतलाना अच्छा नहीं है । अब यह चीज़ तै हो जायगी तो फौरन ही यह चीज़ हाउस के तथा देश के सामने आ जाएगी । न्यूज़प्रिंट फैक्ट्री का लगाना कोई आसान नहीं है और लगाने की मंशा करने से ही यह काम होगा नहीं । पूरे रा-मैटीरियल को देखना होता है, ट्रांसपोर्ट को देखना होता है और ठीक ढंग से ढांचा बनाना होता है तब जा कर न्यूज़प्रिंट की फैक्ट्री लग सकती है ।

ग्वालियर में रेडियो स्टेशन

*१५८४. **श्री सूर्य प्रसाद :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस रेडियो स्टेशन को स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रासारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी): (क) और (ख) पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्रस्ताव थे उसके अनुसार यह विचार था कि ग्वालियर में १ किलोवाट मीडियम वेव का पाइलेट रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाय । बाद में जो अनुभव हुये उनके आधार पर और अन्य ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुये इस योजना को बदलना पड़ा । राज्यों के पुनर्गठन होने पर जब नया मध्यप्रदेश बना तब उनमें रेडियो केन्द्रों की स्थापना की योजना को नये सिरे से बनाना पड़ा और सारे मध्यप्रदेश की ज़रूरत को पूरा करने के लिये भोपाल में एक १० किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाया गया ।

श्री सूर्य प्रसाद : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तरी भारत में ग्वालियर संगीत कला का केन्द्र है और संगीत सम्राट तानसेन का जन्म स्थान भी है और तब क्या वहां पर रेडियो स्टेशन स्थापित करना उचित नहीं था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी हां, यह पता है लेकिन केवल कला का केन्द्र होने के नाते ही किसी जगह पर रेडियो स्टेशन नहीं खोला जा सकता है और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है ।

श्री सूर्य प्रसाद : क्या यह बात सही है कि भोपाल के राजधानी होने की वजह से वहां पर रेडियो स्टेशन खोला गया है और यह जो रकम थी यह ग्वालियर से ट्रांसफर करके भोपाल में खर्च कर दी गई ?

डा० केसकर : ग्वालियर के नाम पर कोई रकम नहीं रखी गई थी बल्कि मध्य प्रदेश में किसी योग्य स्थान में एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन खोलने की बात थी । भोपाल राजधानी है यह बात भी अवश्य ध्यान में रखने लायक थी । लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भोपाल ग्वालियर से ज्यादा मध्य प्रदेश के केन्द्र में है ।

यूरेनियम

*†१५८५. **श्री नरसिंहन् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम में यूरेनियम वाले शिला-खण्डों के होने का पता कब चला था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छिद्र कर इन निक्षेपों की खोज कब की जायगी; और

(ग) यहां किस किस्म के और कितने परिमाण में निक्षेप होने के प्रारम्भिक संकेत मिले हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली) :** (क) मद्रास राज्य के सैलम जिले में रेडियो-सक्रियता का पता पहली बार १९५६ में लगा था ।

(ख) और (ग). छिद्रण कार्य आरम्भ करने से पहले ब्यौरेवार भूतत्वीय कार्य करना आवश्यक है । अब तक जो जांच हुई है उससे यह संकेत मिले हैं कि छिद्रण करना उचित होगा और इसलिए छिद्रण-कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है । जब तक थोड़ा छिद्रण और विकास कार्य नहीं हो जाता तब तक यह बताना कठिन है कि यहां के निक्षेपों की किस्म और परिमाण कितना है ।

†**श्री नरसिंहन्** : सैलम जिले में यह ठीक-ठीक किस स्थान पर पाये गये हैं ?

†**श्री सादत अली खां:** यह क्षेत्र मद्रास राज्य के सैलम जिले में सूर्यमलई पर्वत माला के आंचलिक पर्वतों में और तिरुचेंगोदु तहसील में है ।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण में खाद्य की कमी

†**अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६. श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर्याप्त पोषण, खाद्य की बेहद कमी और आदिम जाति के लोगों का कष्ट से उद्धार करने के लिए चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण हाल में पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण के ह्यूलियांग की लोहित घाटी में १२० मिश्मी मर गये हैं; और

(ख) क्या बचे हुए लोगों के पास आगामी महीनों में निर्भर करने के लिए प्रायः कुछ भी नहीं है; और यदि हां, तो इस मसले को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' के आधार पर निबटाने और पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण के इन क्षेत्रों को भोजन और दवाओं की तत्काल सहायता भेजने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). हमें भूख अथवा अपर्याप्त पोषण से मृत्यु होने की कोई खबर नहीं मिली है । लेकिन उस इलाके में काफी खतरनाक किस्म के मलेरिया की भीषण महामारी फैली थी और २१ मार्च तक इससे ८० व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ।

पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण को इस महामारी की सूचना मिलते ही तत्काल उस क्षेत्र में अतिरिक्त चिकित्सा सहायता भेजी गयी थी । जिले के मेडिकल अफसर स्वयं अपनी देखरेख में व्यवस्था चलाने के लिए तेजू से ह्यूलियांग चले गये थे । तीन डाक्टर और दो कम्पाउण्डर आवश्यक चिकित्सा सामग्री के साथ उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और दूरवर्ती गांवों में मौके पर जाकर चिकित्सा सहायता देने के लिए चलते-फिरते चिकित्सा-दल संगठित किये गये हैं । दवाओं का अतिरिक्त स्टाक उस क्षेत्र में भेज दिया गया है । वह स्थान दुर्गम होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना सरल नहीं होता और इस से इस महामारी का सामना करने की कठिनाई और भी बढ़ गयी है । मैं यह भी बता दूं कि आसाम के मुख्य मंत्री और आसाम के राज्यपाल के परामर्शदाता फरवरी के

†मूल अंग्रेजी में

मध्य में तेजू गये थे और हालांकि उन्होंने बड़ी संख्या में लोहित घाटी के गांवों के नेताओं से भेंट की परन्तु किसी ने भुखमरी अथवा अपर्याप्त पोषण के कारण मृत्यु होने की शिकायत नहीं की है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान शिलांग से प्रकाशित होने वाले १९ मार्च के 'डेमोक्रेटिक-रिव्यू' में एक मिश्री, छब्बोसो किंग के हस्ताक्षर से प्रकाशित एक लेख की ओर आकृष्ट हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि १२० मिश्री भूख से मर गये हैं ? यदि यह बात सच नहीं थी तो पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण के प्रशासन ने शिलांग में तत्काल इस बात का खण्डन क्यों नहीं किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं यह तो नहीं कह सकता कि वहां के कुछ स्थानीय अखबारों में क्या छपा था । लेकिन हमें स्वयं मुख्य मंत्री तथा पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण के परामर्शदाताओं द्वारा जांच के बाद ये तथ्य दिये गये हैं और इस से उस बात का समुचित ढंग से खण्डन हो जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि वहां के स्थानीय अधिकारियों ने शिलांग में एजेंट के पास सर्वोच्च प्राथमिकता वाले संदेश भेजे थे लेकिन वे १९ मार्च तक अपने स्थान से नहीं हटे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं अपने उत्तर में बता चुकी हूं कि फरवरी में ही राज्यपाल, मुख्य मंत्री और राज्यपाल के परामर्शदाता उस क्षेत्र में गये थे ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या १९५० के भीषण भूकम्प के फलस्वरूप उस क्षेत्र में हो चुके बड़े स्थान-वृत्त सम्बन्धी परिवर्तनों का सरकार को पता है, और यदि हां, तो क्या सरकार स्थान वृत्तों में इन परिवर्तनों के फलस्वरूप और जैसा उपमंत्री ने बताया, यह स्थान अत्यन्त दुर्गम होने के कारण इन मिश्रियों को, जिनकी संख्या लगभग ५,००० है, फिर से बसाने वाली है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि उस क्षेत्र में चावल संतोषप्रद ढंग से और उचित मूल्य पर मिल रहा है, क्योंकि यह बात तो हमें भी मालूम है कि जनवरी और फरवरी में तो अधिक सुगम स्थानों में रहने वालों को ही इस सम्बन्ध में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था । इसलिए हम यह आश्वासन पाना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण की स्थिति बिल्कुल ठीक है और जहां तक खाद्य उपलब्ध होने का प्रश्न है वहां कुछ भी कठिनाई नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण क्यों समस्त भारत के ही विषय में यह बात कह सकना मेरे लिए मुश्किल है । पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण में यातायात कठिन है । हाल ही में इस में सुधार हुआ है । पहले थोड़ी ही दूर जाने में वहां हफ्तों लग जाते थे; अब भी सुधार हो जाने पर भी कठिनाइयां तो होती ही हैं और हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है, और कभी कभी विमानों से ले जाना पड़ता है । और ऐसा करने के प्रयास में वहां उड़ानों सम्बन्धी कठिन स्थिति के कारण हम अपने कई विमान गवां भी चुके हैं । लेकिन मेरा ख्याल है कि अब स्थिति कहीं अच्छी है । मुख्य रूप से हम वहां खाद्य का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि इस में और भी समय लगता है । संचार साधनों में सुधार और अधिक उत्पादन होने की वजह से वहां की दशा कहीं बेहतर है । लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि वहां की स्थिति बिल्कुल ठीक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र को पत्रकारों के लिए और भी सुगम बनाने वाली है ताकि वहां के समाचारों पर पडा लौह-आवरण हट सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम एक बात को छोड़कर दूसरी पर चले जा रहे हैं—यह प्रश्न इससे नहीं उत्पन्न होता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*१५७१. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना १९५८ के अन्त तक कितने फैक्टरी श्रमिकों पर लागू हो जाने की आशा थी; और

(ख) वास्तव में यह कितने कर्मचारियों पर लागू हुई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) १३.७५ लाख कर्मचारियों पर ।

(ख) १३.५६ लाख कर्मचारियों पर ।

कालिख[1] का उत्पादन

†*१५७५. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि भारत की आवश्यकता भर कालिख का उत्पादन करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है और उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** कालिख का उत्पादन आरम्भ करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार के आमंत्रण पर दो रूमानियाई विशेषज्ञ देश में आये थे और उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है । एक भारतीय फर्म भी देश में कालिख का उत्पादन करने के सम्बन्ध में एक प्रमुख अमरीकी फर्म से बातचीत चला रही है ।

"भारत-१९५८" प्रदर्शनी

†*१५७७. **श्री प्र० गं० देब :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'भारत-१९५८' प्रदर्शनी के बन्द हो जाने के फलस्वरूप कुल कितने व्यक्ति बेकार हो गये हैं; और

(ख) बेरोजगारी की इस समस्या के निबटारे के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) अब तक २३९ व्यक्तियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है । शीघ्र ही २७४ और व्यक्ति कार्यमुक्त किये जाने वाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Carbon Black

(ख) कार्यमुक्त किये गये और किये जाने वाले लोगों के लिए उपयुक्त नौकरी की व्यवस्था में सहायता देने के लिए सरकार के अधीन विभिन्न संगठनों और विभागों तथा विश्व कृषि मेले के आयोजकों को, जो शीघ्र ही होने वाला है, लिखा गया है ।

मेसर्स छगनलाल टेक्सटाइल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, चालीसगांव

†*१५८६. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व खानदेश जिले में चालीसगांव की मेसर्स छगनलाल टेक्सटाइल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में तब से सोमानी समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों के अधीन कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय नहीं क्यों कि खबर है कि यह मिल अब सन्तोषप्रद ढंग से चल रही है ।

जापान से नमक के बदले रसायनों का विनिमय

†*१५८७. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हम जापान से जिन रसायनों का आयात कर रहे हैं उसके बदले नमक का विनिमय करने के सम्बन्ध में जापान से चल रही द्विपक्षीय विनिमय वार्ता इस समय किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** यह मसला विचाराधीन है ।

खान निरीक्षणालय

†*१५८८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान निदेशालय को जितना काम निबटाना होता है उस के लिये उनके पास निरीक्षण करने वाले कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां ।

(ख) उपयुक्त उम्मीदवारों को आकृष्ट करने के लिये वेतनक्रम का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांस के साथ व्यापार-करार

†*१५८९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार-करार के बारे में भारत और फ्रांस की बातचीत पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). कुछ समन्वेषी बातचीत हुई है लेकिन अब तक कुछ भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†*१५९०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लगभग ९ लाख विस्थापित व्यक्तियों ने कोई अकर्म वेतन या पुनर्वास ऋण नहीं मांगा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की संभावना है कि सरकार अब मकान बनाने के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में उनके मामलों पर विचार करेगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी हां । उन व्यक्तियों की संख्या करीब-करीब इतनी ही है जिन्होंने सरकार से सहायता नहीं मांगी है ।

(ख) विभाजन के बाद ११ वर्ष बीत चुके हैं ; और यह महसूस किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों में से अब तक अधिकांश का पुनर्वास हो चुका होगा और उनको अब सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है । पुनर्वास और गृह निर्माण ऋणों के अलावा अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना आदि के ऐसे भी ऋण हैं जिनके अधीन ये लोग मकान बनाने के लिये ऋण ले सकते हैं । ऋण योजनाओं के अधीन मंजूर की गयी राशि अब तक तो शिविरों में न रहने वाले परिवारों के ही लाभ में गयी है । अब हमने शिविरों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की समस्या को सुलझाने के कार्य को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की है । इस समस्या के सुलझ जाने के बाद यदि धन उपलब्ध रहा तो उन परिवारों को, जिन्होंने अब तक ऋणों के लिये आवेदन नहीं किया है । मकान बनाने के लिये ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

†*१५९१. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने २० या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थापनों पर भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना को लागू कर देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). यह मसला विचाराधीन है।

पटसन मिलें

†२५२४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री भारत की विदेशी स्वामित्ववाली पटसन मिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६८]**

मोटर तथा वस्त्र उद्योग

†२५२५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रमिकों की हड़तालों के कारण १९५९ की पहली तिमाही में वस्त्र और मोटर उद्योग के उत्पादन में कोई कमी हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: हथकरघे के, ऊनी, नकली रेशम, पटसन और मोटर उद्योग में श्रमिकों की हड़तालों के कारण १९५९ की पहली तिमाही के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। ६ सूती कपड़ा मिलों में काम बन्द होने की बहुत ही छोटी-छोटी घटनायें हुईं लेकिन ये बहुत ही थोड़े समय---एकाध दिन---के लिये हुई थीं। इस कामबन्दी के कारण उत्पादन में जो कमी हुई वह नगण्य है।

त्रिचनापल्ली में मीडियम वेव एन्टेना मास्ट[1]

†२५२६. **श्री नंजप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में त्रिचनापल्ली के निकट मीडियम वेव के एन्टेनामास्ट (स्तम्भ) की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस में यदि कोई सुविधायें या विशेषतायें हों तो वह क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Antennamest.

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) त्रिचनापल्ली में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन ५० किलोवाट के जिस मीडियम वेव वाले ट्रांसमीटर की स्थापना की जा रही है उसके साथ उस स्थान पर ५६० फुट ऊंचे एक मीडियम वेव के स्वतः विकिरक[1] स्तम्भ (मास्ट) की स्थापना भी की जाने वाली है ।

(ख) किसी ट्रांसमीटर की रेडियो-फ्रीक्वेन्सी का शक्ति का विकिरण करने के लिये यह एन्टेना (एरियल) अत्यंत आवश्यक होता है । आधुनिक डिजाइन में स्तम्भ का उपयोग ही एन्टेना के रूप में कर लिया जाता है और यह डिजाइन दो स्तम्भों के बीच में एन्टेना को लटकाने के पुराने तरीके से सस्ता भी है । एन्टेना की ऊंचाई का भी महत्व होता है । एक सैद्धांतिक अधिकतम सीमा तक यह एन्टेना जितना ही ऊंचा होगा, मीडियम वेव के ट्रांसमीटर की ध्वनि उतने ही बड़े क्षेत्र में बिना ध्वनि मन्द हुए सुनी जा सकेगी ।

मैसूर में औद्योगिक बस्तियां

†२५२७. **श्री केशव :**
श्री सिदय्या :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना में यदि कोई प्रगति हुई हो तो वह क्या है ; और

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को कुल कितनी राशि आवंटित की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मैसूर द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में मैसूर, हरिहर, बंगलौर, रामनगरम्, गुलबर्गा, मंगलौर, बेलगाँव और हुबली में एक-एक अर्थात्, कुल आठ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने वाला है । मैसूर, बंगलौर, हुबली, बेलगांव और हरिहर की औद्योगिक बस्तियों में निर्माण कार्य चल रहा है । मैसूर वाली बस्ती में अब तक आठ शेड तो पूरे हो गये हैं और बंगलौर वाली बस्ती में निर्माण कार्य छत तक पहुंच चुका है । गुलबर्गा, मंगलौर और रामनगरम् वाली बस्तियों में अभी निर्माण कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है ।

औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक मैसूर सरकार के लिये २३.६० लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Self radiating .

मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करना

†२५२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों और कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते को बुनियादी तनखा में ही शामिल करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). इस बात का उत्तर वित्त मंत्री बाद की किसी तारीख पर देंगे।

दवाइयों के लिये रासायनिक पदार्थ

†२५२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दवाओं के लिये जिन रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उनके मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कुछ वर्ष पहले तक देश के औषधि निर्माता मुख्यतः भेषजों और रासायनिक पदार्थों का एकमुश्त आयात कर उनके विभिन्न मिश्रणों से औषधियां तैयार करते थे। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से सरकार बुनियादी स्तर से ही भेषजों के उत्पादन को बड़ा महत्व दे रही है। इस उद्योग का विकास उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ऐसे ढंग से विनियमित किया जा रहा है कि क्रमशः बुनियादी भेषजों का उत्पादन होने लगे, या यह योजना देश में ही उपलब्ध कच्चे माल पर या उन मध्यवर्ती उत्पादों पर आधारित हो जो सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले केन्द्रीय भेषज तथा मध्यवर्ती पदार्थों के कारखानों में तैयार होंगे।

यह आशा की जाती है कि देश तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिकांश भेषजों और रासायनिक पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भरता के निकट पहुँच जायेगा।

मोटर गाड़ी निर्माण केन्द्र

†२५३०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के मोटर गाड़ी निर्माण केन्द्रों की आवश्यकता के लिए पुर्जों आदि के निर्माण के मुख्य केन्द्र कहां-कहां हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मोटरगाड़ी के पुर्जों आदि के निर्माण के मुख्य केन्द्र बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बैंगलौर, पूना, दिल्ली, पटियाला तथा कई अन्य स्थान हैं।

फोटो वस्तुओं का आयात

†२५३१. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ और १९५८-५९ में कुल कितने मूल्य की फोटो वस्तुएं आयात हुईं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पुराने व्यापार वर्गीकरण के आधार पर १९५६-५७ (अप्रैल-दिसम्बर १९५६) में तथा पुनरीक्षित व्यापार वर्गीकरण के आधार पर १९५६-५७ (जनवरी-मार्च १९५७) और १९५८-५९ (अप्रैल-दिसम्बर

†मूल अंग्रेजी में

१९५८) में आयात की गई फोटो वस्तुओं का कुल मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ६९**] दिसम्बर १९५८ के बाद की जानकारी उपलब्ध है।

अफ्रीका के देशों में भारतीय

†२५३२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका के देशों में (देशवार) कुल कितने भारतीय रह रहे हैं ;

(ख) क्या अफ्रीका के देशों में रहने वाले भारतीयों से भी वर्ण भेद रखा जाता है; और

(ग) क्या वहां के भारतीयों का जीवन–स्तर उन देशों के अनुकूल हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय नहीं है। यद्यपि वहां भारतीय उद्भव के ४,३१,००० व्यक्ति हैं परन्तु भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं :

अफ्रीका के अन्य देशों में भारतीय राष्ट्रजनों सहित भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या निम्न है :

इथोपिया	२,०००
घाना	४७५
नाइजीरिया	३९०
सीयरा लियोने	१००
गम्बिया	५
लाइबेरिया	४०
कीनिया	१,६५,०००
टंगानीका	८०,९००
युगाण्डा	५८,७००
जंजीवार	१५,९००
पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका	६,०००
बेल्जियन कांगो और रुआन्डा उरुन्डी	२,०००
रोहडेशिया और न्यासालैंड फैडरेशन	२२,०००
संयुक्त अरब गणराज्य का मिस्री क्षेत्र	१४६
लीबिया	२७
मोरोक्को	६३०
ट्यूनीशिया	२०
अल्जीरिया	२३

उपरोक्त आंकड़े लगभग आंकड़े हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ देशों में वर्ण भेदभाव है। दक्षिण अफ्रीका की पृथकीकरण की नीति सर्व-विदित है। मध्य अफ्रीकी फीड्रेशन में भी अधिक भेदभाव है। कुछ अन्य देशों में भी कुछ भेदभाव है।

(ग) जीवन-स्तर में पर्याप्त अन्तर है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि साधारण रूप में भारतीय उन देशों के जीवन-स्तर के अनुकूल ही रहते हैं।

उड़ीसा में ग्राम आवास परियोजनायें

†२५३३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कौन-कौन गांव अब तक ग्राम आवास परियोजना योजना में सम्मिलित हुए हैं;

(ख) १९५८-५९ में कितने गांव विकास के लिए दिये गये हैं; और

(ग) १९५८-५९ में निर्धारित धन में से कितना धन व्यय हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) १९५८-५९ में ग्राम आवास परियोजना योजना के अधीन आवास परियोजनायें बनाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा चुने गये गांवों के नाम (और उन जिलों तथा खंडों के नाम जिनमें वे स्थित हैं) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ख) नामावलि में उल्लिखित सारे ६० गांव १९५८-५९ में विकास के लिए ले लिये गये हैं।

(ग) राज्य सरकार ने २,६५,००० रु० का ऋण लिया है और सारे ऋण को चालू वित्तीय वर्ष में बांटने की आशा रखती है।

नाइलोन का आयात

†२५३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन देशों से नाइलोन का आयात किया जाता है ;

(ख) उसका वार्षिक मूल्य क्या है; और

(ग) भारत में नाइलोन बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) नाइलोन का आयात मुख्यतया, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, बेलजियम, फ्रांस, इटली, जापान और अमरीका से होता है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि समुद्री व्यापार के खाते में नाइलोन के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निम्न उद्योगों को नाइलोन के निर्माण के लाइसेंस दिये गये हैं :--

उद्योग का नाम	क्षमता	राज्य
जे० के० विनियोग न्यास, कानपुर	४.८ लाख पौं० प्रति वर्ष	राजस्थान
मनूभाई इन्डस्ट्रीज, बम्बई	१६ लाख पौ० प्रति वर्ष	बम्बई

कर्म व उत्पादन समितियां[1]

†२५३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५९ तक केन्द्रीय क्षेत्र के कितने उपक्रमों में कर्म व उत्पादन समितियां बन गई हैं; और

(ख) उन के मुख्य कार्य क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) दिसम्बर, १९५८ तक १४। जिन उपक्रमों में कर्म समितियों (वर्क्स कमिटीज) की उपसमितियां उत्पादन समितियों के रूप में कार्य कर रही हैं उनकी संख्या ३२ है। ६४ उपक्रमों में स्वाधीन उत्पादन समितियां कार्य कर रही हैं। ये आंकड़े केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली तिमाही के हैं। ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त हुई तिमाही में ७०१ कर्म समितियां केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रही थीं।

(ख) कर्म समिति परिनियत निकाय है और इसका कार्य मालिकों तथा मजदूरों के बीच सद्भाव जागृत करना तथा बनाये रखना है। उत्पादन समिति परिनियत निकाय नहीं है और उत्पादन समस्याओं सम्बन्धी मामलों पर, जिन में मजदूरों की प्रत्यक्ष रुचि है, परामर्श करने के लिये बनाई गई हैं।

मूंगफली के तेल के कोटे

†२५३६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में मूंगफली के तेल के निर्यात के कोई अधिक कोटे मंजूर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) उन कोटा वालों को जो १९५८ में प्राप्त अपने बांट का प्रयोग कर लेते हैं उन्हें अपने कोटे के बराबर फिर बांट दे दिया जाता है।

सिंदरी फर्टिलाइज़र्स ऐण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†२५३७. { **श्री अरविंद घोषाल** :
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ४ वर्षों में कितने विशेषज्ञों ने सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के कार्य-संचालन का अध्ययन किया है;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Works-cum-production Committees.

(ख) उन की खोजें तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन की सिफारिशें लागू कर दी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) पिछले ४ वर्षों में किसी विशेषज्ञ ने सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के कार्य का अध्ययन नहीं किया है। भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता से सम्बद्ध योजना सम्बन्धी औद्योगिक प्रबन्ध गवेषणा एकक के तीन प्रतिनिधियों ने कुछ अध्ययन किया था।

(ख) तथा (ग). योजना सम्बन्धी औद्योगिक प्रबन्ध गवेषणा एकक प्रतिवेदन देश में अनेकों उद्योगों के अध्ययन के एक भाग के रूप में सिन्दरी के कार्य का पुनरीक्षण है तथा इस में कुछ मत व सिफारिशें हैं। मैसर्स सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड से प्रतिवेदन की जांच करने तथा इस बात पर विचार करने को कहा गया है कि की गई सिफारिशों से प्रबन्ध की कार्यकुशलता में कितनी वृद्धि होगी।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

†२५३८. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री प्रभात कार :
श्री इलयापेरूमाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद रक्षित करने के बारे में कोई निदेश दिया था;

(ख) क्या यह कार्यान्वित हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित योग्यता व अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण समवाय सरकार की उस सलाह को पूर्णरूपेण कार्यान्वित नहीं कर सका है जो १९५६ के अन्त में दी गई थी।

सूती कपड़ा मिलें

†२५३९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी सूती कपड़ा मिलें जो सूत और कपड़ा दोनों बना रहीं थीं अब केवल कपड़ा बना रही हैं ताकि कर से बच जायें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: कर से बचने की दृष्टि से कोई नहीं श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनसंख्या की नमूने की गणना

†२५४०: { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की जनसंख्या की वृद्धि तथा प्रव्रजन निर्धारित करने के लिये प्रति वर्ष मार्च और अप्रैल में जनसंख्या की नमूने की गणना करने का निश्चय किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अभी नहीं ।

मद्रास राज्य में कुम्बकोणम् में पीतल तथा धातु का कारखाना

†२५४१. **श्री इला पेरूमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य के कुम्बकोणम् नगर में तांबा तथा पीतल धातु कारखाने को १९५९-६० के लिये कितना धन दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों की पृथक-पृथक योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार कोई आवंटन नहीं करती । केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य का छोटे पैमाने के उद्योगों की विकास की योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष में समूचा आवंटन तथा केन्द्रीय सहायता की मात्रा निर्धारित करती है । तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० के लिये मद्रास सरकार को छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये ७४ लाख रुपये का (राज्य का अंश सहित) समूचा आवंटन किया है । इसमें से केन्द्रीय सहायता ४७ लाख रु० (४० लाख रु० का ऋण और ७ लाख रु० का अनुदान) की है ।

होटल के कर्मचारी

†२५४२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के विभिन्न होटलों में कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या होटल कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है; और

(ग) क्या होटल कर्मचारी किसी श्रम विधान के अन्तर्गत आते हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) नहीं ।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ तथा भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, १९२६ होटल कर्मचारियों पर लागू होता है । औद्योगिक व्यवसाय (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ भी उस प्रत्येक औद्योगिक संस्थापन पर लागू होता है जिसमें सौ या अधिक कर्मचारी हों । कुछ राज्यों

†मूल अंग्रेजी में

में वे दुकान तथा संस्थापन अधिनियमों के अन्तर्गत आते हैं। मद्रास में उन पर मद्रास भोजन-व्यवस्था संस्थापन अधिनियम लागू होता है ।

इन्दौर मिल के श्रमिकों को भविष्य निधि का लाभ

२५४३. श्री राम सिंह भाई : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राय बहादुर कन्हैयालाल भण्डारी मिल्स, इन्दौर के श्रमिकों को १९५७ से भविष्य निधि का लाभ नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). यह मिल दिसम्बर, १९४८ से मार्च, १९५७ तक बन्द था, और यह कर्मचारी प्रोविडेंट फंड कानून १९५२ के मातहत नहीं आता था। अगस्त १९५५ में, नंदलाल भण्डारी मिल्स, इन्दौर ने इसे खरीदा और पहली अप्रैल, १९५७ को चालू किया। इसमें करीब-करीब सभी नयी मशीनें लगाई गई और नये कर्मचारी, जिन में पहले के कुछ कर्मचारी भी होंगे, रखे गये। चूंकि यह "नया कारखाना" है, इसलिये पहली अप्रैल, १९५७ से तीन तीन साल के बाद यह प्रोविडेंट फंड कानून के अन्तर्गत आना चाहिये। फिर भी, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन की कोशिश से मिल ने पहली जनवरी, १९५९ से कर्मचारियों को प्रोविडेट फंड का लाभ देना शुरू कर दिया है ।

कपड़ा मिलों द्वारा विदेशी कपास का उपयोग

†**२५४४. श्री सिद्धनजंप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ अगस्त, १९५८ के समाप्त होने वाली कपास की फसल काल में कपड़ा मिलों ने कितनी विदेशी कपास का उपयोग किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ५.६६ लाख बैल ।

गैर सरकारी कारखानों में औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार

†**२५४५. श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५८ को गैर-सरकारी कारखानों में प्रति दिन काम करने वाले मजदूरों की औसत संख्या क्या थी ;

(ख) क्या यह सच है कि आजकल औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसाय में गिरावट की प्रवृति है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कारखानों में व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी भारतीय श्रम वर्ष-पुस्तक तथा भारतीय श्रम गजट में समय समय पर प्रकाशित होती है। ३१–१२–१९५८ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग). देश का समूचा औद्योगिक उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन का सामान्य देशनांक (मूल १९५१-१००) जो १९५६ में १३२.६ था १९५७ में १३७.१ हो गया एवं १९५८ के प्रथम नौ मासों का औसत देशनांक १४२.८ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५८ के व्यवसाय के पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है परन्तु जिस तारीख से अब तक उपलब्ध है उनमें व्यवसाय में गिरावट की प्रवृति नहीं है ।

'टंग्स्टन कारवाइड टिपस'

†२५४६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन फर्म 'टगंस्टन कारवाइड टिपस' बना रही है;

(ख) क्या 'टंगस्टन कारवाइड टिपस' के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चा माल हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस सामान से लाभ उठाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री :** (क) मैसर्स गस्टकीन विलिमस् लि०, कलकत्ता ।

(ख) तथा (ग). 'टंगस्टन कारबाइड टिपस्' के निर्माण के लिये मुख्य कच्चा माल 'कच्चा टंगस्टन' है और यह देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । हाल में ही सरकार ने एक प्रेस सूचना प्रकाशित की है जिसमें 'टंगस्टन कारबाइड' के निर्माण का क्षेत्र निर्धारित किया गया है तथा कहा गया है कि सरकार देश में उपलब्ध 'कच्चा टंगस्टन' से लाभ उठाने की निर्माण योजनाओं का स्वागत करेगी ।

कागज का आयात

†२५४७. **श्री चांडक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्तु विनियम के आधार पर कागज का आयात करने की कोई नीति बनाई है;

(ख) क्या सरकार निर्यात हो सकने वाली कपास के बदले कागज का आयात होने देगी; और

(ग) क्या सामान्य व्यापार इस नीति को अपना सकेगा अथवा राज्य व्यापार निगम या पुराने आयातकर्ता ही इसका प्रयोग करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ऐसे प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार किया जाता है ।

(ग) ऐसे सौदे प्राय राज्य व्यापार निगम द्वारा होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रकाशन विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति

†२५४८. { **श्री हीं० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग में अनेकों ऐसे अधिकारी हैं जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे तथा संघ लोक सेवा आयोग ने अभी तक उनकी पुष्टि नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे किन पदों पर हैं; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ये अधिकारी कब से अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ग). प्रकाशन विभाग में अधिकारियों के ऐसे कोई पद नहीं हैं जिन पर संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति के बिना व्यक्ति रखे जाते हैं। दो मामलों में, एक टैक्नीकल असिस्टेन्ट और दूसरे रिसर्च असिस्टेन्ट के मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग ने क्रमानुसार ३१-१२-१९५८ और ३०-६-१९५८ तक अस्थायी नियुक्ति करने की अनुमति दी थी वह अवधि समाप्त हो गई है तथा उन्हें स्थानापन्न करने या जारी रखने पर संघ लोक सेवा आयोग से पत्र व्यवहार हो रहा है।

प्रकाशन विभाग के निदेशक

†२५४९. { **श्री हीं० ना० मुकर्जी**
श्री तंगामणि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रकाशन विभाग के निदेशक (डायरेक्टर, पब्लिकेशन्स डिवीज़न) के पद पर नियुक्ति के लिये क्या आवश्यक अर्हतायें रखी हैं ; और

(ख) क्या इस पद पर नियुक्ति विज्ञापनों और उम्मीदवारों की संघ सेवा लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के आधार पर की जाती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) प्रकाशन विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये इस समय निम्नलिखित अर्हतायें आवश्यक हैं :

(१) पत्रिकाओं, पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के डिजाइन बनाने, उनको क्रम बद्ध करने और उत्पादन करने और उनका प्रकाशन करने का अनुभव और औरों को सिखाने की योग्यता।

(२) भारतीय और विश्व के मामलों का व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ज्ञान।

(३) किसी सरकारी विभाग या वाणिज्यिक विभाग में एक बड़े संगठन को चलाने में प्रबन्ध योग्यता और अनुभव।

(ख) यह पद संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भरा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केशोराम कॉटन मिल्स, कलकत्ता

†२५५०. **श्री काशी नाथ पांडे :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केशोराम कांटन मिल्स, कलकत्ता के प्रबन्धक ताला बंदी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). इस प्रश्न का विषय राज्य के अधिकार में आता है । सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार

†२५५१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हिमाचल प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों में १ मार्च, १९५९ को कितने ग्रेजुएट, इन्टर-मीडियेट और मैट्रिकुलेटों के नाम दर्ज थे, जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** १ मार्च, १९५९ की संख्या उपलब्ध नहीं है । ३१ दिसम्बर, १९५८ की स्थिति निम्न प्रकार है :

वर्ष	३१-१२-१९५८ तक दर्ज व्यक्तियों की संख्या जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है
ग्रेजुऐट	३१
इन्टरमीडियेट	२७
मैट्रिकुलेट	५८३ ।

बिजली के सामान का निर्यात

†२५५२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में ईरान, जापान और बहरीन को कुल कितना बिजली का सामान निर्यात किया गया ; और

(ख) निर्यात में वृद्धि करने के लिये और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) :

बहरीन	४६,१०० रुपये
ईरान	५,३०० रुपये
जापान	३५,४०० रुपय

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इंजीनियरिंग सामान के विदेशों को निर्यात में वृद्धि करने के लिये की गयी कार्यवाही संलग्न विवरण में दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ७१]** ।

दर्ज किये गये और नौकरी पर लगाये गये व्यक्ति

†२५५३. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अगरतला के काम दिलाऊ दफ्तर में शरणार्थी, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिकों के कितने नाम पृथक-पृथक रूप से दर्ज किये गये हैं ;

(ख) उसी कालावधि में कुल कितनी महिलाओं के नाम दर्ज किये गये ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अब तक रोजगार दिलाया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क)

१. विस्थापित व्यक्ति	३२८४
२. अनुसूचित जातियां	३८४
३. अनुसूचित आदिम जातियां	३११
४. भूतपूर्व सैनिक	५३१
(ख) महिलायें . . .	५३१

(ग) ४७४ ।

कपड़ा उद्योग के बारे में प्रलेखीय चलचित्र

†२५५४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे प्रलेखीय चल चित्र निकाले गये हैं जिन में कपड़ा उद्योग के विभिन्न पहलू दिखाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो फिल्म पर खर्च किसने किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७२]**

प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

†२५५५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में पंजाब राज्य में कितने स्थानों पर प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** १९५८–५९ में पंजाब राज्य में पठान कोट, गुडगांव और सोनीपत में तीन प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस जाने के लिये पासपोर्ट

†२५५६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में रूस के लिये कितने पासपोर्ट जारी किये गये ; और

(ख) इस समय रूस में कितने भारतीय आप्रवासी हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) १९५७, १९५८ और १९५९ में (फरवरी तक) भारत में पासपोर्ट देने वाले अधिकारियों ने रूस जाने के लिये क्रमशः १६४१, १९९१ और २३० पासपोर्ट दिये ।

(ख) इस समय रूस में भारतीय आप्रवासियों की कुल संख्या का अनुमान केवल ३ लगाया जाता है ।

जापान में भारतीय

†२५५७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में जापान जाने के लिये कितने पासपोर्ट जारी किये गये ; और

(ख) इस समय जापान में कितने भारतीय आप्रवासी हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १९५८ में भारत में पासपोर्ट देने वाले अधिकारियों द्वारा जापान जाने के लिये २३ . ५३ पासपोर्ट दिये गये ।

(ख) दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक जापान में भारतीय आप्रवासियों की कुल संख्या का अनुमान ६९५ लगाया जाता है जिस में बच्चे भी शामिल हैं परन्तु इस में थोड़े समय के लिये गये पर्यटक और दर्शक सम्मिलित नहीं हैं ।

सिन्दरी फ़र्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†२५५८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के विस्तार के लिये मशीनों के आयात पर १९५८–५९ में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** फरवरी, १९५९ के अन्त तक लगभग ७५ लाख रुपये ।

चमड़े के सामान का निर्यात

†२५५९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कुल कितने मूल्य का चमड़े का सामान निर्यात किया गया ; और

(ख) उस से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). वर्ष १९५८ में निर्यात किये गये चमडे के सामान का कुल मूल्य और उस से कमाई गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि १,९४,३९,००० रुपय थी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कागज का उत्पादन

†२५६०. **श्री का० च० जेना :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में भारत में विभिन्न कागज मिलों में लिखाई और मुद्रण के लिये विभिन्न प्रकार के कितने कागज का उत्पादन किया गया ;

(ख) उपरोक्त कालावधि में प्रत्येक राज्य को कितना कागज दिया गया ; और

(ग) कागज के उत्पादन के लिये कौन सा राज्य कच्चे माल का अधिक मात्रा में संभरण करता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) १९५६ और १९५७ में लिखाई और मुद्रण के कागज के पृथक पृथक आंकड़े नहीं रखे गये। १९५६, १९५७ और १९५८ में हुआ। कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :

वर्ष	कागज और गत्ते का कुल उत्पादन	लिखाई और मुद्रण कागज का उत्पादन	मुद्रण कागज का उत्पादन	लिखाई वाले कागज का उत्पादन
	(टनों में)	(टनों में)	(टनों में)	(टनों में)
१९५६ .	१९३,४००	१२३,०१०	—	—
१९५७ .	२०८,९५७	१२६,५१४	—	—
१९५८ .	२५१,३५६	१५४,४०७	९९,२४०	५५,१६७

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कागज के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(ग) कागज के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में बांस का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और १९५७–५८ में कागज मिलों द्वारा विभिन्न राज्यों से बांस की निम्न लिखित मात्रा उठायी गयी :

१. आन्ध्र प्रदेश	५४,१५०	टन
२. आसाम	२६,५००	,,
३. बिहार	६०,८४८	,,
४. बम्बई	२१,०००	,,
५. मध्य प्रदेश	७४,०१६	,,
६. उडीसा	११६,५००	,,
७. उत्तर प्रदेश	५१६	,,
८. पश्चिमी बंगाल	७,५००	,,
कुल	३६१,०३०	टन

†मूल अंग्रेजी में

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

२५६१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये स्थापित किये गये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने अभी तक अपने काम में क्या प्रगति की है ; और

(ख) न्यायाधिकरण का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ६० छावनी बोर्ड इस मामले से ताल्लुक रखते हैं। पक्ष में अपने बयान पेश कर रहे हैं। बहस समाप्त होने के बाद सुनाई शुरू होगी।

(ख) न्यायाधिकरण काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यह कहना इस वक्त संभव नहीं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†२५६२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना उड़ीसा में लागू है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस योजना के अधीन इस समय कितने औद्योगिक श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है ; और

(ग) उड़ीसा में उन कारखानों और औद्योगिक संस्थानों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस योजना को क्रियान्वित किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

'नेकेड अर्थ' नामक फिल्म

†२५६३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी विद्यार्थी संस्था, नई दिल्ली ने 'नेकेड अर्थ' फ़िल्म पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन को फ़िल्म सेंसर बोर्ड को भेज दिया गया है जो कि मित्र देशों और वहां के लोगों के बारे में गलत रूप से स्थिति बताने के लिये सम्बन्धित विदेशों को ध्यान में रखते हैं।

सौंडा कोयला खान में दुर्घटना

†२५६४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सौंडा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में जांच करने वाले रीजनल खान इंस्पैक्टर की क्या उपपत्तियां हैं;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या रीज़नल खान इंस्पैक्टर के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) दुर्घटना ज्वलनशील गैस के इकट्ठा हो जाने से, जिसका पता न लग सका, और धूम्रपान के परिणामस्वरूप उसमें आग लग जाने से हुई। सम्बन्धित व्यक्ति धुआं उठने से घबरा गये ।

(ख) कोयला खान विनियमों और भारतीय बिजली नियमों में निहित गैस वाली खानों के बारे में वैधानिक उपबन्धों को इस खान में लागू किया जा रहा है ।

(ग) प्रतिवेदन का सारांश निम्न प्रकार है :

खान अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सौंडा खान दो खानों में—सौंडा संख्या १ और सौंडा संख्या २—बंटी हुई है और प्रत्येक में एक प्रथम-श्रेणी का कोयला खान मैनेजर है। दुर्घटना सौंडा संख्या २ कोयला खान में सिरका सीम में भूमिगत कार्य करने के स्थान पर हुई। कोयला खान पर्याप्त और उचित रूप से अर्हता प्राप्त मैनेजर और पर्यवेक्षक कर्मचारियों के प्रभार में है ।

सिरका सीम गैस वाली नहीं होती है परन्तु पूर्वोपाय के रूप में, प्रबन्धकों ने खनन सरदारों को गैस का पता लगाने के लिये ज्वाला सुरक्षा दीप (फ्लेम सेफ्टी लेम्प) ले जाने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं। जांच करने वाले पदाधिकारी की उपपत्ति यह है कि दुर्घटना ज्वलनशील गैस में आग लगने के कारण हुई। उनके अनुसार, वहां पर धीरे धीरे वायु में ज्वलनशील गैस इकट्ठी हो गयी और इस इकट्ठी हुई गैस को उन खनिकों द्वारा जलाया गया जो अधिकारियों की आज्ञा से वहां पर कोयला काटने गये थे। आग धूम्रपान के कारण लगी और वहां से प्राप्त माचिस और 'चट्टियों' से यह बात पूर्णतः सिद्ध हो जाती है ।

कोयला खान विनियमों, १९५७ के विनियम १४७ में इस बात की व्यवस्था है कि जिस किसी भी खान पर विनियम १२२ (२) और १४४ लागू होते हैं, वहां भूमि के नीचे किसी भी निषिद्ध वस्तु को ले जाने न दिया जाये। यद्यपि विनियम १२२(२) और १४४ इस खान पर लागू नहीं होते, तथापि बन्धकों ने पूर्वोपाय के रूप में खान में सुरक्षा दीपों (सेफ्टी लैम्प्स) का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था। सुरक्षा दीपों के प्रयोग के अनिवार्य बनाये जाने पर विनियम १४७ के अन्तर्गत निषिद्ध वस्तुओं और धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाना स्वाभाविक ही था। परन्तु प्रबन्धकों ने भूमि के नीचे निषिद्ध वस्तुयें ले जाने और धूम्रपान को नहीं रोका। अतः जांच पदाधिकारी ने दुर्घटना की जिम्मेवारी प्रवन्धकों पर लगाई है यद्यपि उन्हें किसी भी वैधानिक उपबन्ध का उल्लंघन करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत का अंशदान

†**२५६५. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सात वर्षों में, पृथक पृथक रूप से, संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे सम्बद्ध यूनिटों के बजट में भारत ने कितना कितना अंशदान किया ;

(ख) भुगतान में जो वृद्धि हुई है, वह किन सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित की गयी है ;

(ग) १९५९–६० के आय-व्ययक प्राक्कलन में इस मद के अन्तर्गत इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) संयुक्त राष्ट्र के आय-व्ययक में १९५२ से १९५८ तक, सात वर्षों में, भारत का अंशदान निम्न प्रकार है :

वर्ष	रुपये
१९५२	६८,०२,२३२
१९५३	६९,०९,७०२
१९५४	७८,२४,०९५
१९५५	६३,७९,०९८
१९५६	६०,७४,१४८
१९५७	६३,७८,३४७
१९५८	५०,९८,७०३

संयुक्त राष्ट्र के विशेषित एजेंसियों के बारे में हमारे अंशदान के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और ये शीघ्र ही बता दिये जायेंगे ।

(ख) सदस्य राज्य आय-व्ययक में अंशदान उक्त दर के अनुसार करते हैं जो जनरल असेम्बली द्वारा सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है ; अंशदान समिति सिफारिश करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखती है :

(१) तुलनात्मक राष्ट्रीय आय के अनुसार, भुगतान करने की क्षमता है ;

(२) प्रति व्यक्ति तुलनात्मक आय ;

(३) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का अस्थायी रूप से अस्त-व्यस्त होना ;

(४) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की सदस्य राज्य की क्षमता ।

प्रति व्यक्ति कम आय वाले देशों को विशेष सहायता दी जाती है ।

१९५२ से संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे अंशदान की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्रतिशतता
१९५२	३.५३
१९५३	३.४५
१९५४	३.४०
१९५५	३.३०
१९५६	३.२५
१९५७	२.९७
१९५८	२.९०
१९५९–६१	२.४६

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के आय-व्ययक में भारत के अंशदान की प्रतिशतता धीरे धीरे कम हो रही है । तथापि, दी जाने वाली कुल धन राशि किसी विशेष वर्ष में संयुक्त राष्ट्र के आय-व्ययक के कुल आकार पर निर्भर करती है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५९–६० के आयव्ययक प्राक्कलन में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि १९५९ में पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र आपात बल के व्यय में भारत के अंश के रूप में ६२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सरकार द्वारा आश्वासनों पर की गई कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) प्रथम विवरण — सातवां सत्र, १९५९
[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४ — छठवां सत्र, १९५८
[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७४]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ८ — पांचवां सत्र, १९५८
[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७५]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७ — चौथा सत्र, १९५८
[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७६]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९ — तीसरा सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७७]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २३ — दूसरा सत्र, १९५७
[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७८]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : श्री राज बहादुर की ओर से मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५७–५८ के लिये हिन्दुस्तान शिप-यार्ड (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षक लेखे सहित, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्कालय में रखी गई । देखिए एल० टी० १३२७/५९]

रबड़ नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाली दिनांक १४ मार्च, १९४९ की विज्ञप्ति संख्या जी० एस० आर० ३०८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० १३२८/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय—चिकित्सा सेवायें—भाग २ के बारे में प्राक्कलन समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानो कीं मांगें

इस्पात, खान और इंधन मन्त्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा पुनः जारी होगी । श्री बोस अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री प्र० चं० बोस** (धनबाद) : मैं कल तेल तथा गैस विभाग के सम्बन्ध में कह रहा था । इसका कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा होता है । आयोग ने गैस और तेल के लिये समस्त देश में छानबीन की है । जो खोज की गई है उसके लिये आयोग प्रशंसा का पात्र है । आसाम तथा ज्वालामुखी क्षेत्र में काफी मात्रा में गैस और तेल मिला है । परन्तु आयोग के समक्ष उपकरण सम्बन्धी कठिनाइयां हैं । यदि पर्याप्त उपकरण उपलब्ध होते तो आयोग अधिक कार्य कर सकता था । तेल और गैस की खोज का कार्य बहुत कठिन है इसलिये आयोग ने जो कार्य किया है वह अत्यन्त श्रेयस्कर है ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : मैं केवल मंत्रालय के इस्पात विभाग के सबध में कुछ निवेदन करना चाहता हू । यह कहा गया है कि गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के संबंध में पक्षपात पूर्ण नीति अपनाई गई है । श्री नाथ पाई और श्री मुरारका न इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों और ब्याज-मुक्त ऋणों की आलोचना की ।

पहले मैं प्रतिधारण मूल्य के प्रश्न को लूंगा । पिछले अक्टूबर में मंत्रालय ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रतिधारण मूल्यों में वृद्धि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया था । इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया । वास्तविक स्थिति यह है कि इस्पात के सम्बन्ध में १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९६० त क के समय के लिये लागू प्रतिधारण मूल्यों की वर्तमान योजना की सिफारिश प्रशुल्क आयोग ने अपने ३० नवम्बर, १९५५ के प्रतिवेदन में की थी जिसे सरकार ने अपने १ फरवरी १९५६ के संकल्प द्वारा मंजूर किया था ये प्रतिधारण मूल्य इस प्रकार निश्चित किए गए थे कि प्रमुख उत्पादकों को उत्पादन सम्बन्धी विविध व्यय करने के पश्चात् अपने विस्तार कार्य-क्रम के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो सके । सरकार ने अपने संकल्प में यह भी कहा था कि उत्पादन व्यय में वृद्धि होने के कारण इन मूल्यों का समय समय पर समायोजन किया जा सकेगा । इसी प्रकार का एक उपबन्ध भारत सरकार द्वारा २३ जून, १९५५ को 'टिस्को' के साथ किए गए करार में भी रखा गया है । निर्धारण मूल्य में वृद्धि के संबंध में प्रशुल्क आयोग के २४ मई, १९५८ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को सरकार ने इसी उपबन्ध अनुसार मंजूर किया है । इसलिए उस में कोई अनौचित्य नहीं है ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : आयोग से केवल भविष्य के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कहा गया था । फिर इन मूल्यों को भूतलक्षी प्रभाव क्यों दिया गया ? सरकार के निर्देश पत्र में केवल भविष्य के संबंध में जांच का उल्लेख था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सोमानी** : माननीय सदस्य की यह आपत्ति ठीक नहीं है। स्थिति इस प्रकार है कि भारत सरकार ने जब आयोग को निर्देश किया था तो उसका तात्पर्य १९५५–५९ की अवधि से ही था। इसलिए वास्तव में उसे भूतलक्षी नहीं कहा जा सकता। मुख्य प्रश्न तो सिद्धांत का है। जब सरकार उत्पादन के मूल्य में वृद्धि के कारण निर्धारण मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार कर लेती है तो इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि उसे लागू कब से किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि इस वृद्धि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाता तो भविष्य के उत्पादन पर अधिक वृद्धि मंजूर करनी पड़ती।

यह धारणा भी गलत है कि प्रशुल्क आयोग ने मूल्य निर्धारण करने में बहुत उदारहृदयता से काम किया है। मुझे स्वयं आयोग के कार्य संचालन का अनुभव है। उसकी प्रक्रिया इतनी कठोर और व्यापक है कि उस में गलती होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि आयोग ने विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने में नर्मी की है।

†**श्री मुरारका** : मैं पुनः कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस प्रकार काम नहीं चल सकता। मेरा विचार है कि इस प्रकार प्रत्यक मांग पर सामान्य चर्चा के बजाए जैसे ही सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त हो सारे बजट को सकल सभा समिति को निर्दिष्ट कर देना चाहिए। वह समिति अपनी उपसमितियां बना सकती है। प्रत्येक उपसमिति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकर इस प्रकार के मामलों पर विचार कर सकती है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की सिफारिशें उनके समक्ष रखी जा सकती हैं और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रेस प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसके संबंध में विचार करें।

जहां तक वर्तमान विषय का संबंध है मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अब कोई माननीय सदस्य बीच में प्रश्न न करें।

†**श्री सोमानी** : मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं इस सारे मामले —टाटा इस्पात के संबंध में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के निर्णय–की जांच की जाए ताकि माननीय सदस्यों के सन्देह दूर हो सकें।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान टाटा इस्पात कम्पनी व भारतीय लोह तथा इस्पात कम्पनी द्वारा वितरित किए जाने वाले लाभाशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये कम्पनियां सरकार के निदेश के अन्तर्गत लाभांशों के सम्बन्ध में बड़ी कठोर नीति का अनुसरण कर रही हैं और इस बात का प्रयत्न कर रही हैं कि उन के विस्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय नीति के अनुसार क्रियान्वित किए जा सक। इसलिए इस प्रकार की धारणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिये ताकि मंत्रालय ने इस उद्योग के संबंध में कोई विशेष उदारता का प्रदर्शन किया है।

इस के बाद मैं इन कम्पनियों को दिए गए ब्याज-मुक्त ऋणों के प्रश्न पर आता हूं जिसका निर्देश श्री नाथ पाई ने किया। इन ऋणों का एक लम्बा इतिहास है। संभवतः १९५२ के प्रारंभ में 'टिस्को' ने सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिस में अपने विस्तार कार्यक्रम के लिए १०० रुपए प्रति टन की वृद्धि की मांग रखी गई थी। सरकार ने मूल्य में वृद्धि मंजूर की और इस प्रकार जो अधिक राशि मिली वह सरकारी कोष में जमा की गई तथा उस कोष में से ये

---

†मूल अंग्रेजी में

ऋण दिए गए हैं। इस प्रकार वास्तव में वह रुपया उन कम्पनियों का ही है। इस के अतिरिक्त उसके ब्याज-मुक्त होने के कारण विश्व बैंक ने उसे समन्याय पूंजी माना है और इस से उन कम्पनियों को उस संस्था से वित्तीय सहायता मिलने में आसानी हुई है। फिर यदि ब्याज लिया भी गया तो वह राजस्व-व्यय होता और उसके लिए सरकार को निर्धारण मूल्य में वृद्धि मंजूर करनी पड़ती। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करने के पश्चात् ही इस प्रकार व्याज-मुक्त ऋण दिये हैं। अतः उस में पक्षपात का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इसके पश्चात् मैं सरकारी उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में कही गई इस बात से सहमत हूं कि सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक भी इस्पात परियोजना प्रारंभ न कर के बहुत गलती की है। उस अवधि में दूसरी योजना काल से ४० से ५० प्रतिशत कम लागत आती। इसके अतिरिक्त शेष दो परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुभव भी प्राप्त हो जाता।

तीनों इस्पात परियोजनाओं को एक साथ प्रारंभ करना बहुत कठिन कार्य है। उस कठिनाई को देखते हुए हमें मंत्रालय के उत्तरदायित्व का भार समझना चाहिये अन्यथा मंत्रालय के प्रति न्याय नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब इन संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का आदेश किया गया था उस समय गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की दो बड़ी कम्पनियां भी अपना विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ कर चुकी थीं। इसलिए मंत्रालय के समक्ष संसाधनों और प्रविधिक कर्मचारियों की बहुत बड़ी कठिनाई थी।

फिर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ये संयंत्र ऐसे स्थानों में बनाए जा रहे हैं जहां आवश्यक सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। और भी अनेक कठिनाइयां हैं जिसका सामना मंत्रालय को करना पड़ रहा है। इसलिये जब हम मंत्रालय के कार्य की आलोचना करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रख कर ही वैसा करना चाहिए।

इन परियोजनाओं के संबंध में सब से प्रमुख आरोप मूल प्राक्कलनों में वृद्धि का है। यह ठीक है क्योंकि पहले इनका अनुमान ३५३ करोड़ रुपये का था जो अब लग भग ५६० करोड़ रुपये के हो गया है। यह वृद्धि वास्तव में बहुत अधिक है। परन्तु हमें यह भी तो देखना चाहिए कि इतनी वृद्धि हुई क्यों? यह बताया गया है कि परियोजनाओं में बहुत सी नई बातें सम्मिलित की गईं। यदि मूल ब्यौरा ही रहता तो बहुत सी वृद्धि बच जाती। परन्तु इन परिवर्तनों को स्वीकार करके मंत्रालय ने अच्छा ही किया क्योंकि उन में कुछ अधिक व्यय अवश्य होगा परन्तु इन एककों का कार्य अधिक अच्छा हो सकेगा।

इस प्रकार एक बार तो गलती हो चुकी और पुनरीक्षित प्राक्कलन रखे जा चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि इन पुनरीक्षित प्राक्कलनों में तो फिर उतनी ही वृद्धि नहीं होगी? माननीय मंत्री ने कहा है कि इसकी कोई संभावना नहीं है। यदि मंत्रालय पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार कार्य करने में सफल होता है तब तो उनका औचित्य सिद्ध हो सकेगा। परन्तु यदि इन में भी बहुत अधिक वृद्धि होती है तो वह एक गंभीर बात होगी।

जहां तक विलम्ब का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में भी कभी कभी वैसा हो जाता है जिसकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। टाटा कम्पनी और भारतीय इस्पात कम्पनी भी अलग अपना विस्तार कार्यक्रम समयानुसार पूर्ण नहीं कर सकीं। इसलिए सरकारी उद्योग क्षेत्र के महत्वाकांक्षी कार्य क्रम में यदि कुछ विलम्ब हो गया तो वह अक्षम्य नहीं। श्री नाथ पाई ने इसके लिए आई० सी० एस० अधिकारियों को दोषी ठहराया और अनेक प्रकार की बातें कही गई।

[श्री सोमानी]

मेरे विचार से ऐसा करना अनुचित है। जिस प्रकार का कार्य था उस में गलतियां होना अनिवार्य था। वरन् मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यदि वे न होती तो एक आश्चर्यजनक बात ही होती।

कल अनेक प्रकार की बातें कही गईं। यह कहा गया कि सरकारी उद्योग क्षेत्र के विरुद्ध षड़यन्त्र रचा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आरोपों को प्रमाणित किया जाना चाहिए अन्यथा इस प्रकार की बातें नहीं कही जानी चाहिए। यदि कल जैसा निराशाजनक चित्र उपस्थित किया गया था वह सच हो जाए तो समस्त सरकारी उद्योग क्षेत्र ठप्प हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिए क्योंकि उन से जनता यह समझेगी कि इन परियोजनाओं पर व्यर्थ व्यय किया जा रहा है।

जहां तक संगठन का प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मंत्री को इन इस्पात संयंत्रों का संगठन वाणिज्यक आधार पर करना चाहिए। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इन सुझावों की विस्तृत छानबीन करे और इन परियोजनाओं का प्रशासन वाणिज्यिक आधार पर करने की कार्यवाही की जाए।

सरकारी उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रशासकीय यंत्र के सम्बन्ध में हाल के वर्षों में काफी सुझाव दिये गये हैं। उनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। इसलिये मंत्रालय को चाहिये कि इन सुझावों पर ध्यान दे और इस प्रकार कार्य करे कि इस प्रकार की आलोचनायें न हों।

मंत्री जी ने इस्पात के सम्बन्ध में बड़े उज्ज्वल भविष्य का चित्र प्रस्तुत किया है। अभी हमारा उत्पादन २० लाख टन है जो ४५ लाख टन हो जायेगा। मंत्रालय को चाहिये कि वह इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। मुझे सीमेंट का अनुभव है इसलिये मैं यह चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसा न हो कि हम अपने उत्पादन का पूरी तरह उपयोग न कर सकें।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मैंने जो कुछ कहा वह किसीकी आलोचना के रूप में नहीं कहा है। मैं स्वयं चाहता हूं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र का कार्य ठीक हो परन्तु कल जिस प्रकार का चित्र उपस्थित किया गया था उसको देखते हुये मुझे कुछ कहने के लिये विवश होना पड़ा।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : माननीय सदस्य के भाषण से ऐसा प्रतीत होता था जैसे मैंने सरकारी नौकरों पर आक्षेप किया हो। वस्तुतः मैंने केवल एक उदाहरण दिया था कि क्या यह उचित है कि ऐसा सौदा करने के लिये जिसमें ९० करोड़ रुपये की राशि अन्तगस्त हो, केवल एक सरकारी नौकर यहां से जर्मनी भेजा जाय। प्राक्कलन समिति ने भी यही कहा है कि ५६० करोड़ रुपये के लागत के इस्पात परियोजनाओं का प्रशासन मुख्यतः दो चार अधिकारियों पर निर्भर है, उन्हें भी किसी प्रकार का उद्योग सम्बन्धी अनुभव नहीं है। प्राक्कलन समिति ने यह भी सिफारिश की है कि हमें केवल असैनिक (सिविल) अधिकारियों पर निर्भर न रह कर योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी चाहिये।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** (रायबरेली) : मैं मांग संख्या ८३ की कुछ गलतियों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय की मांगों के सम्बन्ध में पृष्ठ १२ में १९५८-५९ में ३९० अधिकारियों के लिये पुनरीक्षित अनुमानित व्यय ११,९५,५००

†मूल अंग्रेजी में

रु० रखा गया है। १९५९-६० में अधिकारियों की संख्या ३३६ दिखाई गई है लेकिन उनके लिये बजट में १८,८६,००० रु० का उपबन्ध किया गया है। इसी प्रकार २८५० व्यक्तियों के संस्थापन के लिये १९५८-५९ में १३,२४,००० रुपये रखे गये हैं १९५९-६० में कर्मचारियों की संख्या तो कम हो कर २२२२ रह गई है लेकिन उनके लिये बजट में रखी गई राशि बढ़ कर २३,८८,००० रुपये हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मुद्रण की गलती तो नहीं है

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इसे ध्यान में रखें और उचित समय में इसका उत्तर दे देवें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : श्री सोमानी ने जिस प्रकार मंत्रालय का पक्ष लिया उसे देखना मनोरंजक बात थी। लेकिन उनके अन्तिम वाक्य से उनका आशय स्पष्ट हो गया। वे चाहते थे कि देश में अन्य इस्पात संयंत्रों की स्थापना न की जाय। मेरे विचार से उन्होंने यह नतीजा सीमेंट से निकाला है। वस्तुतः यदि गैर सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के सम्बन्ध में सच्ची प्रतिद्वंदिता होने लगे और सीमेंट के भाव गिर जायं तो सीमेंट के उत्पादन की जो अधिकता ज्ञात हो रही है वह सब समाप्त हो जाय।

अभी हाल से यह आवाज उठाई जाने लगी है कि इस्पात का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो जायेगा। यह आवाज टाटा, बीरेन मुकर्जी और श्री सोमानी इत्यादि उठा रहे हैं जो सरकारी क्षेत्र की प्रगति नहीं चाहते हैं वास्तविकता तो यह है कि यदि इस्पात के मूल्यों को कम रखना संभव हुआ तो इसकी मांग की हमारे देश में कोई सीमा नहीं रहेगी। हां उसके उत्पादन में निस्संदेह मित-व्ययिता करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस सम्बन्ध में श्री सोमानी ने कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया है। हम सरकारी क्षेत्र की आलोचना इसलिये नहीं करते कि हम इसके विरोधी हैं अपितु हम चाहते हैं कि उसकी समृद्धि हो। तथापि हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र नया सामाजिक दृष्टिकोण अपनायें और मितव्ययिता से काम लें। अब मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसका कार्य देश के भावी विकास से बहुत सम्बन्ध रखता है वस्तुतः इस मंत्रालय के कार्य की सफलता पर ही हमारे देश की समृद्धि निर्भर है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस मंत्रालय को विच्छिन्न कर तीन मंत्रालय बना दिये जायें जिससे कार्य अधिक कुशलतापूर्वक चल सके।

आंकड़ों को देखने से यह भी पता चलता है कि प्रशासन कितना महंगा है। और अधिकारियों तथा तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज्यादा अन्तर है। इतना अन्तर रहना अनुचित है। एक ही मंत्रालय के अन्दर कर्मचारियों के वेतन में बहुत अन्तर है। मेरा सुझाव यह है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाय लेकिन उनके वेतनों में इतना अन्तर रखना अनुचित है।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस्पात के सम्बन्ध में यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर हो रही है। पहिला कारण यह है कि हम इस समय ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से हम अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों पर दृष्टिपात कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

दूसरा कारण यह है कि एक ओर हमारे इस्पात उद्योग का विकास हो रहा है और दूसरी ओर हमारे सामने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संकट है अतः हमें बहुत सावधानी से अपने संसाधनों का प्रयोग करना है। तीसरा कारण यह है कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं। मुझे दुःख है

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में इस बात का संकेत किया है कि हम इस समय आधे रास्ते में हैं अतः हम अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से ऐसा विचार भयावह है। हमें तत्काल अपनी त्रुटिपूर्ण नीतियों का परिवर्तन करना चाहिये।

हमारी अधिकांश कठिनाइयां हमारी दो बुनियादी गलतियों के कारण पैदा हुई। पहिली गलती हमारे द्वारा किये गये समझौतों और ठेकों के फलस्वरूप हुई जिससे विदेशियों ने खूब लाभ उठाया। दूसरी गलती हमारी यह थी कि हम उन पर बहुत अधिक निर्भर रहने लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है विदेशी कारीगरों पर बहुत अधिक निर्भर रहना छोड़ देंगे तो हम अपना कार्य अधिक कुशलतापूर्वक कर सकेंगे।

अतः हमें योजना बनाते समय, उसका समन्वय करते समय, स्वदेशी कच्चे माल, देश के टेक्नीकल कर्मचारी इत्यादि का ध्यान रखते हुये पूर्व वर्तिता निश्चित करनी चाहिये। वास्तव में तथ्य तो यह है कि गैर सरकारी कम्पनियां यथा क्रप डीमग इत्यादि हमारे राष्ट्र हित का कभी विचार नहीं कर सकते हैं इसी कारण भिलाई में काम अधिक अच्छी तरह चल रहा है। कारण यह है कि वहां सरकारी आधार पर कार्य किया जा रहा है। यद्यपि वहां विदेशी विशेषज्ञों की संख्या कम नहीं है तथापि यदि सरकार उनकी संख्या कम करना चाहे तो उन्हें चले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वे लोग देशी टेक्नीशियनों को काम भी सिखा रहे हैं और वहीं एक ऐसा संयंत्र है जिसमें शुरूआत से ही भारतीय अधिकारियों के प्रभार में काम होने लगा है।

इसके विपरीत दुर्गापुर में बिल्कुल दूसरे प्रकार का वातावरण है। प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में विस्तार से नही लिखा है तथापि वहां के ठेके देने में भी बड़ी गलतियां की गई हैं। उदाहरणार्थ समझौते के अनुसार वे केवल संयंत्र का निर्माण करेंगे उसे चालू करने के लिये दूसरा पृथक समझौता करना होगा। इसी प्रकार समझौते के अनुसार वे हमारे इंजीनियरों को टेक्नीकल जानकारी देने को बाध्य नहीं हैं। वहां का वातावरण भी ऐसा कलुषित है कि अंग्रेज लोग अभी तक अपने को वहां का लाट साहब समझते हैं और भारतीयों से हीनता का व्यवहार करते हैं। वहां के महाप्रबन्धक एक पुराने आई० सी० एस० पदाधिकारी हैं। लेकिन वे व्यवहार कुशल होते हुए भी दब्बू प्रकार के हैं, इससे वहां के अंग्रेज इंजीनियर उन पर हावी रहते हैं। जो भी सदस्य वहां गये हैं या जिन्होंने वहां का दौरा किया है उन्हें यह बात अच्छी तरह ज्ञात है। वहां के भारतीय इंजीनियरों तथा टेक्नीकल कर्मचारियों से बातें करके ज्ञात हो जाता है कि वहां उनके साथ किस प्रकार लज्जाजनक व्यवहार किया जा रहा है। वस्तुतः हमने विदेशी विशेषज्ञों को अपने सर चढ़ा लिया है। उदाहरणार्थ इस्पात परियोजनाओं के सम्बन्ध में आई० सी० सी० हमारे टेक्नीकल परामर्शदाता हैं। हम उन्हें करोड़ों रुपये दे रहे हैं। लेकिन दुर्गापुर की बुनियादें गलत हो गई हैं। यदि उन से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वे उसका सीधा उत्तर नहीं दे सकते हैं बल्कि उसे पुनः इसकोन के पास भेज देते हैं। इसलिये ऐसे परामर्शदाता फर्म को नियुक्त करने से लाभ ही क्या है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे भारतीय टेक्नीशीयन विदेशी विशेषज्ञों से कहीं अच्छे हैं। हमें इन सब बातों पर अभी विचार करना चाहिये क्योंकि हमें अपने सीमित संसाधनों से अधिकाधिक लाभ उठाना है। मुझे ज्ञात हुआ है हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड तीनों इस्पात संयंत्रों का पूरी क्षमता में विकास करने के सम्बन्ध में योजना बना रहा था लेकिन इसकोन और आई० सी० सी० ने ठीक इसके विपरीत परामर्श दिया। जिसे हिन्दुस्तान स्टील के निदेशकों ने स्वीकार कर लिया। क्या यह राष्ट्रहित विरोधी बात नहीं है। इतना ही नहीं अन्य ऐसी बातें स्वीकार की जा रही हैं जिससे हम अपने संयंत्रों से पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे उदाहरणार्थ हम पिघलाने के लिये डयूप्लेक्स

पद्धति के स्थान पर डेसीलिकोनाइजिंग प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं इस में पिघलाने की दर २० टन प्रति घंटा है जब कि आधुनिक मिलों में यह गति ४० से ४५ टन प्रति घंटा होती है। इसी प्रकार दुर्गापुर संयंत्र में ऊंचे दबाव की धमन भट्टी के निर्माण का कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया जब कि धमन भट्टी से अधिकतम निर्माण करने के लिये इसे आवश्यक समझा जाता है। हमारे यहां बहुत बड़ी मात्रा में अयस्क उपलब्ध हैं अतः एक सिन्टरिंग संयंत्र लगाना अधिक अच्छा रहता लेकिन इसके स्थान पर हमने अयस्क मिश्रण संयंत्र (और मिक्सिंग प्लांट) लगा दिया है। जिसके फलस्वरूप हमें दुर्गापुर में तीन धमन भट्टियों के लिये १८ करोड़ रुपये देने पड़े हैं।

इन सब बातों से मेरा तात्पर्य यह है कि हमें विदेशी विशेषज्ञों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस समय हमारी विदशी मुद्रा स्थिति बहुत खराब है अतः हमें चाहिये कि हम भारतीय विशेषज्ञों को अधिक प्रोत्साहन दें।

दूसरे मैं यह चाहती हूं कि हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड में इस्पात टक्नालाजी के जानकार इंजीनियर का रहना आवश्यक है जिस से वह टेक्नीकल बातों के संबंध में सलाह दे सकें। भारत सरकार को यह चाहिये कि वह भारतीय परामर्शदाता फर्म को भी प्रोत्साहित करे। हमें ज्ञात हुआ है कि भारत में भी एक ऐसी परामर्श दाता फर्म है उसका एक सदस्य टेक्नीकल क्रोआपरेशन मिशन का विशेषज्ञ है तब भला हम उन से सलाह क्यों नहीं ले सकते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम विदेशी टेक्नीकल विशेषज्ञों के बिना भी अपना काम चला सकते हैं। अभी निसंदेह हम इस स्थिति में नहीं हैं। तथापि हमें अपने विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियरों पर अधिक भरोसा करना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि संयंत्र के किसी उच्च टेक्नीकल पदाधिकारी को भी बोर्ड में शामिल किया जाय और हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य कार्यालय दिल्ली के स्थान पर किसी एक संयंत्र के निकट बनाया जाय। रूपांतन संगठन पर भी हमें पर्याप्त ध्यान देना है। हम वस्तुतः विदेशी विशेषज्ञों से इतने अभिभूत हो गये थे कि हमने उन से टेक्नीकल जानकारी सीखने के संबंध में अधिक विचार नहीं किया तथापि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं चाहती हूं कि रूपांकन विभाग का सर्वांगीर्ण विकास किया जाय तथा वह केवल नकशे बनाने का ही कार्य न कर संयंत्र की योजना संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों के समायोजन का कार्य न करें। इसका प्रचार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाये जिस में धातु संबंधी समुचित जानकारी हो और इसे हिन्दुस्तान स्टील का एक विभाग न बना कर स्वतंत्र संगठन बनाया जाय। ऐसे संगठन की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम रांची में एक एक भारी मशीन संयंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। अतः इस संगठन को उस संयंत्र का भी कार्य करना होगा। अतः हमें चाहिये कि यह संगठन हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड तथा भारी मशीन संयंत्र के संबंध से काम करे। और चौथे संयंत्र के निर्माण में हम यथा-संभव इस संगठन तथा भारतीय टेक्नीकल कर्मचारियों की मदद से ही काम करें।

अब मैं मिश्रित धातुओं और औजारों के कारखाने को लेती हूं। इन कारखानों के लिये हमने विदेशी उपक्रमों से परियोजनायें मांगी हैं। वस्तुतः इस संबंध में भी हम विदेशी विशेषज्ञों पर बहुत भरोसा कर रहे हैं जब भारत में भी इस ज्ञान के विशेषज्ञ मौजूद हैं अतः हमें विदेशियों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

हमने कई बार यह प्रश्न पूछने का प्रयत्न किया है कि भिलाई और रूरकेला में अधिकतम लोहे के उत्पादन की मात्रा कितनी है। हमें कभी भी इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया गया है। वस्तुतः भिलाई का उत्पादन १००० टन प्रति दिन तक पहुंच गया है जब कि रूरकेला का उत्पादन घट कर कभी कभी २०० टन ही रह जाता है। माननीय मंत्री ने बताया है कि यह संयंत्र की एक मशीन की खराबी के कारण हो रहा है। निसंदेह हमें यह खराबी तत्काल दूर करनी चाहिये तथापि इस का वास्तविक कारण यह है कि रूरकेला की भट्टी को बलात् समय से पूर्व चालू करने का आदेश दिया गया जिस से भिलाई को इस क्षेत्र में सर्वप्रथम होने का श्रेय न मिले। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि वे अपनी गलत नीतियों को बदलने में किसी प्रकार का संकोच न करें और यथाशीघ्र अपनी नीतियों में सुधार करें।

†**श्री ओझा** (झालावाड़): इस में कोई सन्देह नहीं है कि मंत्रालय को कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है। परन्तु उस में भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश की आंखें बड़ी आशा से इन इस्पात संयन्त्रों की ओर लगी हैं। इस्पात संयंत्रों के कार्य को कार्यान्वित करने के लिये जो अधिक समय लिया गया है इसका कारण दोष पूर्ण आयोजन ही है। यह ठीक है कि इधर उधर कुछ अनुचित बातें हुई हैं। हमने लोगों की इच्छा के विरुद्ध कर लगाया है ताकि इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाये। अतः हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिये और फजूल खर्च नहीं करनी चाहिये। साथ ही मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि मंत्रालय की आलोचना बहुत कड़ी नहीं होनी चाहिये मंत्रालय को भी अपने कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाना चाहिये। हम गरीबी दूर करने की समस्या के सम्बन्ध में अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते मुझे देश के शीघ्र औद्योगीकरण में विश्वास है अतः जो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना अच्छा ही है।

जैसा इस्पात के मामले में है, प्रारम्भिक शक्ति का उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका उत्पादन और प्रयोग देश की समृद्धि के स्तर का द्योतक है। इस से देश क औद्योगीकरण के स्तर का भी पता चलता है। दूसरे देशों के मुकाबल में हम अभी इस में बहुत पीछे हैं। अब हम अपना कोयला उत्पादन ३८० लाख टन से ६०० टन करने की चिन्ता में हैं। यह लक्ष्य हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा है। प्रतिवेदन के अनुसार इस दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र जोर से लगे हुये हैं।

एक बात का पता चलता है कि खान, ईंधन और रेलवे मंत्रालयों में परस्पर समन्वय नहीं है। कई एक बातों से इसका पता चलता है। दोनों मंत्रालयों के मंत्री महोदयों को परस्पर मिलकर इसका हल निकालना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ाने के कार्य में अधिक से अधिक सहयोग से काम लिया जाये। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय को अपने कामों में घटिया प्रकार के कोयले के प्रयोग की शनैः शनैः आदत डालनी चाहिये। इस से काम चल सकता है। आशा है कि मंत्री महोदय इस बात की ओर यथासम्भव ध्यान देंगे।

कोयले की बात करते हुए मैं एक और बात का भी ध्यान निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस्पात की हमने सारे देश में एक जैसी कीमत निर्धारित की है। कोयला भी इस्पात की भांति ही औद्योगीकरण के लिए एक आवश्यक वस्तु है। सौराष्ट्र में कई एक उद्योग इस कारण बन्द हो गये कि वे कोयले की इतनी ऊंची कीमत देने में समर्थ नहीं। कीमतों के अतिरिक्त कोयला भेजने में भी बहुत कठिनाईयां है। रेलवे मंत्रालय को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। साथ ही सारे देश में शीघ्र ही कोयले की एक रूप कीमतें निर्धारित कर दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं, तेल के मामले की ओर आता हूं। इस दिशा में तेल और गैस आयोग अच्छा काम कर रहा है। मेरे विचार में इस आयोग को स्वायत बना देना चाहिये। इसके इसगे मार्ग की कुछ रूकावटें दूर हो जायेंगी और वह स्वतंत्रता और तीव्रता से अपने कार्य को कार्यान्वित कर सकेगा। हमें देश के कुछ भागों में जैसे कैम्बे में तेल प्राप्त हुआ है, इस क्षेत्र में और तेल की खोज करने के प्रयत्न जारी है। रूमानिया की सरकार भी इन प्रयत्नों में हमारी सहायता कर रही है। हमें आशा है कि हमें देश के काफी भागों में तेल प्राप्त होगा। साथ ही हमें कैम्बे क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए वहां तेल की शोधनशाला स्थापित करनी चाहिए। इस मामले की समुचित छानबीन आरम्भ कर देनी चाहिये। तेल उपलब्ध होते ही इस काम को पूरा कर देना चाहिए।

रोलिंग मिलों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के के लिये समुचित कोटा नहीं प्राप्त होता। इस मामले की ओर मंत्रालय को सहानुभूति से ध्यान देना चाहिये। नयी रोलिंग मिलों को इस्पात का पर्याप्त कोटा उपलब्ध होना चाहिये, ताकि उनका काम चलता रहे।

प्राक्कलन समिति ने जो अपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं उनको लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने काफी आलोचना की है। परन्तु प्राक्कलन समिति ने किसी मामले में अपना परिणाम नहीं निकाला। उन्होंने कुछ साक्ष्य भी लिये; परन्तु यह साक्ष्य मंत्रालय के अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्ध लोगों की मौजूदगी में लिये गये। इससे कई गलत परिणाम भी निकाले जा सकते हैं। लोगों को सफाई का अवसर भी दिया जाना चाहिये। फिर भी हमें सभी प्रकार की आलोचना पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि एक पाई भी फ़ज़ूल खर्च न हों। इन परियोजनाओं पर हमारे देश का आर्थिक भविष्य आधारित है। मुझे विश्वास है कि मंत्रालय सभी दोषों को दूर करके अच्छी भावना से काम को आगे ले जाने में प्रयत्नशील रहेगा।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर): तीन इस्पात संयन्त्रों को हमने सरकारी क्षेत्र में इस लिये आरम्भ किया था ताकि तीसरी पंचवर्षीय योजना की नींव डाली जाये। प्राक्कलन समिति का मत यह था कि इन परियोजनाओं पर जितना खर्च हो कम से कम उतने का उत्पादन तो होना चाहिये। परन्तु अवस्था यह है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र में हमने २१२ करोड़ रुपया लगाया है और उसका वार्षिक उत्पादन ५५ करोड़ से अधिक नहीं होगा। यह अन्य देशों और गैर सरकारी इस्पात क्षेत्रों के उत्पादन से मेल नहीं खाता। आरम्भ तो हमने बड़ी आशाओं से किया था परन्तु शीघ्र ही यह पता चला कि कार्य आशा के अनुसार नहीं हो रहा। जितना हम चाहते थे उससे आधा उत्पादन हुआ है। हमें इस दिशा में सारे प्रयत्न लगा कर अपना कार्य पूरा करना चाहिये, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। इसके लिये यदि दिल्ली में बैठ कर पूरा नियन्त्रण अथवा परामर्श नहीं किया जा सकता, तो हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट लिमिटेड) के मुख्यालय को रूरकेला भेज देना चाहिये। प्राक्कलन समिति ने बताया है कि एक वर्ष की देर से सरकार को ६८ लाख रुपये की हानि होती है। कुल मिला कर यह हानि एक करोड़ रुपये तक फैल जाती है। इसके अतिरिक्त अयस्क खरीदने के लिये जो मुनाफा देना होता है वह इससे अलग है।

एक ओर हम अपने इस्पात उद्योग का विकास करना चाहते हैं दूसरी ओर सरकार लौह अयस्क का जापान को निर्यात कर रही है, और यह निर्यात ४० लाख टन वार्षिक है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। जरूरत के लिये हमें इसी चीज के लिये पुनः किसी देश की खुशामद करनी पड़ेगी। इस्पात संयंत्र को बोकारो में लगाने के बारे में प्राक्कलन समिति ने कहा है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सूपकार]

हमें ऐसा न कर अपना सारा जोर इन्हीं तीन संयंत्रों को विकसित करने में लगाना चाहिये। और इसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन के पृष्ठ ५८ पर जो बातें कही गयी हैं उनके सम्बन्ध में सरकार को पूर्ण आंकड़े प्राप्त कर लेने चाहिये ।

रूरकेला के सम्बन्ध में दो समस्याओं विशेष तौर पर सामने आती हैं। एक श्रम की समस्या है और दूसरे वहां के स्थानीय लोगों के पुनर्वास की समस्या है। वहां के स्थानीय लोगों को गैर-प्राविधिक स्थानों पर भी भर्ती नहीं किया जाता, हालांकि इस बारे में ध्यान रखने को कहा गया है। पुनर्वास के सम्बन्ध में वहां के आदिवासी लोगों में काफी असन्तोष है। परन्तु सरकार इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही। इन लोगों को अपने घर बाहर से उठाते समय जो सरकार ने इनसे वायदे किये थे उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिये। जिन लोगों को मुआवजा दिया जाना है उन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। इससे भी लोग, खास कर आदिवासी, काफ़ी परेशान हैं। जब तक भारत सरकार स्वयं इसकी ओर ध्यान न देगी समस्या हल नहीं होगी, उड़ीसा सरकार के बस की बात यह नहीं है।

श्री ज० रा० मेहता (जोधपुर) : इस्पात परियोजना के बारे में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर ही आज का सारा विवाद केन्द्रित रहा है। प्राक्कलन समिति सभा की बड़ी महत्वपूर्ण समिति है और उसके विचारों की ओर हमारा ध्यान जाना ही चाहिये। मैं भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न करूंगा।

एक बात सामान्य तौर पर कही गयी है कि आयोजन की कमी रही है। परन्तु यह काम तो योजना आयोग का है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम योजना में कृषि की ओर ही अधिक ध्यान गया और औद्योगिक विकास की दिशा में प्रयत्न कुछ कम रहे। योजना आयोग का भी यही मत था कि इस्पात संयन्त्रों को द्वितीय योजना के अन्तर्गत ही लिया जाय। अब यह कहा जा रहा है कि इससे अधिक खाद्य उत्पादन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था। मैं नहीं जानता कि दोनों विचारों को सन्तुलित किस प्रकार किया जायेगा। श्री नौशीर भरूचा कहते हैं कि यदि १९५४–५५ में यह संयंत्र लग जाते तो हमें ३२० करोड़ रुपये की बचत होती और विदेशी विनिमय भी बचता। मेरे विचार में यह कहना यथार्थ प्रतीत नहीं होता।

एक शिकायत यह है कि अनुमानों में वृद्धि और परिवर्तन होते रहे हैं। सुधार और परिवर्तन करना बुरी बात नहीं कही जानी चाहिये। हम इस मैदान में नये हैं, अतः अपनी किसी भूल सुधार के लिये मूल योजना में परिवर्तन करने का तो समुचित स्वागत करना चाहिये। इसी प्रकार केवल स्थानीय क्षमता पर ही आश्रित रहना भी भूल ही होती। इन हालात में विदेशी सरकारों से करार करने में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। यदि कोई सचमुच भूल हो भी जाती है तो हमें उसकी ओर उदारता से देखना चाहिये। मेरा यह विचार है कि तीन विभिन्न संयंत्रों के लिये हमने तीन विभिन्न राष्ट्रों की सहायता प्राप्त करने में बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लिया है। हमें अपनी भूलों से भी कुछ लाभ उठाने का यत्न करना चाहिये। यदि किसी ने जानबूझ कर हेरफेर किया हो तो उसे उसकी सजा देनी चाहिये। मैं प्राक्कलन समिति के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि विवादस्पद मामलों की छानबीन करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिये। इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

खानों और खनिजों केसम्बन्ध में, भारतीय खान ब्यूरों ने काफी अच्छा काम किया है। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की सेवायें भी इस दिशा में उल्लेखनीय है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो कि खान विभाग के कार्यों और भारत

†मूल अंग्रेजी में

सरकार और राज्य सरकारों की खनिज विकास सम्बन्धी नीति के मामले में देख भाल करे। लौह अयस्क और मैंगनीज इत्यादि की भी उपेक्षा न की जाये। साथ ही मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि खनिज सम्बन्धी नियम बनाते समय हमें स्थानीय हालातों का बराबर ध्यान रखना चाहिये।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : इस्पात, खान और विद्युत मंत्रालय का जिसका सम्बन्ध देश के मूल उद्योगों से है, भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष के दौरान में मंत्रालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। विश्व के किसी भी देश में एक साथ तीन लोहे के कारखाने नहीं बनाये गये हैं। लेकिन बचत तथा औद्योगीकरण की दृष्टि से हमें ऐसा करना था। इन तीनों संयन्त्रों के बन जाने के पश्चात् न केवल हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे अपितु विदेशों को निर्यात भी करने लगेंगे और आयात में जो विदेशी विनियम व्यय होता था उसे भी बचा सकेंगे।

इन संयंत्रों के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। सब से पहले यह कहा गया है कि यदि प्रथम योजना में एक इस्पात संयंत्र बनाया गया होता तो हमारे सामने यह कठिनाई नहीं आती जो आज आ रही है। किन्तु ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि उस समय न तो हमारे पास संसाधन थे और न विदेशी प्रविधिक सहायता ही क्योंकि वे लोग भी अपने देश के विकास में संलग्न थे।

विशेषज्ञों की कई समितियां बनाई गईं जिन्होंने टैक्नीकल पहलू के बारे में जांच की। भारत सरकार तथा योजना आयोग अब इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि इन तीनों संयत्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये। इन संयंत्रों से पूर्व हमारे यहां कुछ ग़ैर सरकारी सार्थे जैसे कि टाटा, आइरन एन्ड स्टील कम्पनी आदि भी थी।

द्वितीय योजना में इन संयंत्रों के चालू करने में सरकार ने भूल की है ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इसके लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता है। लेकिन विदेशी विनिमय की कठिनाई होते हुये भी यदि हम देश का औद्योगीकरण चाहते हैं तो हमें लोहा और इस्पात सरीखे मूल उद्योगों का विकास करना होगा।

संयंत्रों के मूल्य के प्राक्कलन में वृद्धि करने के बारे में भी कहा गया है। कहा जाता है कि इनका मूल्य ५६० करोड़ रुपये होगा किन्तु हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि विदेशों में श्रमिक दर बढ़ जाने तथा जहाजों के भाड़ा आदि बढ़ जाने से उनका मूल्य बढ़ गया है। इसके अलावा वहां बस्ती बनाने तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं देने आदि में भी व्यय होगा। अतः इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योजना में कोई कमी है अथवा सरकार ने कोई गड़बड़ की है। अतः नाना प्रकार के आक्षेपों से बचने के लिये ही शुरू में प्राक्कलन कम रखे गये थे और जैसे जैसे निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ उनका मूल्य बढ़ता गया। मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुये सही प्राक्कलन करना संभव नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इन इस्पात उद्योगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में न रखकर देश के अन्य भागों में भी बनाना चाहिये था यह ठीक है किन्तु इसके लिये धातुशोधक कोयले की आवश्यकता होती है और वह इसी क्षेत्र में उपलब्ध होता है। जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार न केवल इन तीन इकाइयों का विकास करेगी बल्कि गैर सरकारी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के उद्योगों का विकास करेगी। जिससे कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

एक माननीय सदस्य ने मंत्रालय पर यह आरोप लगाया है सरकार ने टिस्को तथा इस्को गैर-सरकारी सार्थों के साथ पक्षपात किया है। यह आरोप गलत है क्योंकि सरकार ने इन दोनों सार्थों को इनका विकास करने के लिये ब्याज रहित ऋण दिया है। ब्याज रहित ऋण देना कोई पक्षपात नहीं है क्योंकि यदि सरकार ब्याज लेती तो इनके उपादन का उपभोक्ता मूल्य बढ़ जाता।

यह कहा गया है इन संयंत्रों में भारतीय विशेषज्ञों एंव परामशदाताओं का सहयोग नहीं लिया गया है। यह ठीक है क्योंकि जबतक हमारे यहां आवश्य प्रविधिक शिक्षित व्यक्ति नहीं होंगे तब तक हमें विदेशी सार्थों की सेवाओं का उपयोग करना पड़ेगा किन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि एक भारतीय सार्थ इस सिलसिले में आगे बढ़ी है, अतः भविष्य में उसकी सेवाओं का सदुपयोग किया जायेगा। किन्तु कार्यक्रम के मध्य में वर्तमान परामर्शदाताओं का बदलना संभव नहीं है। भारतीय व्यक्तियों, इंजीनियरों तथा आपरेटरों आदि को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिये उन्हें विदेशों में भी भेजा जा रहा है।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि वर्तमान डिजाइन सैक्शन का विस्तार किया जाये यह सुझाव अच्छा है। इसके लिये एक अच्छा पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला बनाने का विचार है। और यह आशा है कि इनकी सहायता से इसमें विकास होगा।

रूरकेला के निर्माण से हमने पाठ सीखा है और प्रत्येक पद पर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हम कम से कम धन व्यय करें तथा अधिक से अधिक उससे लाभ उठावें। अतः किसी का यह कहना कि इन संयंत्रों में धन का दुरुपयोग हो रहा ठीक नहीं है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : इसमें मिनिस्टर महोदय के बोलने की जरूरत तो मालूम नहीं होती क्योंकि श्री जगन्नाथ राव उनका काम पूरा कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सिद्ध एक ही तरफ से पथराव होता रहे ?

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तेल, कोयला और इस्पात तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो कि देश के औद्योगीकरण ही नहीं बल्कि नई सभ्यता के निर्माण के लिये भी आवश्यक हैं। स्टील के संबंध में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। इसलिये मैं तेल के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। भारत में हम अभी तक सिर्फ ५ मिलियन टन तेल ही पैदा करते हैं जब कि दुनियां में ९०० मिलियन टन तेल पैदा होता है। अगर हम देखें तो हमारा तेल दुनियां के तेल का सिर्फ ·०५ परसेंट ही होता है, जबकि हमारी आबादी दुनियां की आबादी की १/७ है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हम कितनी ही कोशिश करते रहें हमारा देश उस उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता जिसको हम चाहते हैं। यू० एस० ए०में एक व्यक्ति पर ६०० इम्पीरियल गैलन तेल खर्च होता है, कैनाडा में ५०० इम्पीरियल गैलन तेल प्रति व्यक्ति पर खर्च होता है, इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति पर १५० इम्पीरियल गैलन तेल खर्च होता है, फ्रांस में प्रति व्यक्ति ११० इम्पीरियल गैलन तेल खर्च होता है, लेकिन हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति पर ३ गैलन से कम खर्च होता है। इससे पता लगता है कि हालांकि अपने खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा हम बाहर से मंगाते हैं लेकिन तेल के बारे में जितनी चिन्ता हमें होनी चाहिये उतनी चिन्ता हमें होती नहीं। इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। मैं स्वीकार करता हूं कि भारत सरकार के ईंधन मंत्रालय की ओर से कुछ काय किया जा रहा है जिसमें तेल के शोध का काम शामिल है और तेल की जांच पड़ताल का काम शामिल है, और इस स आशा की जा सकपी है कि भविष्य में हम कुछ

†मूल अंग्रेजी में

तेल प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जिस ढंग से उसे किया जाना चाहिये, मैं महसूस करता हूं कि उस ढंग से उसे किया नहीं जा रहा है। देश के तेल के थोक व्यापार, देश में तेल निकालने, तेल के बाहर से मंगाने, तेल के शोधने और तेल के बेचने, इन सब कामों में थोक व्यापार करीब २०० करोड़ रुपये का होता है। हम यह जान कर आश्चर्य होता कि इस २०० करोड़ रु० का सारे का सारा व्यापार ५ विदेशी कम्पनियों के हाथ में है, जिसमें से तीन विदेशी कम्पनियां एक अंग्रेजी विदेशी कम्पनी की बेटी हैं और दो विदेशी कम्पनियां अमरीकी कम्पनियां हैं। अभी हमने आयल इंडिया लिमिटेड में अपने ३३ १/३ परसेंट शेअर लेकर कुछ प्रयत्न करना शुरू किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस २०० करोड़ रु० का कुल व्यापार क्यों हिन्दुस्तान अपने हाथ में नहीं ले सकता है, राष्ट्रीय व्यापार में क्यों नहीं ले सकता है इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। और इस पर विचार करते हुये मैं मिनिस्टर महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब वे जवाब दें तो बतलायें कि इन कम्पनियों में यानी बरमा शेल कम्पनी और स्टैन्डर्ड वैकुअम कम्पनी और जो दूसरी विदेशी कम्पनियां तेल की हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, उनमें कितने ऐसे लोग हैं, मेरा अभिप्राय उनके ऊंची तन्ख्वाह पाने वाले, भत्ता पाने वाले अफसरों से है, जिनका सीधा संबंध कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के नीति बनाने वाले अफसरों से है, जो उनके नातेदार या रिश्तेदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहां की कम्पनियों के अन्दर काम करने वाले अफसरों के बहुत से नजदीकी लोग गवर्नमेंट आफ इंडिया में हैं, इसलिये वे कभी इस बात को सोच नहीं सकते कि इन कम्पनियों से इस काम को ले लिया जाय। हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से यह जवाब दिया जाय कि इन कम्पनियों को लेने के लिये हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है, पूंजी की व्यवस्था नहीं है, इसलिये हम इन कम्पनियों को नहीं ले सकते। जब तक हम अपने देश में इतनी पूंजी का निर्माण न कर सकें जितने में कि हम इन कम्पनियों को ले सकें और दूसरी चीजों का विकास भी कर सकें तब तक हम इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करें या इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, यह मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हमेशा के लिये जो व्यवस्थायें हम बना चुके हैं उन्हीं पर चलते रहें। अब समय आ गया है जब हमें अपने औद्योगीकरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि किसी प्रकार के परिवर्तन की उसमें आवश्यकता है या नहीं। इंडस्ट्रियल पालिसी के रेजोल्यूशन में ही नहीं, यदि हमें अपने संविधान में भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो उसे हमें करना चाहिये और यह करना चाहिये कि देश में यदि किसी की पूंजी लगी हुई है तो राष्ट्रीय हित में हम उसे बिना मुआवजा दिये हुये ले सकें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तेल का २०० करोड़ रु० का थोक व्यापार विदेशी कम्पनियों ने अपने हाथ में ले रक्खा है। यदि हमें उसे राजकीय हाथ में लेना है और यदि उसके हिसाब से हमारे पास पूंजी की व्यवस्था नहीं है, तो हमको अपने संविधान में परिवर्तन करके इसको अपने हाथ में ले लेना चाहिये वरना कोई ऐसा वक्त आ सकता है जब कि हमारा वैदेशिक नीति इन तेल कम्पनियों के देशों की पसन्दगी की न रहे, ब्रिटेन और अमरीका की पसन्दगी की न रहे और लड़ाई छिड़ जाय, उस समय हमारे देश की सारी की सारी जो अर्थ व्यवस्था है, खास तौर पर जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, वह खत्म की जा सकती है क्योंकि जो तेल हम आयात करते हैं उसका व्यापार इन विदेशी कम्पनियों के हाथ में है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा इस संबंध में कि हमें बहुत ही चिन्तित होने की जरूरत है, न सिर्फ इस संबंध में कि हम अपने देश में तेल की खोज प्रारम्भ करें, तेल की शोध प्रारम्भ करें बल्कि इस संबंध में भी कि जो हमारे तेल का वितरण होता है वह भी इन कम्पनियों के हाथ में है और हम उसे अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकते। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में जल्दी करने की कोशिश की जायेगी और यह विचार किया जायेगा कि हम कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे कि पूंजी देकर या बिना पूंजी दिये हुये हम इन विदेशी कम्पनियों को अपने हाथ में ले सकें, और खास कर जो तेल का वितरण है उसमें कोई दिक्कत न आये।

[श्री ब्रजराज सिंह]

बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि हमारे यहां विशेषज्ञों की कमी है, टेकनिकल एक्सपर्ट्स की कमी है, हम टेकनालाजी नहीं जानते हैं, चाहे इस्पात की टेकनालाजी हो, चाहे तेल की टेकनालाजी हो, चाहे खान की टेकनालाजी हो, हम किसी तरह की टेकनालाजी नहीं जानते हैं। कल से इस सदन में चर्चा हो रही है इस मंत्रालय की मांगों पर। उसमें बार बार यह बात कही जाती है कि चूंकि हमको विशेषज्ञ विदेशों से लाने होते हैं इसलिये इन काम में देरी हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत पुरानी दलील है। क्या यह हम जानते नहीं हैं कि यदि एक बच्चे के लिये यह कहा जाय कि जब तक वह तैरना नहीं सीख जाता तब तक हम उसे पानी में नहीं छोड़ सकते, तब तक वह कभी तैरना सीख नहीं सकता। हमारे यहां विदेशियों की तरफ से हमेशा यह दलील दी जाती थी कि हिन्दुस्तानियों को अक्ल नहीं है कि वह अपना शासन चला सकें और आज भी यही दलील दी जाती है कि चूंकि हमारे पास एक्स्पर्ट्स नहीं हैं इसलिये हम इन चीजों को चला नहीं सकते हैं, चाहे कोयले की टेकनालाजी हो, चाहे तेल की, चाहे स्टील की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम इन टेकनालोजी के विशेषज्ञों को लेकर ही इन कामों को करते रहेंगे तो हम कभी भी इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसलिये जहां तक विशेषज्ञों के प्रशिक्षित होने का सवाल आता है हम इस बात की कोशिश करें कि विदेशों में जा कर हमारे लोग शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन अपने देश में जहां तक इन कामों के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें लेने का प्रश्न उठता है, भविष्य के लिये हमें निश्चय करना चाहिये कि किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण काम में चाहे वह स्टील का निर्माण हो, चाहे तेल की खोज था तेल की शोध हो, या खानों के संबंध में हम किसी भी विदेशी को एक्स्पर्टस की हैसियत से नहीं रक्खेंगे। यह तो मैंने तेल के काम के बारे में एक छोटी सी बात कही।

इसके साथ साथ तेल की जो कीमत है उस के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी २० मई, १९५८ को तेल उद्योग को १० करोड़ रु० की राहत दी गई। लेकिन उससे उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? इसको देखने की आवश्यकता है। आज विदेशों से ११० करोड़ रुपये का तेल आयात होता है। आज जनता को इस बात को साफ तौर से बताने की जरूरत है कि इन कम्पनियों को इससे कितना मुनाफा मिल जाता है। अगर उस मुनाफे को कायम रखने की जरूरत है तो हम उसको कायम रख सकते हैं लेकिन यदि उसको कायम रखने की जरूरत नहीं है हमको सोचना चाहिये कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मसलों में जिन में एक एक साल में अरबों रुपयों का मुनाफा कमा लिया जाता है, उनको इस तरह से टालते रहना कि टैरिफ कमिशन अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दे सका है और जब वह आ जाय तो फिर कहा जाय कि उस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार हो रहा है। और वह विचार चार महीने तक चलता रहे जिसमें कि करोड़ों रुपया बाहर चला जाया करता है, यह उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक तेल की कीमत को कम करने का सवाल है, उसे बिना किसी दिक्कत के कम किया जा सकता है। इसका निर्णय जल्दी ही कया जाना चाहिये ताकि सारे देश के रहने वालों को, देश के उपभोक्ताओं को खास तौर पर राहत दी जा सके। अभी तक जो १० करोड़ रु० की राहत तेल कम्पनियों को दी गई उस के जरिये उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई, सरकार ने ही दूसरे तरीकों से उसे फिर ले लिया है। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान एक पिछड़ा हुआ देश है और सरकार को देश के विकास के लिये पैसे की बहुत जरूरत है और १० करोड़ रु० उस ने ले लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन भविष्य में जो राहत दी जायेगी तो मैं आशा करता हूं कि वह उपभोक्ताओं को देने की कोशिश की जायेगी। हम को आज यह देखना है कि आखिर उपभोक्ताओं में आज इस तरह की सामर्थ्य भी है या नहीं कि वह आज के जमाने में इन चीजों को खरीद सकें। अगर वे नहीं खरीद सकते तो यह कोशिश की जानी चाहिये कि उन को कम कीमत पर चीजों को दिया जाय। जितनी कम कीमत पर चीजों

को दिया जा सके उतनी पर देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि तेल की कीमत के बारे में जब सरकार की हिस्सेदारी है तो उसमें ऐसा निर्णय किया जायेगा ताकि तेल के उपभोक्ताओं को ज्यादा राहत मिल सके।

इसके साथ ही कोयले का भी प्रश्न उठता है। कोयले के संबंध में भी एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं उसे राजकीय क्षेत्र में लाने की, लेकिन जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में हैं वह इस नीति पर किस तरह चल रहे हैं, इसमें कितना मुनाफा उनके द्वारा कमाया जा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से इस तरफ ध्यान देने की कोई चिन्ता नहीं है।

यह हमारा इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन बारबार बीच में अटका दिया जाता है क्योंकि हमने मिकिस्ड एकोनामी मानी हुई है, मिश्रित अर्थ व्यवस्था की हमारी घोषणा है अर्थात् मिश्रित अर्थ व्यवस्था हम इस देश में चलायेंगे और इसलिये जहां पर भी कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मिकिस्ड एकोनामी मिश्रित अर्थ व्यवस्था का यह अर्थ है कि लोग अब तक शोषण करते रहे हैं उन्हें शोषण करते रहने के लिये एक पट्टा सा लिख दिया जायेगा तो मैं चाहूंगा कि ऐसी मिश्रित अर्थ व्यवस्था के बारे में जितनी जल्दी पुनर्विचार करके उसे खत्म करने का विचार कर लिया जाय, अच्छा होगा।

कोल के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस काम में जो हमारे प्राइवेट उद्योगपति लगे हुये हैं उनकी कोशिश यह रहती है कि उनकी अपनी खानों का कोयला उठ जाय और वह अपना कोयला जो उनकी एक मोनोपली अर्थात् निहित स्वार्थ लगे हुये हैं उनको कोयला पहुंचाने की इस तरह से कोशिश करते हैं कि दूसरे जो छोटे छोटे आदमी इस इंडस्ट्री में लगे होते हैं वे बगैर कोयले के भूखे मर जायें।

अब हमारे यहां के जो कोल कंट्रोलर हैं और जिन पर कि कोयला डिस्ट्रिब्यूट करने की जिम्मेदारी है उन्होंने कोल के डिस्ट्रिब्यूशन के लिये ब्लौक रेट का सिस्टम रक्खा हुआ है जिसके कि मुताबिक ७० या ७५ गाड़ियां या पूरी कोयले की मालगाड़ी जो दी जायेगी वह किन्हीं खास खास उद्योग में लगे लोगों को दी जायेगी और इस ब्लौक रेट डिस्ट्रिब्यूशन का नतीजा यह होता है कि जो छोटे छोटे कोयले के उद्योग हैं उनको कोयला नहीं मिल पाता। इस मोनोपली का नतीजा यह हो रहा है कि उनकी खान उधर है और इधर उनका उद्योग चल रहा है और सरकार से मिल कर ब्लौक रेट सिस्टम की बिना पर पूरी गाड़ी कोयले की उनको दे दी जाती है। अब इसके दो नतीजे निकलते हैं। छोटी खान वालों का कोयला उठ नहीं पाता है और जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको कोयला मिल नहीं पाता है और इस तरीके से दोनों को नुकसान होता है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस मोनोपली को खत्म करने के लिये गम्भीरता से विचार करना चाहिये और सरकार को यह देखना चाहिये कि कहीं हमारी इस नीति की वजह से जो हमारा मुख्य औद्योगीकरण का उद्देश्य है उसको तो कोई हानि नहीं पहुंच रही है। जैसे मैंने आपको बतलाया इस ब्लौक रेट सिस्टम की वजह से छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचता है और छोटी खानों के मालिकों का कोयला उठ नहीं पाता है। इसके लिये कह दिया जाता है कि हमें स्पीड से ले जाने की जरूरत है और अगर हमने १० गाड़ियां एक स्टेशन के लिये और १० गाड़ियां कोयले की दूसरे स्टेशन के लिये कर दीं तो वह स्पीड से नहीं पहुंच पायेगा और इस तेजी के लिये ही हम यह ब्लौक सिस्टम लागू किये हुये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस पर जरा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये कि क्या उसके पीछे यह भावना नहीं है कि कुछ निहित स्वार्थों को जो कि इस उद्योग में लगे हुये हैं उनको और अधिक पनपाने के लिये और उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलवाने के लिये इस चीज और सिस्टम को लागू किया गया है।

[श्री ब्रजराज सिंह]

अन्त में चूंकि श्रीमन्, आपने घंटी बजा दी है इसलिये मैं सिर्फ बहुत संक्षेप में स्टील के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्टील के बारे में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं सरकार से कहूंगा कि उसके संबंध में जो ऐस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है, उसको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक लेने की जरूरत है।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि सन् १९५४ में इन स्टील प्लाट्स के प्रोजेक्ट्स को हम उसी तरह लागू नहीं कर सकते थे जैसे कि सन् १९११ में महात्मा गांधी हिन्दुस्तान में कोई सत्याग्रह आंदोलन नहीं छेड़ सकते थे। मैं कहना चाहूंगा कि स्टील प्लांट्स को सन् ५४ में लागू न करने का उसका मुकाबिला महात्मा गांधी सन् १९११ में हिन्दुस्तान में असहयोग आंदोलन नहीं छेड़ सकते थे, उससे मुकाबिला करना उचित नहीं है। इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। ऐस्टिमेट्स कमेटी ने स्टील प्लांट्स के बारे में चर्चा की है कि हम करोड़ों रुपये बचा सकते थे और हम देश का औद्योगीकरण बहुत आगे बढ़ा सकते थे। जो हो गया वह तो हो गया लेकिन कम से कम आगे के लिये जरूर उससे सबक लेना चाहिये। मिनिस्टर महोदय ने कल अपने भाषण में यह कहा था कि हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन जिस गति से चला जा रहा है उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आगे भी सीखने और सबक लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। जो गलतियां हमसे हो गई हैं उनके लिये सफाई पेश कर देने से ही खाली काम चलने वाला नहीं है बल्कि आगे के लिये हमें सबक ग्रहण करना चाहिये। अब किसी एक प्लांट में तो हमारे हिन्दुस्तानी लोगों को विशेष शिक्षा दी जा सकती है लेकिन दूसरे प्लांट में शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई कंट्रैक्ट करना यह हमारे देश की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं और यह उसका अपमान है। इस तरह से अगर हम स्टील प्लांट बनाते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारे देश को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक यह स्टील प्लांट्स का सवाल आता है उसके संबंध में ऐस्टिमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है और सिर्फ यह कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि जो गलतियां हो गई हैं वे आगे सुधारी जा सकती हैं, इससे काम नहीं चलेगा।

मैं अन्त में एक नीति संबंधी बात कह कर समाप्त करूंगा...

उपाध्यक्ष महोदय : एक अन्तिम बात आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : बस केवल आध मिनिट में मैं समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा जल्दी खत्म कीजिये।

श्री ब्रजराज सिंह : मेरा निवेदन है कि स्टील, ईंधन और खान यह तीन अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण आइटम्स हैं और सरकार को इसके लिये सोचना चाहिये कि हम अपने संविधान में परिवर्तन करके फिर देखें कि उनका हम किस तरीके से राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं और किस तरह से देश को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। आज भी खानों में सिर्फ ५ परसेंट की रायल्टी ली जा रही है और यह ५ परसेंट की रायल्टी पिछले ५० साल से चली आ रही है जब कि इस रायल्टी को १०, १५ या २५ परसेंट तक किया जा सकता था और उस में नुकसान होने की कोई बात नहीं लेकिन इस काम में हम कुछ व्यक्तिगत लोगों का फायदा करने की बात सोचते हैं जो कि ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मेरे वरिष्ठ साथी अपने उद्घाटन भाषण में बहुत कुछ कह चुके हैं अतः मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं संक्षेप में ही इस मंत्रालय के कार्य और इसकी नीति के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

भारत के भूतत्वीय विभाग तथा भारतीय खदान ब्यूरो ने इस क्षेत्र में काफी विकास किया है और अग्रिम विकास के लिये भी हमने प्रस्ताव रखे हैं। हमें या तो सरकारी क्षेत्रों से अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों से खनिज पदार्थों का उत्पादन करना है ताकि उनको बाजार में बेचा जा सके। और खनिज अयस्क या तो निर्यात किया जा सकता है अथवा बाजार में बेचा जा सकता है अथवा देश में उसे तैयार किया जा सकता है। खनिज पदार्थों को उत्पन्न करने तथा उन्हें जमा करके रखने में तो कोई लाभ नहीं है। अतः भूतत्वीय विभाग द्वारा मानचित्र बनाने से लेकर उसके निर्यात करने तक सारे कार्यक्रम को एक संयुक्त कार्यक्रम अथवा एक व्यवस्था के रूप में समझना होगा। यदि हम यह देखते हैं कि कुल उत्पादन का कुछ भाग हम बेच नहीं सकते तो इस सारे कार्य में रुपया फंसाना होगा। अतः खनिज पदार्थों के उत्पादन तथा उनके बेचने के बारे में हम एक कार्यक्रम बना लेते हैं और भारतीय भूतत्वीय विभाग तथा भारतीय खदान ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण कराने पर धन व्यय नहीं करते। काफी मात्रा में हम खनिक अयस्क प्राप्त कर सकते हैं। सम्भवतः हमने काफी मात्रा में अयस्क प्राप्त भी किया है। यह हमारे लक्ष्य के लिये अच्छा है। यह कई दशाब्दियों तक चल सकता है और कुछ मामलों में तो यह शताब्दियों तक चल सकता है। अतः इन सब कार्यक्रमों में हमने काफी धन लगाया है। धीरे धीरे हमारा यह मालूम करने का भी कार्यक्रम है कि हमारे खनिक संसाधन क्या हैं। अतः अन्तिम वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति के लिये हमारे कार्यक्रम सभा में रखे जाते हैं।

एक कठिनाई और भी है। भूतकाल की अपेक्षा हम अधिक मात्रा में अयस्क का उत्पादन करने लगे हैं। इसे बन्दरगाह तक भेजना है अथवा जहाजों म इसका लदान करना है। इस क्षेत्र में भी हमारे साधन सीमित हैं। चाहे वह रेल हो, सड़क हो, अथवा बन्दरगाह संबंधी सुविधाएं हों हम सरकार के अन्य विभागों की क्षमता को देखते हुये कि क्या वे हमारे उत्पादन को बेच सकते हैं अथवा उसकी निकासी कर सकते हैं हम अपना कार्यक्रम बनाते हैं। यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आज सारे विश्व में खनिक अयस्क की मांग कम है। इसके कई कारण हैं। हो सकता है कि विदेशों के पास अयस्क खरीदने की क्षमता न हो। अथवा अयस्क क्रय न करने की उन्होंने नीति बनाली हो। अतः इस विकट स्थिति को देखते हुये हमें अपने उत्पादन का कार्यक्रम बनाना चाहिये और जब हमारे पास विदेशी विनिमय की कमी हो, प्रविधिक व्यक्तियों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं हम अपनी शक्ति और धन का अपव्यय तो नहीं कर रहे हैं। और उसे धन कमाने की दृष्टि से नहीं बल्कि उसे जमा करने की दृष्टि से उसमें धन तो नहीं लगा रहे हैं। अतः इन सब बातों पर बड़ी सावधानी से विचार किया जाता है और हमारा कार्यक्रम परिस्थितियों के अनुसार सबसे अच्छा और विस्तृत होता है।

यह सत्य है कि हम जो कार्यक्रम बनाते हैं उसकी पूर्ति करने के लिये हमें संयंत्र और प्रशिक्षित व्यक्ति भी नहीं मिलते। कुछ जन्मजात कठिनाइयां हैं और हमारे साधन सीमित हैं किन्तु फिर भी हमें उन पर विजय प्राप्त करना है और अपने सीमित साधनों में उन्हें पूरा करना है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें दक्षिण में कार्य बढ़ाना चाहिये। मेरे पास एक लम्बी सूची है जिसमें यह दिखाया गया है कि देश के सभी भागों में हम अपने कार्य का विस्तार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

कोयला उत्पादन को हमने बहुत अधिक महत्व दिया है। अतः हमारी बहुत कुछ शक्ति देश में कोयला प्राप्त करने में लगी है। इसके बाद देश में अलौह धातुओं के प्राप्त करने में हमारी शक्ति लगी है क्योंकि हम तांबा, सल्फर, तथा कुछ अन्य अलौह धातु जैसे कि सीसा और जिंक आदि के आयात करने में काफी धन व्यय कर रहे हैं। हमारे यहां मैंगनीज, लोहा, कोयला तथा माइका काफी मात्रा में पाया जाता है किन्तु फिर भी उन्हें प्राप्त करने के लिये हमें काफी शक्ति लगानी होगी। और कोयला, लोहा और चूनापत्थर के क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की मांग के साथ चलना पड़ेगा। यही कारण है कि हमारे प्रशिक्षित व्यक्ति मध्यप्रदेश, बिहार तथा अन्य क्षेत्रों में लगे हुये हैं। काश्मीर, पंजाब, आंध्र, मैसूर, और केरल के कुछ भाग में सर्वेक्षण तथा खोज कार्य करने का हमने कार्यक्रम बनाया है। आशा है कि आगामी वर्ष में महत्वसूर्ण अयस्कों की मात्रा में काफी वृद्धि हो जायेगी।

अपने विभाग द्वारा लौह, अयस्क के उत्पादन का हमारा कार्यक्रम है और विशेषरूप से नये करार के अनुसार इसे जापान के लिये निर्यात भी करना है। इसका कार्य १९६४ में प्रारम्भ होगा। इसके लिये मंत्रालय में एक निगम की स्थापना की गई है और कीरीबर क्षेत्र से लौह अयस्क के उत्पादन के लिये तैयारियां हो रही हैं।

पेट्रोलियम उत्पादन के विभाजन के बारे में सरकार की नीति दृढ़ है। वह अपने नियंत्रण में एक वितरण समवाय की स्थापना करने वाली है। क्योंकि वितरण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे यहां दो शोधनशालाओं के कार्य प्रारम्भ करने के साथ साथ वितरण की प्रविधियों के बारे में हमें पता चल जायेगा। और हम यह कार्य उन सार्थों के साथ प्रतियोगिता के आधार पर करेंगे जोकि यहां आज कल कार्य कर रही हैं। यदि यह राष्ट्र के लिये लाभदायक और उपयोगी न होती तो हम इसे सार्वजनिक क्षेत्र में चालू करने का निर्णय कभी भी नहीं करते। इस समवाय के आकार तथा कार्य के बारे में अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है अतः इसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है।

इसके साथ साथ पेट्रोल के मूल्य का प्रश्न भी है। पेट्रोल के मूल्य निर्धारित करने के लिये आजकल जिस सूत्र का हम पालन करते हैं उसके संशोधन करने के लिये इस व्यवसाय संबंधी सभी सार्थों ने प्रार्थना की है। तदर्थ उपबन्धों के अनुसार सरकार तथा विदेशी समवाय पेट्रोल का मूल्य घटाने के लिये तैयार हो गये और इससे हमें दस करोड़ रुपये का लाभ हुआ। यह तदर्थ प्रबन्ध था और यह निश्चित किया गया कि नये सूत्र के आधार पर मूल्य निश्चित हो जाने पर यदि सरकार को कुछ देना होगा तो वह राशि इस दस करोड़ में से ही दी जायेगी। यदि नये सूत्र के अनुसार हमें कुछ मिलना है तो हमें अतिरिक्त आय में से मिल जायेगा। सरकार ने मूल्य संबंधी जांच के लिये जो समिति बनाई थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसकी जांच की जा रही है। मेरा विचार है कि कुछ और बचत हो जायेगी। हमें आशा है कि इस मामले में विभिन्न समवायों से बातचीत करने के पश्चात् हम एक नया सूत्र बनाने में सफल हो जायेंगे और इससे हमें १० करोड़ रुपये की आय होगी।

अन्त में, मैं संक्षेप में तेल की खोज के कार्यक्रम तथा उससे सम्बन्धित नीति के बारे में कुछ कहूंगा। नीति का तो सभा को पता ही है। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं तथा देश में तेल का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आशावादी दृष्टिकोण तो बना नहीं सकता क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि जाने कब मामला उलट जाये। यह बड़ा ही कठिन काम है। आपका प्रविधिक निर्धारण अधिक तेल की प्राप्ति है परन्तु अचानक ही ८००० फीट नीचे कोई ऐसी बात हो जाती है जो तमाम आशाओं पर

पानी फेर देती है । हमारे प्रविधिक, भूतत्वज्ञ, भू-भौतिकीय विशेषज्ञ तथा ड्रलर शक्ति पर्यन्त काम कर रहे हैं । और मैं कह सकता हूं कि तेल की खोज के कार्यक्रम में कुछ अति विद्वान व्यक्ति लगे हुए हैं और उन्होंने थोड़े से समय में जो काम किया है वह अन्य कोई भी दक्ष दल नहीं कर सकता था । इससे अधिक मैं और कोई वायदा नहीं कर सकता कि खम्भात में हमें तेल मिल गया है और शीघ्र ही हम उसे निकालना शुरू कर देंगे । गत अवसर पर एक बार मैं ने बताया था क हम इस वर्ष के अन्तिम महीनों तक खम्भात में तेल की मात्रा बता सकेंगे । परन्तु हमने वह कार्यक्रम इस आशा पर बनाया था कि रूमानियन सरकार मार्च के अन्त तक हमें दो ड्रिलें दे देगी । उन्होंने ड्रिल देने का समझौता करके हम पर बड़ी कृपा की क्योंकि आज कल ड्रिलों की उपलब्धता बड़ी कठिन है । अचानक ही मुझे पता लगा कि रूमानियन सरकार कार्यक्रम के अनुसार ड्रिलों को नहीं बेच सकेगी और एक, दो अथवा तीन महीनों का विलम्ब हो जायेगा । मैं सभा को अपनी कठिनाई से अवगत करा देना चाहता हूं ।

हमने सभी प्रकार के यंत्रों को बन्दरगाहो से खम्भात तेल क्षेत्र में ले जाने की योजना बना ली है । हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे ही ड्रिलें बन्दरगाह पर उतरे, हम उनको १० अथवा १५ दिनों के भीतर तेल क्षेत्र में ले जा सकें और अगले १५ दिनों में तीसरे, चौथे, पांचवें कुओं में ड्रिलिंग आरंभ कर दें । मैं नहीं जानता कि इसमें कितना समय लग जाये । परन्तु यही प्रयत्न किया जा रहा है कि जो धन हम ने आपसे मांगा है उसको आपको वापस न देना पड़े । हम ने जो कार्यक्रम बनाया है उसके अनुसार ही आगे बढ़ते रहने का हमारा निश्चय है ।

तेल के सम्बन्ध में हमारी नीति सर्वविदित है । हाल के ही कुछ सप्ताहों में भारत सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, विश्व में तेल की खोज की अनुभवी संस्थाओं ने लिखा है कि हम अपनी नीति की पुनः जांच करें और इस पर विचार करें कि क्या तेल की खोज में उनमें से किसी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ? मैं कई बार बता चुका हूं कि जब तक तेल की खोज के सम्बन्ध में उन संस्थाओं के प्रस्तावों में हमें, देश अथवा जनता की भलाई नहीं दिखाई देगी, हमारी सरकार उन के प्रस्तावों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी । परन्तु यदि तेल की खोज के प्रस्तावों के द्वारा खोज हो जायेगी और खोजने वाला समवाय उचित लाभ चाहेगा तो हम उचित लाभ का उनका प्रस्ताव मानने को तैयार हैं । हम अपने कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे हैं और ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि हमें बहुत अधिक मात्रा में तेल न मिले ।

कल श्री मुरारका ने आसाम के शोधनशाला की स्थापना के कार्यक्रम में विलम्ब होने के सम्बन्ध में हमारी गलतियां बनाईं और उसके तुरंत ही बाद मेरे मित्र श्री फीरोज गांधी ने उनका स्पष्टीकरण दे दिया । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री मुरारका जो मेरे अपने दल के साथी हैं हमारी इस प्रकार की आलोचना करें जैसी कि विरोधी पक्ष के सदस्य करते हैं । विरोधी पक्ष के सदस्यों का कर्त्तव्य है कि सत्तारूढ़ दल की कठोरता से आलोचना करें परन्तु सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का कर्त्तव्य तो यह होता है कि कोई रचनात्मक सुझाव दें । श्री मुरारका ने कहा कि "मुझे पता लगा है कि तेल शोधनशाला का स्थान अब बदला जा रहा है । और रूमानिया से पुनः लोग आ रहे हैं ।"

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि शोधनशाला के स्थान की सिफारिश करने के लिए रूमानिया विशेषज्ञों का दल भारत आया था । उन्होंने कुछ सुझाव दिये जिन्हें

हमने अस्वीकार कर दिया और वह विशेषज्ञ वापस लौट गय । अब उनको फिर कार्यक्रम से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर विचार करने के लिए यहां आना है। मेरा निवेदन है कि उनको रालिंग तथा री-रालिंग कार्यक्रमों का डिजाइन बनाने के लिए तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य बातों पर विचार करने के लिए बार बार बुलाना होगा । जब तक शोधनशाला कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता । तब तक जब भी आवश्यकता होगी उनको आमंत्रित करना होगा । परन्तु यदि शोधनशाला के लिए अन्य स्थान चुनने के लिए भी उनको बुलाया जाये तो मेरे विचार से कोई हानि नहीं होगी।

अब मैं बताता हूं कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार हमने स्थान को क्यों नहीं चुना । मेरे मित्र श्री फिरोज गांधी ने बताया है कि वह विशेषज्ञ समिति, सर्वोत्तम समिति थी । इस विशेषज्ञ समिति की विशेष चुनाव समिति को स्थान का चुनाव करना था । सिफारिश करने से पूर्व यह विशेषज्ञ ४ अथवा ५ स्थानों पर गए और सिलीघाट को उन्होंने प्रोद्योगिकीय आधार पर सर्वोत्तम स्थान समझा। परन्तु भूकम्प, मिट्टी की शक्ति आदि प्रविधिक मामलों पर भी हमें विचार करना था। इसके अतिरिक्त सरकार को आर्थिक दृष्टि से भी विचार करना था । इसीलिए सर्वोत्तम विशेषज्ञ समिति होने पर भी उसके निर्णय को हमें बदलना पड़ा । इसको मैं ने अपने प्रशासकों तथा अर्थशास्त्रियों के परामर्श से, इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में मंत्री के रूप में परिवर्तित किया है । यह प्रशासक तथा अर्थशास्त्री जानते हैं कि विशेष स्थान को क्यों चुना जाना चाहिए । मैं इनके ब्यौरों में नहीं जाना चाहता हूं । परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सिलीघाट को हमने क्यों अस्वीकार किया । आसाम आयल कम्पनी के साथ समझौते के अनुसार कम्पनी नहर कटिया से बटौनी तक पाइप लाइन बनानी है । पहले इससे सम्बन्धित समझौते में रखी गई कंडिका १२ पृष्ठ ६ को मैं सभा में पढ़ता हूं तथा बाद में अपनी बात कहूंगा।

> "समवाय (आयल इंडया लिमिटेड) दो प्रक्रमों में पाइप लाइन के निर्माण की व्यवस्था करेगी अथवा बरौनी में बनाए गए क्रूड आयल के परिवहन के लिए आवश्यक, जिन सुविधाओं को समवाय ठीक समझेगी, उनकी व्यवस्था करेगी । पहले प्रक्रम में भारत सरकार तथा बर्मा आयल कम्पनी द्वारा स्वीकृत नहरकटिया से बरौनी के बीच के किसी स्थान तक कम्पनी पाइप लाइन बनायेगी तथा दूसरे क्रम में बीच के स्थान से बरौनी तक पाइप लाइन बनायेगी दोनों प्रक्रमों को आरंभ करने का समय भारत सरकार निश्चित करेगी। पाइप लाइन के निर्माण, प्रयोग तथा अन्य सुविधाओं के लिए दोनों प्रक्रमों में वित्त की व्यवस्था बर्मा आयल कम्पनी तथा भारत सरकार में हुए समझौते के अनुसार होगी । परन्तु इस खण्ड के द्वारा किसी भी पक्ष पर अपने साधनों में से ऊपरी लिखित कामों के लिए वित्त की व्यवस्था करने का दायित्व नहीं होगा, केवल बर्मा आयल कम्पनी कथित पाइप लाइन तथा अन्य सुविधाओं के निर्माण के पहले प्रक्रम के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिए स्टर्लिंग में पर्याप्त राशि, बर्मा आयल कम्पनी तथा भारत सरकार के समझौते की शर्तों के अनुसार ब्रिटेन में समवाय को ऋण देगी।"

इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब हमारा यह दायित्व था कि नहर कटिया तेल क्षेत्र के पश्चिम में जहां तक सम्भव हो उस स्थान तक पाइप लाइनों के निर्माण की लागत उनसे

ले लें । सिलीघाट गौहाटी से लगभग ६० मील पूर्व में है । पत्र व्यवहार के द्वारा हम सहमत हो गये कि शोधनशाला गौहाटी के निकट स्थापित होगी और उन्होंने हमको १० लाख पौंड देना स्वीकार कर लिया । यदि हम सिलीघाट में शोधनशाला बनाने का निर्णय करते तो पाइप लाइन बनाने के लिए १० लाख पौंड से बहुत कम लगते तथा सिलीघाट से बरौनी तक पाइप लाइन बनाने का दायित्व हम पर होता और हमको उस अतिरिक्त धन-राशि की व्यवस्था करनी पड़ती जिसको बर्मा आयल कम्पनी ने ऋण के रूप में देना स्वीकार कर लिया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सिलीघाट बरौनी के बीच लाइन बनाने का अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : लगभग ३ से ४ करोड़ रुपये ।

तेल कार्यक्रम के लिए साधनों का उपलब्ध करना हमारे लिए बड़ा कठिन काम था । सभा जानती है कि यह मंत्रालय कितनी कठिनाई में है । तेल की खोज, पाइप लाइन बनाने, शोधनशाला बनाने के लिए धन की व्यवस्था हमें अपनी वस्तुयें बेचकर अथवा किसी प्रकार के प्रबन्धकों से करनी पड़ती है । यह हमारी सफलता है कि हमने १० लाख पौंडों का ऋण ले लिया ।

†**नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यदि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मान ली जातीं, तो ४० लाख पौंड कम मिलते परन्तु गलत स्थान पर शोधनशाला बनाने से तो सदा के लिए हानि हो जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह धारणा मेरे मित्र की ही है । मैं मानता हूं कि टेक्निकल आधार पर शोधनशाला को सिलीघाट में स्थापित करना उचित होता परन्तु हमें अन्य बातों पर भी तो विचार करना था और सब से महत्वपूर्ण था, शोधनशाला की सुरक्षा का ध्यान रख कर, अनुसूची के अनुसार शोधनशाला के निर्माण के लिए साधन जुटाना । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार कुकटाभार, जोगी गोपा में भी शोधनशाला बनाई जा सकती थी परन्तु हमें इन स्थानों को भी इसलिए अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि रेलवे ने इन स्थानों तक रेलवे लाइन बनाने से इन्कार कर दिया था ।

हमें अब याद रखना चाहिए कि बरौनी में शोधनशाला बनानी है तथा बटौनी तथा पाइन लाइन ले जानी है । पहली शोधनशाला से बरौनी तक पाइन लाइन बनाने के लिए धन की व्यवस्था करनी है । इससे मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि शोधनशाला निगम पर इस विलम्ब की जिम्मेदारी नहीं है । जो कुछ भी विलम्ब हुआ है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है । यदि यह काम केवल उन्हीं पर छोड़ दिया जाता तो संभवतया उन्होंने शीघ्र निर्णय कर लिया होता । शोधनशाला निगम के सभापति ने ठीक ही कहा है कि वह निर्णय शीघ्र ले लेते यदि निर्णय लेना उन पर ही छोड़ दिया जाता । मुझे खेद है कि धन की कमी के कारण मैं शीघ्र निर्णय नहीं ले पाया । शोधनशाला निगम का वर्तमान कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं था । इसलिए श्री फीरोज गांधी को कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए । उन्होंने ठीक ही कहा है कि हम ने विशेषज्ञ समिति से ऐसा करने को क्यों नहीं कहा । उनको समझना चाहिए कि यदि हम स्थान को छांटने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते तो यह ठीक नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासप्पा** (बंगलौर) : सरकार, विशेषज्ञों के दल से सम्बद्ध क्यों नहीं रही ?

†**श्री के० डे० मालवीय** : प्रारंभ से ही सरकारी प्रतिनिधि विशेषज्ञ दल में थे प्रारंभ में ही रूमानिया से आये विशेषज्ञों को मैं ने बता दिया था कि "हमारा ऐसा विचार है और हमें ऐसा स्थान बताओ जो पश्चिम में तेल क्षेत्र से अधिकतम दूरी पर हो ।" उन्होंने हमें बताया कि उनका काम प्रविधिक आधार पर सिफारिश करने का है और प्रविधिक आधार के अलावा अन्य आधारों पर हम उनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर सकते हैं । विशेषज्ञ समिति ने प्रविधिक सिफारिशें की और सरकार ने अपने अधिकारों के अधीन निर्णयों में परिवर्तन किया । इससे अधिक मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता ।

मांग संख्या ८३ के बारे में श्री फीरोज गांधी ने जो प्रश्न उठाया है वह बड़ा ही उलझन वाला है । मैं विशेषज्ञ नहीं हूं । मैं अपने विभाग के पदाधिकारी पर इस बारे में बिगड़ पड़ा था परन्तु बाद में मैं ने महसूस किया कि गलती मेरी ही थी । मैं उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा । मैं नहीं जानता कि मैं उसे स्पष्ट कर पाऊंगा या नहीं । पृष्ठ १२ पर 'वाणिज्य, इस्पात तथा खान' और 'उत्तर' प्रदेश का जिक्र है । दोनों भिन्न भिन्न सर्किल हैं । वाणिज्य, इस्पात, तथा खान का एक लेखा परीक्षा सर्किल है तथा उत्तर प्रदेश का दूसरा लेखा परीक्षा सर्किल है । मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा था कि संख्या ३९० से ३३६ रह गई है, जबकि प्राक्कलन ११ से १८ लाख रुपये बढ़ गये हैं । इसका क्या कारण है । मेरे विचार से ३९० की संख्या १९५८–५९ के लिए अनुमानित संख्या थी, वास्तव में कुल २२६ व्यक्ति नियुक्त किए गए और इसलिए १३,६५,००० रुपये की अनुमानित राशि वास्तव में, ११,९५,००० रुपये थी । इस प्रकार ११,९५,००० रुपये की राशि २२६ व्यक्तियों पर व्यय की गई अर्थात् २२६ व्यक्ति ही नियुक्त किए गये, ३९० व्यक्ति नियुक्त नहीं किए गए ।

इसी प्रकार २८५० आंकड़े भी गलत हैं । वास्तव में १६०० व्यक्ति नियुक्त किए गए थे । आरंभ में हमने २८५० व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्राक्कलन किया था परन्तु नियुक्ति केवल १६०० व्यक्तियों की की गई और इसीलिए १८,५१,००० रुपये से व्यय कम हो कर १३,२४,००० रुपये ही रह गया । इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि हम सारी राशि व्यय नहीं कर पायेंगे ।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मांग संख्या ८३ में दिए गए आंकड़े ठीक हैं अथवा नहीं ?

†**श्री के० डे० मालवीय** : आंकड़े ठीक हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : यदि आंकड़े ठीक हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि ३९० से आंकड़े कम करके ३३६ कर दिए गए हैं तो आंकड़े ११,९५,००० रूपये से बढ़कर १८,८६,००० रुपये किस प्रकार हो गये ।

†**श्री के० डे० मालवीय** : ३९० में वह व्यक्ति भी आ जाते हैं जिनको सारे वर्ष के लिए नियुक्त नहीं किया गया था । वह थोड़े समय तक काम करते थे और फिर काम से अलग कर दिए जाते थे ; पुनः आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त कर लिए जाते थे और काम समाप्त होने पर हटा दिए जाते थे । असल में यह संख्या २२६ है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या २२६ की संख्या विवरण में कहीं पर दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डे० मालवीय** : हम देखेंगे कि २२६ कहां पर रखी जाये।

†**श्री फीरोज गांधी** : मेरा सुझाव है कि मांग संख्या ८३ को मतदान के लिए नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें गलतियां हैं और माननीय मंत्री उसमें कुछ अंक रखना चाहते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से वरिष्ठ मंत्री उत्तर देते समय इसको स्पष्ट कर देंगे। यदि उन्होंने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम इस पर विचार करेंगे कि इसको मतदान से रोक लिया जाये अथवा नहीं।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सभा में विभिन्न दलों द्वारा प्रकट किये गये मतों से मुझे बड़ा लाभ हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं कही गई सारी बातों पर कुछ कह पाता समय न होने के कारण मैं मुख्य बातों पर ही मत प्रकट करूंगा। साथ ही साथ मैं आश्वासन देता हूं कि जो कुछ कहा गया है उससे अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा?

पहिले मैं तीन इस्पात संयंत्रों के प्राक्कलनों के बारे में कहना चाहता हूं। प्रारम्भिक आंकड़ों में वृद्धि के आंकड़े १९५५ के अन्त में या १९५६ के आरम्भ में दिये गये थे। जो वृद्धि हुई है उसे हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहिले वर्ग में वे अनेकों मदें हैं जो प्रारम्भिक आंकड़ों में सम्मिलित नहीं थीं। इन में बस्तियां, खानों का विकास आदि हैं। इनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार करने वाले परामर्शदाताओं के परामर्श से जान बूझ कर अलग रखा गया था क्योंकि ये मदें हमारा उत्तरदायित्व हैं एवं इन पर हम किसी परामर्शदाता से यह सुनना नहीं चाहते कि बस्तियों पर अमुक व्यय होगा आदि। अतः इस कारण हुई वृद्धि को भूल के कारण या आयोजन या दूरदर्शिता के अभाव के कारण हुई वृद्धि नहीं कह सकते। खेल इसके ही आंकड़े लगभग १४० करोड़ रु० के हैं।

फिर उन मदों के आंकड़ों में वृद्धि का प्रश्न आता है जिनके लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किये गये थे। मेरे पूर्वाधिकारी ने दिसम्बर १९५६ में सदन में एक वक्तव्य में कहा था कि रूरकेला के पुनरीक्षित प्राक्कलन १७० करोड़ रु० के और दुर्गापुर के पुनरीक्षित प्राक्कलन १३८ करोड़ रु० के हैं। उन्होंने उन अनेकों मदों का भी उल्लेख किया था जो कि इन प्राक्कलनों में सम्मिलित न थे। अगस्त १९५७ में मैं ने भिलाई संबंधी जानकारी बताई तथा बताया कि भिलाई के पुनरीक्षित प्राक्कलन १३१ करोड़ रु० के हैं। अतः सदन को यह पूछने का अधिकार है कि रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के क्रमानुसार आंकड़े १२८ करोड़ रु०, ११० करोड़ रु० और ११५ करोड़ रु० से बढ़ कर क्रमानुसार १७० करोड़ रु०, १३१ करोड़ रु० और १३८ करोड़ रु० कैसे हो गये। वास्तव में ये पूर्व प्राक्कलनों की अपेक्षा पुनरीक्षित प्राक्कलन हैं। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिसम्बर १९५६ और अगस्त १९५७ में जो आंकड़े बताये गये थे वे नये आंकड़े थे। इन प्राक्कलनों में वृद्धि करने वाला कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है।

तीसरी बात यह है कि इन वृद्धियों के क्या कारण हैं। इन वृद्धियों के कारणों को चार वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम, वृद्धियां तथा सुधार। द्वितीय, ढांचों तथा अग्निसह ईंटों का अधिक मूल्यवान विदेशी संभरण। तृतीय, ये योरोप में मूल्यों में वृद्धि होने के कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं । चतुर्थ, परामर्शदाताओं के न्यून प्राक्कलन करने के कारण जो कि विशेष रूप से रूरकेला के मामले में हुआ है ।

जब हम सोचते हैं कि संयंत्र के उत्तम कार्य या उत्तम आर्थिक प्राप्ति के लिए वृद्धि तथा सुधार आवश्यक है तो वे करने पड़ते हैं । यदि हम पूर्ण आंकड़े पर ही दृढ़ रहें और सुधार आदि करने वाले संभावी परिवतनों पर तनिक भी ध्यान न दें तो यह राष्ट्रीय हित में नहीं है । अतः इन सुधारों व वृद्धियों के करने में मुझे दुःख नहीं है । दूसरी बात मैं ने ढांचों तथा अष्मसह इंटों के अधिक मूल्यवान संभरण की कही थी । आरम्भ में हमारा विचार था कि हमें सारे या कुछ ढांचे व अष्मसह इंटें देश में प्राप्त हो जायेंगे परन्तु हमारा विचार गलत निकला और हमें उनका आयात करना पड़ा जिससे मूल्यों में वृद्धि हो गई । तृतीय, यदि मूल प्राक्कलन बनाने के समय और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर क्रयादेश देने के समय में कुछ कालान्तर होता है तथा इसी बीच में मूल्य बट जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें पहिले के मूल्य पर केवल इस कारण वस्तु नहीं देगा कि हमारे प्राक्कलनों में पहिले के मूल्य लगाये गये हैं । योरोप तथा अन्य स्थानों पर मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण हमें अधिक मूल्य देने पड़े ।

चौथी बात यह है कि परामर्शदाताओं ने रूरकेला के न्यून-प्राक्कलन क्यों तैयार किये । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे राजकोष तथा परियोजना के हित की बात का ध्यान रखें तथा केवल भावों के कारण गलत बात ध्यान में न लायें । इस सम्बन्ध में परामर्शदाताओं का उत्तर यह है कि यदि हम उन सारी बातों का ध्यान रखकर जिनसे मूल्य में वृद्धि हो अपने प्राक्कलन तैयार करें तथा फिर उनके आधार पर टेन्डर या मूल्य-विवरण मांगें तो संभव है कि अन्य लोग उसकी अपेक्षा अधिक मूल्य बतायें । मुकाबले की भावना पैदा करते समय हम परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के आधार पर जो प्रत्येक संभरणकर्त्ता को विदित है, टेन्डर मांगते हैं । इस प्रकार अधिकतर आलोचना समाप्त हो सकती है क्योंकि प्राक्कलनों में अधिक वृद्धि नहीं होगी परन्तु इसमें पूरी संभावना यह है कि देश द्वारा दिये गये मूल्य के ऊंचे आंकड़े तैयार किये जाते । उन्होंने यह उत्तर दिया है तथा इस पर सन्देह करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है ।

रूरकेला में तुलनात्मक आधार पर मूल्य-विवरण मांगे गये थे । उनके आने पर जब ठेके दिये जा चुके थे या उन पर वार्ता हो रही थी, तब तो पुनः मूल्यांकन किया गया कि मूल आंकड़े कम थे तथा बताये गये मूल्य अधिक थे ।

मेरे माननीय मित्र श्री नौशीर भरूचा ने अपने सारे विचार प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से लिए हैं और ऐसे निकाय की खोजों से सहमता न होना एक नाजुक मामला है । परन्तु सदन और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस प्रतिवेदन पर विचार करने की एक नियम निधारित किया है विभिन्न सिफारशों पर अपने टिप्पण देने की मन्त्रालय को अनुमति देने की दृष्टि से माननीय सदस्य उस नियम का पालन करने में सन्तुष्ट रहें एवं प्राक्कलन समिति को सन्तुष्ट करने या स्वयं सन्तुष्ट होने की प्रक्रिया बनने दें ।

†**श्री ओझा** : क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन अन्तिम रूप में प्रकाशित होने के पूर्व मंत्रालय को दिखाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** प्रतिवेदन मंत्रालय भेजा जाता है ताकि वे यह देख सकें कि उसमें उल्लिखित तथ्य ठीक हैं। प्रतिवेदन इस दृष्टि से नहीं दिखाया जाता कि मंत्रालय को अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिले कि जो परिणाम निकाले गये हैं वे नहीं निकाले जाने चाहिए थे। इसीलिए यह कह रहा हूं कि इन संसदीय समितियों और मंत्रालयों के बीच उचित संबंध स्थापि करने की सामान्य प्रक्रिया का सहारा लेने के पूर्व, माननीय सदस्यों ने उन्हीं बातों के आधार पर मंत्रालय की टीका टिप्पणी की है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न बातों के बारे में अपना मत प्रकट करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** औचित्य के प्रश्न पर। क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति ने जो सिफारिश की वह उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने अपनी कठिनाई बता दी है। जब प्राक्कलन समिति कोई निश्चय करती है तो वह निश्चय मंत्रालय भेजा जाता है। मंत्रालय का अपना उत्तर होता है। फिर, जब वे प्राक्कलन समिति में आता है तो वे भी विचार करते हैं कि क्या भेजे गये उत्तर में कोई तथ्य है या नहीं। वे अपना निश्चय बदल सकते हैं। मंत्री महोदय यही बता रहे है कि इसके पूर्व कि मंत्रालय अपना प्राक्कलन समिति के समक्ष रखता तथा प्राक्कलन समिति अपने निश्चय बदलती, इन निश्चयों को लेकर माननीय सदस्यों ने यहां मंत्रालय की आलोचना की है। अतः उनका कहना है कि उन्हें प्राक्कलन समिति को उत्तर देने का जो अवसर मिलता वह नहीं मिला है एवं यही अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह परिणाम निकाला जाता कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। अतः स्वाभाविक है कि वह मंत्रालय का दृष्टिकोण व्यक्त करें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जहां तक मैं जानती हूं प्राक्कलन समिति मंत्रालय के उत्तर पर विचार करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन प्रकाशित करती है। फिर मंत्रालय इस पर विचार करता है। एक या दो वर्ष बाद जब प्राक्कलन समिति इस बात पर विचार करती है कि मंत्रालयों ने उसकी सिफारिशें कहां तक लागू की हैं और, यदि नहीं की तो, क्यों नहीं कीं, उस समय वह अपना मत बदलती है। यदि प्राक्कलन समिति के सिफारिशों से उत्पन्न होने पर कोई आलोचना की जाती है या कुछ कहा जाता है तो क्या माननीय मंत्री अपने मत पर दृढ़ रह सकते हैं, क्या यह ठीक है या गलत है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि माननीय महिला सदस्य ने कदाचित मुझे उसके अपेक्षा कुछ अधिक सीमित रूप में समझा है जितना कि मैं होना चाहता था। मैं ने यह कहा था कि उचित तो यह है कि माननीय सदस्यों को प्राक्कलन समिति के तर्क न अपनाने चाहिएं। इस विशिष्ट मामले में भी मैं सदन का ध्यान प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ १४१ पर परिशिष्ट १७ की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें तीनों इस्पात कारखानों के मूल प्राक्कलनों तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों के बीच अन्तर तथा उनके कारण स्पष्ट रूप से बताये गये हैं। रूरकेला के सम्बन्ध में चार कारण, भिलाई के सम्बन्ध में तीन कारण और दुर्गापुर के सम्बन्ध में ७ कारण दिये गये हैं कि ये वृद्धियां क्यों हुई

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

हैं । मेरा दुर्भाग्य है कि प्राक्कलन समिति इन्हें प्रतिवेदन में सम्मिलित न करके केवल परिशिष्ट में सम्मिलित कर सकी ।

जहां तक प्राक्कलनों का सम्बन्ध है उनके बारे में हमारे क्षमा प्रार्थी होने का कोई कारण नहीं है । इसका पूरा ध्यान रखा गया था कि हमारा धन सर्वोत्तम ढंग से व्यय हो एवं कुछ प्राक्कलनों पर इस कारण जमे रहना कि वे पहिले कहीं बताये जा चुके हैं, देश के हित में न होता । अतः इसका पुनरीक्षण एक छोटी बात है । इसके पूर्व कि मैं दूसरी बात पर जाऊं मैं टाटा के बारे में, जिन्हें बहुत अधिक अनुभव है, बताना चाहता हूं । १९५५ के अपने पहिले प्राक्कलन में उन्होंने अपने विस्तार के आंकड़े लगभग १०० करोड़ रु० रखे थे परन्तु बाद में वास्तविक व्यय मूल प्राक्कलनों की अपेक्षा लगभग ३० से ३३ प्रतिशत अधिक हुआ । यह ठीक है कि अन्य मामलों में ऐसा हुआ, लेकिन अब पिछले तीन वर्ष से आंकड़ों में वृद्धि नहीं हुई है ।

अब मैं अन्य बातों पर आता हूं । कुछ ठेकों की आलोचना की गई है । प्राक्कलन समिति ने इन ठेकों की जांच की है और अपना प्रतिवेदन दिया है । उनमें से कुछ ठेकों की यहां लेखा परीक्षक ने भी जांच की है और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उनका उल्लेख किया गया है । यह प्रतिवेदन लोक लेखा आयोग को दिया जायेगा । लोक लेखा आयोग, मंत्रालय तथा हिन्दुस्तान स्टील द्वारा दी गई जानकारी और टिप्पणियों के आधार पर इन ठेकों की जांच करेगा । तब उक्त समिति अपना दृष्टिकोण बतायेगी । इसलिये जिन दो ठेकों के सम्बन्ध में बम्बई गुट के माननीय सदस्यों ने आलोचना की है उनके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कुछ कह सकना मेरे लिये इस स्थिति में उचित नहीं है ।

उन्होंने केवल दो ठेकों को चुन लिया है और सभा को यह जानकारी देने की उदारता भी नहीं दिखाई है कि हिन्दुस्तान स्टील ने कुल कितने ठेकों के सम्बन्ध में बातचीत की है । उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है, इत्यादि । उन्होंने केवल इन दो ठेकों की बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है और उनके सम्बन्ध में निराधार बातें गढ़ ली गई हैं । हमें इन बातों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिये । एक दो बातों को चुन कर उन्हें बढ़ा चढ़ा कर कहने का कोई लाभ नहीं है । मेरे कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हमसे गलती नहीं हुई है । तथापि गलतियों की जांच की जा सकती है । यदि लेखा परीक्षा या अन्य कोई संगठन ऐसी बातों को बताता है जिन पर विचार करना आवश्यक है तो उन पर विचार किया जायेगा और हम उनसे लाभ उठायेंगे ।

मेरा कर्त्तव्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मैं उन दोनों ठेको के सम्बन्ध में जिन पर कि सभा में पर्याप्त चर्चा हुई है अपना दृष्टिकोण स्पष्ट न करूं । ये ठेके दुग्गल और हाकटीफ गेमन ठेके हैं जिनका समय समय पर उल्लेख किया गया । दुग्गल ठेका ढाई वर्ष पूर्व दिया गया था । यह इस कारण दिया गया था कि उनके कोटेशन (मूल्य कथन) सबसे कम थे । विरोधी पक्ष के सदस्य ने यह कहा है कि पंजाब की लोक लेखा समिति ने भी इसकी कटु आलोचना की थी तथापि उन्होंने यह बात भी कहने की उदारता दिखाई है कि वह प्रतिवेदन प्राधिकारियों के समक्ष नहीं आया था क्योंकि यह बाद की तारीख को प्रकाशित हुआ था । श्री नौशीर भरूचा ने यह कहा था कि हमें उस फर्म के पूर्व-इतिहास इत्यादि के सम्बन्ध में पूरी खोज करनी चाहिये थी । तथापि मेरा कथन

यह है कि दुग्गल के बारे में हमें ऐसी कौन सी बात ज्ञात थी कि हम उसके सम्बन्ध में विशेष जांच करने की आवश्यकता समझते।

वस्तुतः व्यक्तिगत रूप से भी ठेकेदारों के पक्ष में कुछ कहना मुझे पसन्द नहीं है। जैसा कि सभा को पहले भी बता चुका हूं कि सरकार के लिये यह अच्छा नहीं है कि वह इन बातों की विस्तार से जांच करे। माननीय सदस्यों का उद्देश्य केवल यह है कि हमें अपने रुपये की पूरी कीमत मिले। इसलिये ये बातें ठेकेदार और उस संगठन के बीच छोड़ देनी चाहियें जहां सामान पहुंचाया जा रहा है। हमारे लिये इन बातों पर विचार करना शोभा नहीं देता। इसलिये यदि हम पंजाब की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान न दें क्योंकि यह प्रतिवेदन उस समय प्रकाशित नहीं हुआ था तो हमें यह बात माननी होगी कि दुग्गल फर्म लोक निर्माण विभाग की प्रथम श्रेणी की फर्म थी। इन्होंने रेलवे, बंदरगाहों तथा बम्बई की शोधनशाला में महत्वपूर्ण कार्य किया था। यह एक मशहूर फर्म थी। इसलिये उनके इंजीनियरिंग तथा निर्माण संम्बन्धी अनुभव को देखते हुए तत्कालीन प्राधिकारियों ने उनके कोटेशन मंजूर कर लिये। वस्तुतः यह फर्म कई सरकारी संगठनों में ठेकेदार के रूप में पंजीयित थी। इसलिये यह कहना कि उन्हें ठेका देते समय हमें उस फर्म के संबंध में विशेष जांच करनी चाहिये थी ठीक नहीं है। मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं कि तत्कालीन अधिकारियों को उस समय असाधारण जांच इत्यादि करने की आवश्यकता थी।

अब यह प्रश्न बाकी रह जाता है कि ठेका देने के उपरांत भी उनको जर्मन बढ़इयों द्वारा अतिरिक्त सहायता क्यों दी गई। यह एक वैध बात है क्योंकि जब ठेका दिया जाता है और उसकी शर्तें तय हो जाती हैं तो यह आशा की जाती है कि काम ठेके की शर्तों के अनुरूप होगा और तब सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तथापि इस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखूंगा। रूरकेला में बहुत बड़े बंकर का निर्माण करना था क्योंकि धमन भट्टी में ले जाने के पूर्व कोयला, लोह अयस्क और चूने का पत्थर उसमें से आता है। हमने सामान्य नियम से इस सम्बन्ध में यह परिवर्तन किया कि यह रीइनफोर्स कंकरीट से निर्मित होगा। संभव है, हम कुछ अति सम्माननीय अतिथियों की आलोचनाओं से प्रभावित हुए हों। और हमने सोचा कि कंकरीट का बंकर बनाने से इस्पात की बचत होगी। रीइनफोर्स कंकरीट का कंकर हमारे देश में पहिली बार बन रहा है। इसका अनुभव न दुग्गल एंड कम्पनी को था न देश की किसी अन्य फर्म को। यह बताया गया है कि उन बढ़इयों को सामान्य लकड़ी की रंदाई इत्यादि का कार्य करने को कहा गया। कंकरीट डालने में एक विशेष प्रकार के शटरिंग की आवश्यकता होती है जो बहुत जटिल होती है। मुझे उन तीन माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस बात की आलोचना की है, यह शिकायत है कि उन्होंने मेरे निमंत्रण के बावजूद भी स्वयं अपनी आंखों से वहां के कार्य की जटिलता देखने का कष्ट नहीं किया है। यदि वे इन दिनों वहां जांय तो मुझे पूरा विश्वास है कि सैद्धांतिक आधार पर जो संदेह उठाये गये हैं वे दूर हो जायेंगे। ऐसे जटिल प्रकार का बंकर देश में इससे पूर्व कभी नहीं बनाया गया था। यद्यपि दुग्गल का यह कहना था कि मैं इसे कर सकता हूं आपको बेकार संदेह हो रहा है। तथापि हम किसी प्रकार का खतरा नहीं लेना चाहते थे। अतः हमें अपनी बुद्धि प्रयुक्त करनी थी।

ऐसे समय हमारे समक्ष तीन मार्ग थे। पहिला हम ठेका रद्द कर दें और किसी अन्य व्यक्ति से यह काम करने को कहें। या हम काम उन्हीं के हाथों छोड़ कर उन्हें कुछ

[सरदार स्वर्ण सिंह]

सहायता प्रदान करें, जिससे काम समय पर अविलम्ब पूरा हो जाय । ऐसे अवसर पर हमने यह निर्णय किया कि फर्म को विशेषज्ञता प्राप्त बढ़ई दिये जांय इन्हें कुछ देशों की शब्दावलि में इंजीनियर भी कहा जा सकता है । उस समय इस काम के लिये अन्य फर्म जो कोटेशन दे रहे थे वे इस फर्म के कोटेशन से बहुत अधिक थे । यदि हम नये फर्मों से टेंडर मांगते तो देश को बहुत अधिक राशि व्यय करनी होती । इसलिये यह मामला सामान्य बढ़इयों का नहीं है अपितु उन विशेषज्ञों से संबंधित है जो शटरिंग का जटिल काम करने, और संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये विदेशों से बुलाये गये थे ।

श्री नाथपाई ने यह बात कही है कि मैं ने सभा में यह कहा था कि यह फर्म अनुसूची के अनुसार काम नहीं कर रही है और उसे कुछ सहायता की आवश्यकता है । तथापि उन्होंने श्री रेजिडेंट डायरेक्टर को एक पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने लिखा है कि काम बिल्कुल ठीक और अनुसूची के अनुसार चल रहा है । इसके स्पष्टीकरण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है आपको सिर्फ उस समय का ध्यान रखना पड़ेगा जिसका जिक्र मैं और श्री गणपति कर रहे हैं । यदि वह फर्म अतिरिक्त मजदूरों की सहायता से सारी कमी पूरी कर लेती है और जो भी विलम्ब था वह दूर हो जाता है तब यदि ढेढ़ वर्ष बाद रजिडेंट डायरेक्टर यह कहते हैं कि हमने ठीक काम किया है, तब तो यह बात हमारे पक्ष में है ताकि ऐसी बात जिसका हमें स्पष्टीकरण करना पड़ेगा । यदि वह फर्म १९५७ में अनुसूची के पीछे काम कर रही थी तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह सदैव अनुसूची के पीछे ही रहे । मैं ठेकेदारों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं । तथापि मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसकी कटु आलोचना की है वे जानते होंगे कि इस ठेके को देने में मेरा कोई हाथ नहीं है । तथापि यह बताना भी मेरा कर्त्तव्य है कि कुछ कारणों की वजह से ही वह अनुसूची से पीछे था । पहिला कारण यह था कि खुदाई के समय यह ज्ञात हुआ कि पहिले (लीन) कंकरीट की राशि की जितना हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता थी । जब गहरी खुदाई की गई और हम मजबूत बुनियाद तक पहुंचे तो यह ज्ञात हुआ कि जमीन की खुदाई कर और अधिक सीमेंट डालना होगा । यह भी एक कारण था जिससे काम अनुसूची के पीछे रह गया । यह बात रूरकेला परियोजना के संबंध में हुई थी ।

†**श्री नाथ पाई :** मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जी० एच० एच० और जोन शैफर फर्मों ने खूब लाभ कमाने के अलावा इन बढ़इयों के लिये १२ लाख रुपये लिये । यह राशि उन्हें अन्य कमीशन के अलावा दी गई । जब कि श्री गणपति ने उन्हें सदैव यह प्रमाण पत्र दिया था कि उनके काम में जरा भी विलम्ब नहीं हो रहा है और काम बिल्कुल संतोष जनक है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इन शब्दों का आशय क्या है यह तो श्री गणपति ही बता सकते हैं । लेकिन मैं इन शब्दों का यह आशय स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं जो मेरे माननीय मित्र मुझे बता रहे हैं क्योंकि जब अतिरिक्त बढ़ई आये थे तो श्री गणपति उस पद पर नहीं थे । वस्तुतः हमें इस पत्र का समय देख कर उस पर विचार करना चाहिये । मैं ने इसकी यथासंभव व्याख्या करने का प्रयत्न किया है । निस्संदेह हमें तीन विकल्पों

†मूल अंग्रेजी में

में से एक को चुनना था। तथापि जिसने भी निर्णय किया उसके संबंध में विचार कर मैं यह नहीं कह सकता कि उसने यह गलत निर्णय किया।

यह कहना कि जर्मनी से भारत तक आये हुए विशेषज्ञ बढ़इयों को काम देने के लिये, क्योंकि ठेके की शर्तों के अनुसार हमें उन बढ़इयों को भेजने वाली फर्म को उनकी सेवाओं के लिये कुछ चुकाना था, यह काम दिया गया, गलत है। वस्तुतः यह ठेके की एक शर्त है। माननीय सदस्य ठेके के विरोध में आवाज उटायेंगे। इसके लिये पृथक से कोई कमीशन इत्यादि नहीं दिया गया। थोड़े से बढ़इयों को अतिरिक्त कार्य करने के लिये उपलब्ध करके उन्होंने जो थोड़ी सी राशि ली है, उसके लिये यह कहना कि उन्होंने ये बढ़ई अनावश्यक रूप से हमारे मत्थे मढ़ दिये हैं, गलत है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इसका तात्पर्य यह है कि उत्तम सिंह दुग्गल ने अपना काम इन जर्मन बढ़इयों के आने के पहिले समाप्त कर दिया था। यदि ऐसा है तो इस सारी समस्या का रूप ही बदल जाता है। रेजिडेन्ट डायरेक्टर के शब्दों से भी हमारी बात की पुष्टि हो जाती है कि सारा काम अनुसूचि के अनुसार चल रहा था।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्या से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार न करें कि ठेकेदार ने समय समय पर क्या कहा है। इस सम्बन्ध में अब भी विवाद पैदा हो सकते हैं। बात यहीं समाप्त नहीं होगी। बल्कि वे अध्यक्ष तक जा सकते हैं। वे यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने ज्यादा व्यय कर दिया है। उनके कार्य के सम्बन्ध में दिन प्रति दिन का हिसाब देना और यह कहना कि वह कब अनुसूची के पहिले थे और कब पीछे थे राष्ट्र हित की दृष्टि से उचित नहीं है। वस्तुतः यह सभा मुख्य बातों से संबंधित है। विस्तृत बातों पर हम अन्य स्थानों में भी चर्चा कर सकते हैं।

अब मैं हाकटीफ गेमन को लेता हूं। जिस बात को लेकर माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हुये हैं उस सम्बन्ध में स्थिति यह है। जिस बात की सामान रूप से आलोचना की गई वह यह थी कि वे भी उस परामर्शदाता फर्म के साझेदार थे जिसने निर्माण कार्यों के लिये विस्तृत नकशे और डिजायन बनाये थे। इसलिये बाद में ठेका उनको नहीं दिया जाना था। सामान्य रूप से यदि हम ऐसा न करें तो अधिक अच्छा हो। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं सभा से उन स्थितियों और पृष्ठभूमि का विचार करने को कहूंगा जिनको ध्यान में रखते हुये ठेका दिया गया था।

असैनिक निर्माण कार्यों में रोलिंग मिल (वेलन कारखाना) का ठेका सबसे मंहगा और जटिल है। उस कारखाने में कई विभाग हैं ब्ल्यूमिंग मिल, रालिंग मिल, कोल्ड राल मिल, हाट स्ट्रिप विभाग इत्यादि। हमको लागत लगभग ८ करोड़ है। यह बहुत जटिल प्रकार का कार्य था। तत्संबन्धी अनेक विस्तृत नकशे इत्यादि इन्होंने ही बनाये थे बाद में उनमें से एक ने ठेका भी ले लिया।

इसी कार्य के लिये दो अन्य फर्मों ने भी कोटेशन दिये थे। उनमें से एक फर्म हमारे इस्पात संयंत्रों में ही अन्यत्र कार्य कर रही थी। दूसरी फर्म ब्रिटेन की थी उनके कोटेशन न केवल ऊंचे ही थे अपितु विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह समझा गया कि अधिक कोटे-

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

शन मांगने उचित नहीं है। प्रतियोगिता के आधार पर हमने कोटेशन मांग लिये थे। उनकी निश्पक्ष जांच कर ली गई थी। दूसरे भारतीय साझेदार की सहकारिता का पूरा आश्वासन मिल गया था। इसलिये हमने सोचा कि हाकटीफ गैमन को ठेका देने में कोई हानि नहीं है। गैमन भारतीय साझेदार फर्म थी और हाकटीफ जर्मन फर्म थी। साथ ही इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि परामर्श और अधीक्षण के कार्य से उनका कन्सोर्टियम से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। यह कार्य अवशेष तीन फर्मों द्वारा किया जायेगा। बस्तुतः यह ठेका जर्मन और भारतीय साझेदारी की फर्म को इस कारण दिया गया कि इससे विदेशी मुद्रा और रुपये की बचत हो तथा देश में प्राप्त अनुभव व सामग्री का उपयोग हो सके।

एक अन्य प्रश्न है जिस पर पर्याप्त चर्चा की गई है। उन्होंने यह कहा है कि सामग्री के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं वे तो कम मालूम होते हैं लेकिन उस लम्बी अवधि में किराये की राशि वास्तविक लागत से कहीं अधिक हो जाती है। यह उसी ठेके की एक मद है। मेरे विचार से इसे मुख्य मद से पृथक् रखना उचित था। क्योंकि मुख्य मद में कुछ ऐसे खंड थे जिनमें मात्रा की वृद्धि से लागत की वृद्धि हो सकती थी। उसमें कुछ ऐसी मदें थी जिनसे अन्त में प्रभाव पड़ सकता था। इस सम्बन्ध में राय भी ली गई तथा हिसाब लगा कर भी यह देखा गया कि यदि संधारण मशीनों के बदलने इत्यादि का सारा हिसाब जोड़ा जाय तो भी यह लागत बहुत अधिक नहीं है।

इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। माननीय सदस्या यहीं हैं। मेरे विचार से उन्होंने सिंचाई मंत्रालय के कर्मचारियों से यह पूछा है कि किराया उचित है या नहीं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है उन्हें यह बताया गया है कि किराया अधिक नहीं होता है। मैं यहां पर भी बता देना चाहता हूं कि हमने अपनी सामग्री भी विभिन्न ठेकेदारों को दी हुई है और वे उनका प्रयोग कर रहे हैं। हम उनसे जो किराया ले रहे हैं वह हमारे द्वारा दिये जाने वाले किराये से कहीं अधिक है। मेरे विचार से किराये की राशि के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा। पिछली बार मैंने जानबूझ कर इन ठेकों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था। क्योंकि मैंने सोचा था कि दूसरी संस्थायें स्वयं उनकी जांच कर लेंगी। अतः मेरा उस सम्बन्ध में कुछ न कहना ही उचित है।

अब मैं इन तीन इस्पात संयंत्रों के परामर्शदाताओं के काम को लेता हूं। सर्वप्रथम हमें यह भ्रांति दूर कर देनी चाहिये कि संभरणकर्त्ता फर्म से जो लोग सम्बन्धित हैं वे अवश्य धोखा करेंगे। कुछ मजदूर फर्मों के सम्बन्ध में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। भिलाई में रूसी विशेषज्ञ ही हमारे परामर्शदाता भी हैं। हम रूसी परामर्शदाताओं को भी उतना ही शुल्क दे रहे हैं जितना कि हम रूरकेला और भिलाई में अन्य परामर्शदाताओं को दे रहे हैं। सभा ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है कि रूसी टेक्नीकल कर्मचारी तथा संभरण कर्त्ता दोनों रूस की सरकार से सम्बन्धित हैं इसलिये वे हमें सामग्री की टेक्नीकल उपयोगिता के सम्बन्ध में ठीक सलाह नहीं देंगे। हमारा अनुभव भी यही कहता है। तथापि हमने इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने के लिये दूसरों का भी परामर्श लिया। जिन बातों के सम्बन्ध में कुछ संदेह था वहां इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कम्पनी ने जांच की, तथापि हमें रूसी टेक्नीकल परामर्शदाताओं की, जो हमारे परामर्शदाता थे की सलाह से काम किया। इसी प्रकार क्रपडीमन की फर्म है जिन्हें हमने अपना टेक्नीकल परमर्शदाता नियुक्त किया है। मैंने उस बात की जड़ तक पहुंचने का प्रयत्न किया है जिससे माननीय सदस्य चिन्तित हैं। उन्होंने यह कहना चाहा है क्योंकि वे कुछ मंत्रों के संभरणकर्त्ता भी हैं।

अतः वे उनके प्राक्कलन इत्यादि में के सम्बन्ध में सही राय नहीं देंगे। इसी दृष्टिकोण से मैंने रालिंग मिल के सम्बन्ध में जांच करने का प्रयत्न किया है क्योंकि इसी बात को लेकर मुख्यतः आलोचना की गई है। रालिंग मिल के जिन पुर्जों का संभरण क्रय डीभग ने किया है उनकी संख्या बहुत कम है। यदि वृद्धि हुई है तो वह विद्युत उपकरणों के सम्बन्ध में हुई है जिसके कई कारण थे।

†**श्री सूपकार** : विद्युत के सम्बन्ध में केवल ५ करोड़ की वृद्धि हुई है जब कि प्राक्कलन ४८ करोड़ से बढ़ कर ७२ करोड़ तक पहुंच गये हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : रूरकेला के सम्बन्ध में इन सब बातों को प्राक्कलन समिति के पृष्ठ १४१ में लिखा गया है। उसका संक्षेप इस प्रकार है। प्राक्कलन के दिन से टेंडर की तारीख तक मंजूरी, मूल्यों व कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने से लागत में ११.६९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इससे परामर्श दाताओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। सुधार तथा बढ़ाने इत्यादि से ११.२६ करोड़ की वृद्धि हुई। देश के अन्दर परिवहन इत्यादि के कारण ५.११ करोड़ की वृद्धि हुई। बम्बई के माननीय सदस्य ने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है कि ये ऐसे परामर्शदाता थे जिन्होंने जिस कार्य पर संयंत्र का निर्माण होना था उसकी लागत भी प्राक्कलनों में शामिल नहीं थी। यह बात बताने के लिये मुझे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिये मैं उस परामर्श दाता को जिसे हम ५० लाख रुपये दे रहे हैं एक या २ प्रतिशत और रकम नहीं देना चाहता हूं। हमें पता है कि हमें जमीन की कीमत जोड़नी होगी। इसलिये यदि हम बाद में उन मदों को जोड़ें जो हमने पहिले नहीं जोड़े थी तो मेरे समझ में नहीं आता कि हमने क्या गलती की। उदाहरणार्थ नगर बनाने की लागत, हम जानते थे कि हमें एक नगर बसाना होगा यह बताने के लिये हमें किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं थी।

†**श्री सूपकार** : यदि ऐसा था तो १२० करोड़ रुपयों के व्यय को सभा के समक्ष क्यों नहीं बताया गया। संसद् को ठीक समय पर इस सम्बन्ध में सूचना क्यों नहीं दी गई।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार से माननीय सदस्य उस समय मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वस्तुतः मैंने सब से पहिले इसी तर्क को लेकर भाषण प्रारम्भ किया था हमने सभा को इस सम्बन्ध में समय समय पर पूरी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। अतः मैं सोचता हूं कि अब माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

अब मैं संशोधित प्राक्कलनों (जो पूरे हो गये ठेकों पर निर्भर थे) और परियोजना के विस्तृत विवरण के प्राक्कलनों का अन्तर जो १३.९४ करोड़ है को लेता हूं। इसका स्पष्टीकरण प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के परिशिष्ट में किया गया है। मैं यह बात बताने का प्रयत्न कर रहा था कि उनके मन में यह भ्रांति है कि परामर्श दाताओं के साथ किये गये समझौते के कारण, उनके ही संभरणकर्ता भी होने से वे हमारे हितों का ध्यान नहीं रखेंगे। मैं रूरकेला के सम्बन्ध में यह बता चुका हूं कि क्रय और डीभग ने जो दो बार सामग्री का संभरण किया उसमें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम वृद्धि हुई"।

†**श्री नौशीर भरूचा** : प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ५१ में स्पष्ट लिखा है कि "समिति को इस बात का दुख है कि नगर, लोहे अयस्क की खानों, पत्थर की खानों के प्राक्कलन संसद के समक्ष नहीं रखे गये"।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निसंदेह सदस्य ठीक कह रहे हैं। तथापि कदाचित उन्होंने उनके कथन का अभिप्राय नहीं समझा है। उसमें लिखा गया है कि उसमें नगर निर्माण के प्राक्कलन

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

शामिल नहीं किये गये हैं। तब वह १३ करोड़ हो या १५ करोड़ उसमें विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। जब मैं कहूं कि वहां नगर निर्माण होगा तब यह बात गौण हो जाती है कि मैंने यह नहीं कहा कि उसमें १३ करोड़ लगेंगे या १५ करोड़।

दुर्गापुर में हमारी परामर्शदाता फर्म इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कम्पनी है। उनका संभरण-कर्त्ताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये इस बात पर व्यापक दृष्टि से विचार करना और यह कहना कि हमारे हितों की रक्षा नहीं की गई गलत है। दुर्गापुर के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया है कि हम इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कम्पनी को जो शुल्क दे रहे हैं उसके अलावा हम 'इसकोन' को भी १४ करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह एक टेक्नीकल मामला है अतः मैं इस सम्बन्ध में किसी को दोष नहीं दे सकता हूं। वस्तुतः परामर्शदाताओं और इसकोन के नियमों के सम्बन्ध में कुछ भ्रांति है। मैं सभा में कई बार बता चुका हूं कि इसकोन हमारे ठेकेदार और संभरण कर्त्ता हैं परामर्शदाता नहीं हैं। जब कि इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कम्पनी हमारे परामर्शदाता हैं और उनका काम यह देखना है कि 'इसकोन' द्वारा किया गया काम निर्धारित नकशों के अनुसार है या नहीं।

तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठेका देते समय १४ करोड़ रुपये की राशि पृथक् से क्यों दी गई। जब कि सभी मदों यथा धमन भट्टी, रोलिंग मिल, कोक ओवन इत्यादि के लिये पृथक पृथक राशि रखी गई। वस्तुतः बात यह है कि भिलाई और रूरकेला में विभिन्न कारखानों के लागत की पृथक् से जांच की गई थी। जिन वस्तुओं का सौदा पृथक् से किया गया उनके लिये यह कहना अधिक सुविधाजनक होगा। वस्तुतः अदा करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उस सारी बात को संगठित रूप से और ठीक समय पर भी करना होता है। कन्सोर्टियम ने ऐसे संगठन की व्यवस्था कर दी थी। कन्सोर्टियम में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का संभरण करते थे। कुछ बातों का हिसाब रखना होता था। वस्तुतः यह एक हिसाब लगाने वाला मामला था। कुछ मदों के कारण कुछ हिसाबों को पृथक् रखना था। कन्सोर्टियम ने एक ऐसे संगठन की भी व्यवस्था की थी जो यह देखे कि निर्माण ठीक तरह हो। केवल सामग्री एकत्र करने से तो मकान नहीं बन जाता है। किसी व्यक्ति की देख रेख में वह काम भी करवाना होता है। इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कम्पनी जो हमारे परामर्शदाता हैं, वे ही ठेके की शर्तों के अनुसार हमारे मिस्त्री (आर्कीटेक्ट) इंजीनियर हैं वे ही इस बात की भी देख रेख करेंगे कि काम निर्धारित नक्शों के अनुसार पूरा हो। संभरणकर्ता वे हैं जो कुछ सामग्री हमें देते हैं। इसलिये विभिन्न मदों के अलावा यह मद ऐसी थी जिसे हम सरलता से पृथक् रख सकते थे। निसंदेह हम अब यह सोचते हैं कि हम उनसे यह राशि विभिन्न मदों के अन्तर्गत रखने को कह सकते थे।

वस्तुतः हमें ठेकेदार और परामर्शदाता के कार्यों में भेद करना होगा। ठेकेदार को एक चीज निर्मित कर उसे ठेके की शर्तों के अनुसार मुझे देना होगा। जब कि परामर्शदाता मुझे यह बतायेगा कि वह चीज निर्धारित नमूने के अनुसार बनी है या नहीं। इसलिये इन दोनों के कार्य भिन्न हैं। इनके बारे में बहुत भ्रांति पैदा हुई है।

अब मैं अपनी सफाई न दे कर यह कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने इन बातों पर पर्याप्त विचार किया है। मैं इसके लिये उनका प्रसंशा करता हूं। मुझे बहुत से सुझावों से फायदा पहुंचा है। मैं उनमें से कुछ सुझावों को लेता हूं और यह बताऊंगा कि सरकार उनके बारे में क्या विचार कर रही है।

अनेक माननीय सदस्यों ने डिजायन संगठन के सम्बन्ध में कहा है। वस्तुतः यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसको शिशु रूप में प्रारम्भ कर दिया है और हमारा विचार है कि हम भविष्य में इसे अधिक सुदृढ़ बनायें। हम निसंदेह स्थानीय प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को उसमें स्थान देंगे। इसलिये आवश्यकता होने पर विदेशी सहकारिता प्राप्त करने में भी हमें किसी तरह की हिचक नहीं होगी। कहां आवश्यकता है और कहां नहीं इस सम्बन्ध में आपका मेरा मतभेद हो सकता है। हमारा इरादा यह है कि हम उपलब्ध विदेशी सहकारिता के उपयोग से इसे प्रभावशाली रूप में संगठित करेंगे और इसके कार्य का रांची में स्थापित होने वाले भारी इंजानियरिंग निगम के कार्य से समन्वय करेंगे। हमारा यह उद्देश्य है कि नये विकास कार्यक्रमों तथा नये संयंत्रों में हम यथा संभव स्वदेशी यंत्रों और सामग्री का प्रयोग करें इस अभिप्राय के लिये हम देश में उपलब्ध टेक्नीकल ज्ञान तथा यंत्रों का अधिकतम क्षमता में उपयोग करेंगे। भारी इंजानियरिंग निगम तथा डिजायन संगठन में पूरा समन्वय रहेगा तथा यह संगठन ऐसे स्थान पर बनाया जायगा जहां से उन दोनों में सुविधापूर्वक और सरलता से परामर्श हो सके।

श्री दासप्पा तथा एक और सदस्य ने कहा कि इस्पात के वितरण, निर्यात तथा आयात नीति के सम्बन्ध में विभिन्न मामलों में परामर्श देने के लिये एक सलाहकार परिषद् बनायी जानी चाहिये। यह बड़ा ही सुन्दर सुझाव है। प्राक्कलन समिति ने ऐसा ही सुझाव दिया था। माननीय महिला सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं सर्वदा ही प्राक्कलन समिति के सुझावों से असहमत नहीं होता हूं। अब मैं यही विचार कर रहा हूं कि यह सलाहकार परिषद् किस प्रकार की होनी चाहिये।

मेरे मित्र श्री भरूचा ने शंका प्रकट की है कि इस्पात की लागत अधिक होगी। उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से कुछ आंकड़े बताय। मेरा इस सम्बन्ध में यही कहना है कि वह मेरे पास आयें और मैं स्पष्ट कर दूंगा कि उनकी गणनायें ठीक नहीं हैं। उन्होंने २०० करोड़ रुपये बताये हैं। इससे उन्हें अवक्षयण तथा सूद आदि के आंकड़े में जोड़ने चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि हमने उससे अधिक धन व्यय नहीं किया है जितना टाटा अथवा इंडियन आयरन ने अपनी स्थापना पर व्यय किया। अन्य देशों की तुलना में भी इस्पात संयंत्रों की स्थापना पर हमने कम ही धन व्यय किया। हमारे यहां जनशक्ति सस्ती है। हम प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठा रहे हैं। हमारे लौह अयस्क उत्तम प्रकार के हैं। विभिन्न कामों के लिये हमारे पास विद्वान व्यक्ति हैं। इस आधार पर मैं समझता हूं कि हमारे इस्पात के मूल्य बड़े उचित हैं। इसलिये देश का औद्योगीकरण करने के बारे में हमारे प्रयत्नों का बड़ा ग़लत चित्र हमारे सामने रखा गया है। यदि इस्पात के मूलभूत उद्योग का उचित विकास नहीं रहेगा तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

हमारे परामर्शदाताओं ने भी लागत के बारे में कुछ बताया था। उनके द्वारा बताये गये आंकड़े बड़े आकर्षक थे। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि चाहे हमने कितनी भी ग़लतियां क्यों न की हों परन्तु फिर भी हमारे इस्पात के मूल्य तुलनात्मक तथा कम होंगे। श्रीमान्, मैं सामान्यतः संयम से काम लेता हूं परन्तु जब हम इन संयंत्रों का निमाण कर रहे हैं, इतना विकास कार्य कर रहे हैं उस समय मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई यह कहे कि हमें एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिये। मुझे भी कुछ अनुभव है। परन्तु यह कहना कि सभी प्रकार के काम छोड़ कर हमें न्यायिक जांच की प्रतीक्षा करनी चाहियें, ठीक नहीं है। इस्पात संयंत्रों के बारे में बहुत सी अन्य संस्थाओं के द्वारा सावधानी से सभी बातों की जांच की जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा ग़लती

[सरदार स्वर्ण सिंह]

करने पर उस व्यक्ति को उचित दण्ड दिया जाता है क्योंकि दण्ड दिया भी जाना चाहिये। परन्तु यह कहना कि हम काम ही बन्द करके बैठ जायें; एक दम ग़लत बात है ।

लैबोरेटरी को संगठित करने का सुझाव दिया गया । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि तोनों इस्पात संयंत्रों में पूरे यंत्र लग जायें और उनमें यंत्रयुक्त लैबोरेटरी भी बना ली जायें । छोटो निम्न उदण्ड भट्टियों (शैफ्ट फरनेस) के विकास के बारे में कुछ कहा गया । आरम्भ के भाषण में ही इसके सम्बन्ध में मैं कुछ बता चुका हूं । प्राथमिक, संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है और उसके अनुभव से हमने लाभ उठाया है ।

योजनाओं के विस्तार के बारे में मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता कि मैं उन सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि चौथा संयंत्र लगाने से पूर्व हमें वर्तमान संयंत्रों का विस्तार करना चाहिये । यह बड़ा ही सुन्दर सुझाव दिया गया है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में '१० लाख, इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध को इस प्रकार योजना बनाई गई है कि इनका स्वमेव विस्तार हो जायेगा । भूमितल में पाइप आदि लगाने की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि विस्तार निश्चित रूप से हो जायेगा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा विचार इनके विस्तार का ही है । हमें अनुभव हुआ है कि इसके बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही करनी चाहिये और इसीलिये बोकारो इस्पात संयंत्र का परियोजना अध्ययन करने के लिये हमने एक भारतीय परामर्शदाता सार्थ को नियुक्त किया है जिससे इस सार्थ के द्वारा बनाये गये आंकड़े के आधार पर यह निर्णय किया जा सके कि चौथा इस्पात संयंत्र कब बनाया जाये । हमें इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करना है तथा शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं लेना है ।

दोनों धमन भट्टियों में उत्पादन के बारे में कुछ शंकायें प्रकट की गई । मैंने पहले भी इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था । मुझे पता लगा है कि रूरकेला धमन भट्टी का कल का उत्पादन ६३० टन से कुछ अधिक था । भिलाई का ८०० टन से कुछ अधिक था । भिलाई में उत्पादन अधिक हो रहा है और कुछ दिनों तो उसमें १००० टन का भी उत्पादन हुआ है । परन्तु औसत ८०० टन का ही है । मैंने बताया था कि इसमें कहीं पर कुछ खराबी आ गई थी । और इसी कारण वश उत्पादन कम था । परन्तु अब मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि उत्पादन बढ़ेगा ।

हमने भद्रावती का विस्तार करने का निश्चय कर लिया है और सभी संभावित काम किये जा रहे हैं जिनके द्वारा इसका विस्तार किया जायेगा । प्रथम योजना काल में भी इसको बढ़ाया गया था । इससे सम्बन्धित कुछ योजनाओं को स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त मैं सभा को प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने मुझे बताया है कि सिद्धान्ततः वह इसके लिये निगम बनाने के लिये उत्सुक हैं क्योंकि उसी पद्धति के अनुसार इन संगठनों का प्रबन्ध ठीक प्रकार से किया जा सकता है । प्रशुल्क आयोग ने भी निगम बनाने का ही सुझाव दिया था । इस भद्रावती परियोजना के विस्तार की कुछ योजनायें हमने बनाई हैं तथा उन सभी के सफल होने की हमें आशा है । परन्तु इन योजनाओं के लिये हमने पहले ३ करोड़ रुपये का प्राक्कलन किया था जब कि अब हमने उसकी ब्योरेवार योजना बना कर उसके लिये ५ करोड़ रुपये रखे हैं । मुझे इस बढ़ोतरी की कोई चिन्ता नहीं है और भद्रावती का विस्तार करने में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं है । इसके विस्तार के लिये आवश्यक जो भी कुछ किया जा सकता है, वह किया जायेगा ऐसा आश्वासन मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं ।

अलौथ तथा टूल इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में कहा गया । इसके बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । हमें निश्चित निर्णय लेना है कि इसको कहां पर स्थापित

किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि इसको उत्तम स्थान पर स्थापित किया जाये और धन भी कम व्यय हो ।

हिन्दुस्तान स्टील के निदेशकों के बोर्ड के बारे में कुछ कहा गया। मैं समझता हूं कि हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिसका असर महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्तियों पर पड़े। श्रीमती रेणुचक्रवर्ती ने कहा कि हमें अपने कुछ धातुविज्ञान विशेषज्ञों को निदेशक बनाना चाहिये। परन्तु तथ्य यह है कि उचित प्रकार के इस्पात की जानकारी बोल वाले व्यक्तियों की बड़ी कमी है। श्री नाथपाई के समान मेरा भी मत है कि प्रत्येक पद पर भारतीय हों। परन्तु यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि निदेशकों के रूप में रखने के लिये हमारे पास उपयुक्त इस्पात के जानकार व्यक्ति नहीं हैं। परन्तु फिर भी मैं इस्पात के जानकार भारतीयों की खोज में हूं और आशा करता हूं कि उनके मिल जाने पर जब मैं उनको दिये जाने वाले वेतन के प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा तब सभा उन्हें स्वीकार कर लेगी क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को ७०००, ८००० तथा १००००रुपये तक वेतन दिया जाता है ।

संधारण मूल्य के बारे में भी कुछ बताया गया। सामान्यत: हम प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार काम करते हैं। यद्यपि कभी-कभी प्रशुल्क आयोग की भी यहां पर आलोचना की जाती है परन्तु मैं समझता हूं कि एक संविहित संगठन बनाने के पश्चात् हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। इस्पात एक नियंत्रित वस्तु है तथा इसके मूल्य निश्चित करते समय, सभी व्ययों पर विचार किया जाता है। संधारण मूल्य के सम्बन्ध में हम पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम के आधार पर काम कर रहे हैं। जब तक प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों द्वारा बताई गई राशि में कोई अन्तर नहीं पड़ता है तब तक चाहे आप शेष दो वर्षों के सम्बन्ध में अथवा कुल पांच वर्षों के सम्बन्ध में गणना करे, कोई अन्तर नहीं पड़ता है। उत्पादन शुल्क को हमने भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया यद्यपि प्रशुल्क आयोग ने कहा था कि उसकी भी गणना पांचों वर्षों के आधार पर की जानी चाहिये। हमने उत्पादन शुल्क को उसी तिथि से लगाया जिसे विथि को उसकी घोषणा की गई थी। कोयला, मूल्य, लाभांश, बिजली पर आदि इतने मद हैं, उन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री नाथपाई :** मंत्री महोदय इंटरनेशनल स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी की पूंजी के प्रश्न का उत्तर दें ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने आंकड़े नहीं देखे हैं। परन्तु मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि चाहे वह थोड़ी पूंजी हो अथवा अधिक पूंजी हो, इसका कोई अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई पूंजी नहीं है। इसलिये यह तो छोटे-छोटे मामले हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब श्री मालवीय आंकड़ों को स्पष्ट करें।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैंने इन आंकड़ों को समझने का प्रयत्न किया है। अंकों में कोई ग़लती नहीं है। केवल इतनी कमी इसमें रह गई कि यदि इसमें एक स्पष्टीकरण नोट जोड़ दिया जाता और उसमें आंकड़े खोल कर बता दिये जाते तो समझ में आसानी से आ सकते थे। १३.६५ लाख रुपये का प्राक्कलित व्यय ३९० पदों के लिये दिखाया गया है । ऊपर से कुछ गड़बड़ी इन आंकड़ों में दिखाई देती है क्योंकि ३९० पदों के लिये १३.६५ लाख रुपये और ३३६ पदों के लिये १८ लाख रुपये इसमें दिखाये गये हैं। परन्तु ३९० पदों की स्वीकृति अपूर्ण है। स्वीकृति पदों के लिये भरती करनी होती है। और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि १३.६५ लाख रुपये का उपबन्ध ३९० पदों के लिये १२ महीनों के लिये नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री के० दे० मालवीय]

नवम्बर १९५७ में प्राक्कलन बनाते समय तदर्थ उपबन्ध किये गये थे। परन्तु १९५९-६० में इन उपबन्ध में परिवर्तन कर दिये गये। अब वित्त मंत्रालय आय-व्ययक प्राक्कलनों में ऐसे किसी भी उपबन्धकों को शामिल नहीं करती है जिसकी स्वीकृति पहिले ही प्रदान करली गई है। इसलिये ३३६ स्वीकृत पदों का व्यय १८.८६ लाख रुपये रख दिया गया है।

अन्त में, मेरा यही कहना है कि यद्यपि ३३६ के लिये ३९० अंक हैं परन्तु यह ३९० पद १२ महीनों के नाम के लिये नहीं हैं। यह प्राक्कलन तो अग्रिम रूप में बना लिया गया था। सच यह है कि यद्यपि १३.६५ लाख रुपये का प्राक्कलन किया गया था परन्तु व्यय केवल ११.९५ लाख रुपये ही किये गये। अब पूर्णतः आयोजित ३३६ पदों के लिये १८.८६ लाख रुपये का प्राक्कलन किया गया है। जब कि पिछले वर्ष ३९० पदों का प्राक्कलन बनाया गया था और नियुक्ति केवल २२६ व्यक्तियों की गई थी जिन पर ११ लाख रुपया व्यय किया गया।

†**श्री नौशीर भरूचा** : सभा ने १३ लाख रुपये ३९० व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये दिये थे। इसलिये उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह २२६ व्यक्ति नियुक्त करे और ११ लाख रुपया व्यय करें। संभव है कि अब वह ३३६ व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये १८ लाख रुपया जो मांग रहे हैं उसमें से १०७ व्यक्ति नियुक्त करे और १७ लाख रुपया व्यय करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने स्पष्टीकरण दे दिया है अब मानीय सदस्य स्वयं निर्णय कर लें। क्या कोई माननीय सदस्य किसी कटौती प्रस्ताव पर मत विभाजन चाहते हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : हम कटौती प्रस्ताव संख्या ११२६ पर मत विभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ११२६ मतदान के लिए रखा गया। सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २१, विपक्ष में ८५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अन्य सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८१	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय	३६,९८,०००
८२	भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	२,०२,६३,०००
८३	तेल और प्राकृतिक गैस की खोज . . .	३,१०,३४,०००
८४	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय .	२४,८१,४०,०००
१३०	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२,०६,६०,०००

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा में अब निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ९५ से ९९ तथा १३६ से १३८ पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे, १५ दिन मिनट में अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या सभा पटल पर दे दें ।

वर्ष १९५९-६० के लिये निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९५	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . .	५७,९७,०००
९६	संभरण . . .	२,५९,१९,०००
९७	अन्य असैनिक निर्माण कार्य . . .	२४,७४,१२,०००
९८	स्टेशनरी और मुद्रण	७,१२,६३,०००
९९	निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय . .	१,०९,०५,०००
१३६	दिल्ली पूंजी व्यय .	६,७१,१७,०००
१३७	भवनों पर पूंजी व्यय . . .	७,५३,९२,०००
१३८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	६,५५,३९,०००

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया गया । पिछले साल भी मुझे वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई की डिमांड्स पर बोलने का अवसर मिला था । इस वर्ष भी मैं इस सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । इस मिनिस्ट्री में तीन डिपार्टमेंट शामिल हैं—वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई । जहां तक वर्क्स का सवाल है, पिछले साल बहस करते हुए कुछ लोगों ने पी० डब्ल्यू डी० को पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट कहा था, लेकिन अगर उस को **प्लंडर विदाउट डेंजर** कहा जाय, तो कुछ बुरा न होगा । यह देखा जाता है कि जिस वक्त ठेके लिए जाते हैं, तो उस वक्त दस परसेंट तो वैसे ही मार्जिन रखा जाता है, ताकि लोग खुले तौर से दस परसेंट की बचत कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी आप ने भी कंट्रेक्ट का काम किया है ?

श्री मोहन स्वरूप : किया नहीं है, लेकिन और लोगों को देखा है । यह आम तौर पर देखा जाता है कि सामान चोरी चला जाता है, मैटिरियल गायब हो जाता है। रिश्वत का यह हाल है कि शुरू से ले कर आखिर तक—ओवरसियर से ले कर चीफ इंजीनियर तक ठेकेदार को रुपया देना पड़ता है । ऐसे सूरते-हालात में ईश्वर ही जाने कि मकानों की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है । रोजाना हम और आप यह सब देखते हैं । मैं ने १७ मार्च

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ को क्वेस्चन नम्बर २०३८ पूछा था, जो कि टनकपुर में डाकखाने की बिल्डिंग के बारे में था । वह डाकखाना तीन चार बरसों से बन रहा है और अभी तक सिर्फ दीवारें जरा उठ पाई हैं । वह जगह मेरी कांस्टीच्युएन्सी में है । मैं ने उस के मुताल्लिक तहकीकात की है और मुझे बताया गया है कि बहुत सा सामान गायब हो गया है और उस में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ भी शामिल है । यह बात मुझे बताई गई है । मुमकिन है कि यह गलत हो । मुझे बताया गया है कि साइट से लोहा और सरिया गायब हो गया है और इमारत अभी थोड़ी सी बनी है । मिनिस्टर साहब ने उस वक्त यह जवाब दिया था कि पिछले ठेकेदार ने जो काम छोड़ा था उसे पूरा करने के लिये एग्जेक्यूटिव इंजीनियर, सी० पी० डब्ल्यु० डी०, ने टेन्डर मांगे थे । इस काम पर अब जो खर्च होगा वह पिछले अनुमान से ज्यादा हो गया है । कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है और १९५९-६० में उसके खत्म हो जाने की उम्मीद है । उपाध्यक्ष महोदय, यह दशा है उस जगह की और अभी तक वह बिल्डिंग बन नहीं पाई है । इस तरह कि एग्जाम्पलज बहुत सी दी जा सकती हैं ।

बरेली-मेरठ नेशनल हाईवे पर एक ब्रिज बना है । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस का उद्घाटन किया था । एक साल पुल बना और दूसरे साल उस का एक पोर्शन गिर भी गया, हालांकि पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था । पिछले जाड़ों मैं ने देखा कि गिरे हिस्से की मरम्मत की जा रही थी । आप देख सकते हैं कि नैशनल हाईवे की यह दशा है ।

खतीमा में बंगाली कालोनी बन रही है । उस की भी यही दशा है । इसी तरह मैं यह बताना चाहता हूं कि मिन्टो रोड पर कुछ क्वार्टर्ज बने हुए हैं, जिन के बारे में बताया जाता है कि वे पिछली वार के जमाने में बने थे । वे अच्छे खासे क्वार्टर हैं, लेकिन कहा जाता है कि अब उन को तोड़ दिया जायगा और उन की जगह पर वहां मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाई जायगी । दो एक इंजीनियर साहबान से, जिन का कि इस से वास्ता है, मैं ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन की लाइफ नहीं रही । मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एपेरेंटली वे क्वार्टर अच्छे खासे हैं । आप जानते हैं कि दिल्ली में एकामोडेशन की कितनी कमी है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अच्छी खासी इमारतों को गिराने की बात की जाती है, तो दुख सा होता है । दिल्ली में मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाने के लिए काफी जगह खाली पड़ी हुई है । तो फिर क्या वजह है कि मिन्टो रोड की अच्छी खासी इमारतों को तोड़ा जाये ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

कृषि भवन के सामने एक इमारत पिछले साल तोड़ी गई । कहा जाता है कि अब वहां एक मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाई जा रही है । जहां तक कृषि भवन का ताल्लुक है, पिछले साल बारिश की वजह से वहां पर पचास हजार गैलन पानी भर गया । एक दफा मुझे कृषि भवन जाने का इखितफाक हुआ । मैं ने देखा कि हजारों फाइलें पानी में भीगी पड़ी थीं । वहां पर एक प्राविजन स्टोर भी था । उस का सारा सामान सड़ गल कर खराब हो गया था । वहां कई दिन तक पानी भरा रहा । इसी तरह मिन्टो ब्रिज के नीचे भी कई दिन तक पानी भरा रहा । आखिर यह कैसी प्लानिंग है ? इस डिपार्टमेंट के क्या

ंग हैं, क्या तरीके हैं और कैसे एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह के मकानात बनाते हैं कि सड़क तो ऊंची है और उस पर बने हुए मकान नीचे हैं, जैसे कि कृषि भवन और उद्योग भवन हैं । मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि यह कैसा प्लानिंग है । वह इस का स्पष्टीकरण करें । कृषि भवन के समीप एक बिल्डिंग है, जिस में पहले खाद्य मंत्री रहा करते थे । शायद श्री जयरामदास दौलतराम वहां रहे थे और फिर मंशी साहब भी रहे थे । उस मकान को तोड़ने का इन्तजाम हो रहा है और उस जगह पर एक मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाई जायगी । मरी समझ में नहीं आता कि यह क्या तरीके हैं कि दिल्ली में मकानात की कमी हो, पैसे का अभाव हो और दूसरे देशों से कर्ज लिया जाता हो और फिर भी बनी बनाई इमारतों को तोड़ने की बात हो । इस डिपार्टमेंट में इस कद्र करप्शन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है । मैं चाहता हूं कि एक हाई पावर कमीशन बिठाया जाय, जो कि करप्शन के मुताल्लिक जांच-पड़ताल करे कि यह आदत और ये तरीके कब तक जारी रहेंगे और वह कमीशन तरीके बताए कि सैंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० में उम्दा तरीके से काम किस तरह से किया जाये ।

जाहिर है कि यहा पर मकानात की कितनी कमी है । मैं देखता हूं कि हर रोज सैंकड़ों आदमी—क्लास फोर एम्पलाईज—साइकिलों पर शाहदरा और गाजियाबाद जैसे दूर इलाकों से दफ्तरों में आते हैं और शाम को छः बजे बेचारे वापस जाते हैं । जो आदमी सुबह चार बजे से उठ कर आफिस अटेंड करे और शाम को छः बज वापस जाये, उस की दशा क्या होगी ? गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है कि हाउसिंग की कमी को किस तरह दूर किया जाये ।

जो रिपोर्ट हमारे सामने है, उस में बताया गया है कि पांच सौ रुपए और उस से ऊपर पाने वाले आफिसर्ज के लिए एकामोडेशन की डिमांड ४,६०७ यूनिट है, ऐवेलेबिलिटी २,२६३ यूनिट है और कमी २,३४४ यूनिट है । पांच सौ रुपए से कम पाने वाले आफिसर्ज के लिए एकामोडेशन की डिमांड ३६,२६७ यूनिट है, ऐवेलेबिलिटी १६,७५१ यूनिट है और कमी १९,५१६ यूनिट की है । क्लास फोर की डिमांड १७,४५४ यूनिट है ,ऐवेलेबिलिटी ६,५५२ यूनिट है और शार्टेज १०,९०२ यूनिट है । इसी तरह वर्क-चार्ज्ड स्टाफ की डिमांड ८,००० यूनिट है, ऐवलेबिलिटी १,६०० यूनिट है और शार्टेज ६,४०० यूनिट है । मैं नहीं जानता कि मकानात की यह कमी कब तक पूरी होगी और लोग कब तक इस तरह परेशान रहेंगे । मैं देखता हूं कि दिल्ली में हजारों आदमी बेघरबार रहते हैं, सड़कों पर सोते हैं । बल्कि मैं ने तो स्टुडेंट्स को लैम्प-पोस्ट्स के नीचे पढ़ते देखा है क्योंकि उन के पास मकान नहीं होते हैं । चांदनी चौक में जिस जगह पर किसी जमाने में टावर था और जहां आज गल तोप रखी हुई है , वहां पर हम बैगर्ज और दूसरे लोगों को रात को सोते देखते हैं । आखिर यह कमी कब तक रहेगी और कब तक हम परेशान हालों में रहेंगे ?

अब मैं हाउसिंग की तरफ आता हूं । हाउसिंग के बारे में पांच तरह की स्कीमें बनाई गई हैं । एक को इंडस्ट्रियल हाउसिंग की स्कीम है, दूसरी कम आमदनी वाले ग्रुप वालों के लिए, तीसरी गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए, चौथी बागानों के जो श्रमिक हैं, उनके लिए और पांचवी चुने हुए ग्रामों के लिए । रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि ये पांच तरह की स्कीमें हैं जो कि तैयार की गई हैं । इनके अलावा दो और स्कीमें हैं जो कि विचाराधीन हैं , एक के तहत ६,००० रुपये से लेकर १२,००० रुपये तक जिन की आय है, उनको सहायता देने के बारे में और दूसरी के तहत राज्य

सरकारों को हक दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए सहायता लेकर स्कीमें बना सकती हैं और उनको सहायतार्थ रुपया दिया जा सकता है और वह रुपया लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन के एकाउंट से दिया जाएगा । उसी के साथ-साथ नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर मकानों के लिए स्कीमें रखें ताकि उनको सहायता दी जा सके । लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब सकिंड फाइव ईयर प्लान आया था, उसमें १२० करोड़ रुपये का प्राविजन रखा गया था लेकिन अब रिप्रेजल में कुल ८४ करोड़ रुपया ही अब उसमें रखा गया है हाउसिंग के लिए । मैं समझता हूं कि हाउसिंग के लिए कम रुपया रखना मुनासिब नहीं था । इसका कारण यह है कि हाउसिंग की बहुत ही एक्यूट प्राबलैम है और उसका कोई न कोई हल निकलना ही चाहिये और वह हल रुपया कम करके नहीं निकल सकता है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो रुपया कम किया गया है वह मुनासिब नहीं है ।

इंडस्ट्रियल हाउसिंग के अन्तर्गत एक लाख पांच हजार मकान बनाने की व्यवस्था की गई थी और ३१·६४ रुपया इस काम के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन कुल ७८,५०० मकानात ही बन पाये हैं । लो इनकम ग्रुप के लिए भी २३·६४ करोड़ रुपया का प्राविजन था दिसम्बर १९५८ तक के लिए । ६.२५ करोड़ रुपये का प्राविजन १९५८–५९ के बजट में किया गया था । इस सब से ६०,००० मकान बनने थे लेकिन कुल ३२,००० मकान ही बन पाये हैं । इस तरह से इंडस्ट्रियल हाउसिंग और लो-इनकम ग्रुप दोनों में जब हमें मकान बनने की रफ्तार को देखते हैं तो पता चलता है कि वह बहुत ही धीमी है । अगर रफ्तार इसी तरह से धीमी रही तो मैं समझता हूं कि आप इन कामों को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

अब मैं स्लम्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । इस काम के लिए कुछ करोड़ रुपया रखा गया है । कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर और दिल्ली इन छः शहरों के लिए कुछ रुपया रखा गया है और कुछ स्कीमें बनाई जा रही हैं। लेकिन जब हम दिल्ली को देखते हैं तो जोकि मुल्क की राजधानी है, कैपिटल है, तो इन स्लम्स को देख कर हमें शर्म आती है । आप मोतियाखां जायें, जमना बाजार कालोनी जायें, जो हालात इन बस्तियों की है उसको देख करके लज्जा आती है। इस तरह से जहां तक स्लम्स का सवाल है––

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : श्रीमान्, मैं यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली की गन्दी बस्तियों को हटाने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन रहा है, अगले साल से यह काम निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के पास आ रहा है ।

श्री मोहन स्वरूप : स्लम्स के मुताल्लिक मैं थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा कि इनको हटाने की जो बात की जाती है तो वे दूर नहीं होते हैं, बल्कि सरक जाते है, एक जगह से दूसरी जगह रख दिये जाते हैं और जिन जगहों पर स्लम्स होते हैं, वहां पर मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं । इन लोगों को अच्छे मकानात देने की व्यवस्था नहीं होती है , हां यह अवश्य होता है कि ये एक जगह से हट कर दूसरी जगह बन जाते हैं । इस तरह से इन स्लम्स की जो हालत है वह ठीक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

पिछले साल मैं ने कहा था कि लाल किले के रैम्पाटस में जो सांसी और भांतू लोग रहते हैं, इनको पास में ही जो मिलिट्री की खाली बैरेक्स हैं, उनमें शिफ्ट कर दिया जाए और वे लोग भी इन बैरेक्स को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं जब इनकी जरूरत होगी डिफेंस के काम के लिए, तब इन्हें वापिस दिया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस सुझाव को अभी तक भी इम्प्लेंमेंट नहीं किया गया है और न ही यहां रहने वाले लोगों को कोई सहूलियतें ही पहुंचाई गई हैं ।

अब मैं रूरल हाउसिंग पर आता हूं । पहले मैं रूरल स्लम्स का जिक्र कर देना चाहता हूं । अनेक गांवों में ऐसे स्लम्स हैं, ऐसी गन्दी जगहें हैं, जिन में कि आदमी बसते हैं, वहां पर आदमी बरसात के दिनों में नहीं पहुंच सकते हैं, और वहां से लोग आना चाहें तो नहीं आ सकते हैं । रूरल स्लम्स के लिए कुछ भी प्राविजन इसमें नहीं रखा गया है और न ही इसके बारे में किसी बात का रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है । पता नहीं कौन सी कोशिश इन रूरल स्लम्स को दूर करने की जा रही है ।

जहां तक गांवों में हाउसिंग का ताल्लुक है, गांव हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी के एक यूनिट हैं और यह देख कर मुझे दुःख होता है कि गांवों में हाउसिंग की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है । पहले तो १५०० गांवों को डिवेलेप करने की बात थी । इनमें से ५०० गांव अब चुने गये हैं और उनको १९५७-५८ में शामिल किया गया था । लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि ५०० गांवों के बारे में ही स्टेट गवर्नमेंट्स से रिपोर्ट आई हैं कि उनको डिवेलेप किया जाए । रिपोर्ट को देखने से यह जाहिर नहीं होता है कि कितने गांवों में मकानात बनाये गये हैं, कितना रुपया खर्च किया गया है । इन सब बातों के बारे में रिपोर्ट बिल्कुल साइलेंट है . . . .

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य शायद और समय लें, इसलिये वह अपना भाषण कल जारी रखें । अब हम आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेंगे ।

महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग*

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, इस सदन के सामने दो प्रश्न हैं । पहला तो यह है कि जब आप बिहार के भौगोलिक और प्राकृतिक नक्शे की ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार के मध्य से गंगा बहती है, बिहार के दो भागों को गंगा विभक्त करती है । इन दोनों भागों का सम्बन्ध स्थापित करने में तथा एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने में हम को गंगा को पार करना पड़ता है । यह भी याद रखने की चीज है कि पटना जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, वह गंगा के ऊपर बसा हुआ है । जिन लोगों को उत्तर बिहार से पटना जाना होता है उन्हें गंगा को पार करना पड़ता है । इसी तरह से दक्षिण बिहार के लोगों को जब उत्तर बिहार जाना होता है तो गंगा पार करनी पड़ती है । तब प्रश्न उठता है कि इसको पार कैसे किया जाता है ? रेल का जहाज इस नदी में चलता है और वही एक साधन है, जिसके से कि लोग उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर बिहार से सम्बन्ध स्थापित करते हैं । कोई भी आदमी हिन्दुस्तान में एक स्थान से दूसरे

---

*आधे घंटे की चर्चा

स्थान जाना चाहता है तो यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि जिस तरह से चाहे जाये, जहां चाहे जाए और जहां से चाहे आए । उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं है कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं है। मगर यह अभागा बिहार बहुत से हालात में बहुत से दृष्टिकोणो से केन्द्रीय सरकार की ओर से उपेक्षित रहा है । मगर मैं समझता हूं कि यह और भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि रेलवे की ओर से भी बहुत से अंशों में, बहुत से मानों में यह उपेक्षित रहा है ।

सभापति महोदय, यह गौर करने की बात है कि अगर आदमी पटना से उस पार जाना चाहे तो जहाज का टिकट उसको नहीं मिल सकता है । उसके ऊपर यह बात जबरन लादी जाती है कि अगर तुम जहाज पर सफर करना चाहो तो तुम को रेल का टिकट कटाना पड़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं और इस सदन के सामने अपनी यह शिकायत रखना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि अगर मैं दिल्ली का निवासी हूं और गाजियाबाद जाना चाहता हूं तो मैं एक टिकट कटा सकता हुं गाजियाबाद का, और जा करके वापस टिकट लेकर आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं । आप मानेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं । मगर पटना का आदमी अगर पहले घाट जाना चाहे तो उसके लिए यह कर सकना मुमकिन नहीं है और अगर वह इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी । अभी हाल ही में इस सदन के अन्दर एक सख्त सा कानून बनाया गया है जिसमें यह दर्ज था कि जो लोग बिना टिकट सफर करते हुए पाये जायेंगे, उनको सख्त सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी । अगर कोई आदमी पहलेजाघाट से पटना जाना चाहता है तो हालांकि उस की कोई मंशा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कि वह आप का कानून तोड़े या बिना टिकट के जाय, लेकिन पहलेजाघाट से पटना जाने में वह सजा का भागी बनेगा, उस को दंड मिल सकता है, उस को नाना प्रकार की कानूनी यातनायें दी जायेंगी । यह कहां तक सही है ? मेरी रेलवे के अधिकारियों से चर्चायें हुईं, उन्होंने कहा कि इस में हमारा कुसूर नहीं है, कुसूर प्रान्तीय सरकार का है । मगर मैं सोचता हूं कि यह रेलवे मंत्रालय की एक लंगड़ी दलील है । सन् १८८५ ई० में जब कि यहां पर बर्तानिया सल्तनत थी, उस ने एक कानून बनाया था कि जो प्राइवेट फेरी सर्विस है उस को पब्लिक फेरी सर्विस में किस तरह से लाया जायगा, उस के ऊपर कलेक्टर का क्या अधिकार होगा और क्या कमिश्नर का अधिकार होगा । वह बहुत पुराना कानून है । गंगा के प्रवाह में न जाने कितना पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया होगा क्योंकि करीब ६० या ७० वर्ष गुजर चुके हैं । इन ७० वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान से बर्तनिया सल्तनत गई, अपनी सल्तनत कायम हुई, हम ने अपने स्वतंत्र भारत के लिये एक संविधान की रचना की, मगर वह कानून वहां वैसे का वैसा पड़ा हुआ है । आज मैं सदन के सामने पूछना चाहता हूं कि जब हर भारतीय को यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि के मुताबिक, स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी प्रतिबन्ध के, जितनी चाहे यात्रा कर सकता है, तब अभागे बिहार के यात्रियों के साथ यह क्या अन्याय है कि अगर वह अपने घर से पटना को, बिहार की राजधानी को, जाना चाहे और राजधानी से वापस अपने घर को आना चाहे, तो उस के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि वह नदी को नहीं पार कर सकता है ? यह दलील दी जाती है कि यह तो प्रान्तीय सरकार के हाथ में है और इससे प्रान्तीय कर जोखिम में पड़ जायेगा इसलिये इस बात को रक्खा जाता है । लेकिन मैं आप का ध्यान संविधान

के ७वें अनुबन्ध की ओर दिलाना चाहता हूं । उसकी १ली सूची के खंड २४ में कहा गया है :

> "यंत्र चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल पथों में नौवहन जो संसद् निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल पथ घोषित किये गये हैं, तथा ऐसे जल-पथों के पथ-नियम ।"

इस ७वें अनुबन्ध की १ली सूची में यह साफ कहा गया है कि किस विषय में संघ की सरकार को कौन सा अधिकार प्राप्त है । उस में कहा गया है कि जलपथ पर अगर यांत्रिक शक्ति का उपयोग किया जाय तो संघ सरकार को यह हक हासिल है कि वह कानून बना कर घोषणा करे उस के ऊपर उस का अधिकार चल सकता है । मेरा इशारा नाव की ओर नहीं है, कंट्री बोर्ड की ओर नहीं है, मेरा इशारा केवल जहाज की ओर है जो कि यांत्रिक शक्ति से चलता है ।

मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि बिहार की सरकार ने लोगों के इस पार से उस पार जाने का इन्तजाम रक्खा है इसलिये रेलवे लोगों को सीधे टिकट कटाने की इजाजत नहीं देती । मेरे बहुत से दोस्त, चाहे वे इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के, पटना गये होंगे । पटना के गोलघर से, एक किनारे से देखा होगा कि जिस दिन से गंगा में बाढ़ आती है, पानी उस के किनारों में भर जाता है और किसी के लिये भी पांच महीने तक काठ की नाव पर गंगा पार करना अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना होता है । इसलिये उस को जहाज पर ही नदी को पार करना होता है । गर्मी के दिनों में गंगा का पाट बहुत बड़ा हो जाता है । उस में बहुत सी धारायें हो जाती हैं । वे धारायें ऐसी नहीं होतीं कि, आदमी एक नाव से नदी को पार कर पटना पहुंच जाय या पटना से उस पार पहुंच जाय । उस को अनेक धारायें पार करनी होती हैं । बहुत से सोते होते हैं, बालू के ढेर होते हैं । अगर एक आदमी नाव से ही पटना जाना चाहे तो उस का सारा दिन गुजर जाता है । यह मेरा ही तजुर्बा नहीं है, हमारे दूसरे साथी जो बिहार से आते हैं और मेरे ऐसे ही बद-नसीब हैं, जिन को गंगा के किनारे रहना होता है, उन सब को यह तजुर्बा होगा ।

दूसरी बात यह है कि पहले हमारे यहां सड़कों का बहुत उत्थान नहीं हुआ था, सड़कों द्वारा यातायात के साधन में उस समय बहुत प्रगति नहीं हुई थी, मगर इधर काफी प्रगति हुई है । सारन जिले से, जहां से मैं आता हूं, मुजफ्फरपुर जिले से, चम्पारन जिले से, दरभंगा जिले से लोग पहले रेल गाड़ी से आते थे । इन जिलों में रेलगाड़ी की यात्रा की सुविधा कैसी है, इस विवरण में मैं नहीं जाना चाहता । इस ओर जो प्रगति हो रही है उस को हमारे रेलवे मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं । दूसरे लोगों को भी यह मालूम है । वहां के लोग बस से आते हैं । वे सीधे घाट की ओर जाते हैं और घाट से पार कर पटना की ओर जाना चाहते हैं । अगर मुजफ्फरपुर या दूसरे चार पांच जिलों से आने वाले घाट से पार करें तो उन को २०० रु० जुर्माना देना होगा, उन को दो या तीन मास की कैद की सजा भी हो सकती है । इस तरह से उन लोगों को बड़ी मुश्किल है । मुझे इस का तजुर्बा है । लेकिन आपमेरी बात को तो छोड़ दीजिये । यह २ करोड़ निवासियों का प्रश्न है । आज हमारे मंत्री महोदय कह देंगे कि हमने मोकामा का पुल बना दिया है । इस के लिये बहुत बहुत धन्यवाद । मोकामा का पुल सरकार ने बनाया । वह कांग्रेस की सरकार है, उसके बारे में मेरी कुछ भी राय हो, लेकिन मोकामा का पुल बनाया और समय के पहले बनाया, इस के लिये रेल मंत्रालय को बहुत धन्यवाद है । मगर इससे उत्तरी बिहार की केवल आधी आबादी को ही फायदा हुआ है । लेकिन यह जो चार जिले हैं उन को यातायात के मामले में कोई फायदा होना सम्भव नहीं है । मेरे दोस्त विभूति मिश्र जी चम्पारन से

आये हैं, पंडित द्वारका नाथ तिवारी जी हैं, इन दोनों से राय ले भेजिये। यह सम्भव नहीं है कि हम लोग वरौनी से जा कर पटना पहुंचें। मेरे जिले की आबादी ४० लाख है, मुज्जफ्फर पुर की आबादी करीब ४० लाख है, दरभंगा जिले की भी करीब २६ लाख है। इसी तरह से चम्पारन भी है। जितने लोग इधर से पटना को जाते हैं उतने ही लोग पटना से इधर को आते हैं। लोगों की शादी व्याह का सवाल है, आपस के सम्बन्ध हैं, सरकारीं नौकर हैं, पचास तरह के रिश्ते हैं। उन सब का यह प्रश्न है। हम केवल यह सुविधा चाहते हैं कि लोगों को इजाजत हो जाय कि पटना से पहलेजा घाट तक वे बिना किसी प्रतिबन्ध के यात्रा कर सकें।

एक और सवाल उठ सकता है। यहां कहा जायगा कि हम ने यह घाट प्रान्तीय सरकार को दे दिया है, और प्रान्तीय सरकार के कर के ऊपर इस का बुरा असर पड़ेगा। दस दिन की बात है, एक आदमी को २ लाख ७० हजार का ठेका घाट का दिया गया। सब से कम बिड ७४ हजार का था। इस बात से जाहिर है कि प्रान्तीय सरकार को पैसे की कमी नहीं है। वह दूसरे तरह से पैसा की बरबादी कर रही है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : इस बात को यहां लाने से क्या फ़ायदा ?

श्री राजेन्द्र सिंह : आज आप को यह सरकार प्रिय है आप इस लिये ऐसा कह रहे हैं। अगर मुझे प्रिय नहीं है तो मैं क्या करूं ? लेकिन खैर यह दूसरा सवाल है। आप देख लीजिये, सभापति महोदय, कहीं पर भी एक्सेस फेअर नहीं लिया जाता है। ज्यादा किराया लेना जुर्म है। हमारे यहां के अभागे आदमी के साथ यही अन्याय नहीं है कि वह इस पार से उस पार तक रेल की यात्रा नहीं कर सकता है बल्कि उस के साथ यह भी है कि वह बाढ़ के दिनों में ज्यादा से ज्यादा ८ या १० मील की यात्रा करता है, गर्मी के दिनों में मुश्किल से ३ या ४ मील की यात्रा करता है।

मगर ३२ मील का किराया हमको देना पड़ता है। अब यह कितनी बड़ी ग़ैर इंसाफ़ी और अन्याय हमारे साथ होता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में जो हमारे ऊपर अन्याय होता था वह तो होता ही था लेकिन यह बड़े आश्चर्य और दुःख का विषय है कि आज जब कि खुद हमारे देशवासियों की हुकूमत है तब इस तरह का अन्याय हो।

अब आप कहेंगे कि साहब जहाज़ चलाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है और संभव है कि ऐसा हो और ज्यादा पैसा खर्च होता हो लेकिन वह ज्यादा पैसा मैं समझता हूं कि आपकी बदइंतज़ामी की वजह से खर्च होता है। खैर, चूंकि अब समय नहीं है इसलिये मैं इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन यह कितने अंधेर की बात है कि ६ मील की तो मैं यात्रा करूं और ३२ मील का मुझे किराया देना पड़े। मैं समझता हूं कि उड़ीसा के बाद अगर सबसे कम आय किसी प्रान्त की है तो वह हमारे बिहार प्रान्त की है। अब जहां देश की व्यक्तिगत आय २५० करोड़ रुपये से ज्यादा होती है वहां बिहार में लोगों की व्यक्तिगत आय केवल १५० करोड़ से कुछ ही ज्यादा होती है।

६ मील का सफर करने पर मैं ३२ मील का किराया दूं यह कहां का इंसाफ है ? अब उनकी यह दलील है कि स्टीगर के चलाने में अधिक वक्त लगता है, मैं समझता हूं कि सिर्फ़ दलील के लिये ही दलील है।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें। वे १५ मिनट ले चुके हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह : ठीक है मैं ही अकेला बिहार के सम्बन्ध में बोलने वाला हूं। मैं आपकी आज्ञा से केवल दो मिनट और लूंगा।

अब यह कहना कि पैसा ज्यादा खर्च होता है, मेरे पास वक्त नहीं है नहीं तो मैं आंकडे देकर दिखलाता कि सैकड़ों हमारी ऐसे सेक्शनल रेलवे लाइनें हैं जिन पर कि गाड़ी चलाने से रेलवे को घाटा होता है। हमारे वहां खुद जहां पर सैक्शनल लाइनें होती हैं वहां गाड़ियां चलाने से घाटा होता है लेकिन फिर भी रेलें वहां पर चलती हैं। रेलवे सिर्फ एक राष्ट्रीय यातायात या लाभ का ही साधन नहीं है मगर इसके साथ ही साथ उसका एक राष्ट्रीय पक्ष भी है लोकोत्तर पक्ष भी है। अब सभापति महोदय, चूंकि आप मुझे और अधिक समय देने को तैयार नहीं हैं हालांकि मुझे अभी बहुत कुछ निवेदन करना था, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और शायद मेरे एक आध माननीय मित्र भी कुछ निवेदन करना चाहें।

मैं अन्त में केवल यही रेलवे मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिहार के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिये और मैं आशा रखता हूं कि जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने कृपा करके बिहार निवासियों की तक़लीफ़ रखने के वास्ते सदन् में आध घंटे की चर्चा की अनुमति दी उसी तरह रेलवे के मंत्री महोदय भी इन प्रश्नों के ऊपर कोई बंधे हुये ख़याल से विचार न करके एक मुक्त मानस और निस्पृह हो कर रोशनी डालेंगे और बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है उसको वह वापिस लेंगे और इसके लिये बिहार के निवासी रेलवेमंत्री महोदय के बहुत ही अनुगृहीत रहेंगे।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो पाबन्दी लगाई है वह कितने दिनों से लगाई है? मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले घाट टू घाट बुकिंग होती थी। मैं जानना चाहता हूं कि कब से यह बंद की गई और किस वजह से बंद की गई? इसका क्लैरिफ़िकेशन हो जाना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रतिबन्ध कहीं और भी हैं या सिर्फ़ पटना में ही हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : आदरणीय सभापति महोदय, मेरे मुअज्ज़िज़ दोस्त श्री राजेन्द्र सिंह ने जो घाट टु घाट महेन्द्र घाट और पहलेज़ा घाट के लिये पैसेंजर्स न बुक करने का सवाल उठाया है उस सवाल के बारे में मैं इसी सदन् में क्वैश्चन आवर में मैं कई बार जबाब दे चुका हूं। हक़ीकत यह है कि घाट टु घाट बुकिंग का जहां तक सवाल है तो पटना की साइड पर एक महेन्द्र घाट और दिग्गा घाट है और गंगा के उस पार पहलेज़ा घाट है और इन दोनों घाटों के दरमियान जो फ़ैरीज़ट्या कंट्री बोट्स चलती हैं उनके लिये ठेका या जो लीज़ है, बिहार गवर्नमेंट ने पटना गेंजेज़ फ़ैरी सर्विस के साथ एक ख़ास मुआहिदा करके उनको इसका ठेका दिया है।

इस ठेके के कारण जो वहां के मुसाफ़िरों को तक़लीफ़ें उठानी पड़ती हैं उनसे रेलवे मंत्रालय अच्छी तरह से वाकिफ़ है और हमारी तमामतर हमदर्दी उन लोगों के साथ है। हमने एक वक्त बिहार गवर्नमेंट से यह पेशकश की थी कि रेलवे को इसके लिए इज़ाजत दी जाय ताकि हम घाट टु घाट बुकिंग कर सकें। बिहार गवर्नमेंट ने हमको यह कहा कि अगर हम आपको इसकी इजाज़त दे दें तो

जिन कम्पनियों के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है, उसकी खिलाफ़वर्जी होगी। और जो बिहार गवर्नमेंट का नज़रिया था उस नज़रिये को मिनिस्ट्री आफ़ ला ने भी अपहोल्ड किया और उसकी तारीफ़ की। तो यह हमारी कठिनाई है। यह बात नहीं है कि हम वहां के लोगों के लिये कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमारी हमदर्दी उनके साथ है।

मैं सदन् को यह भी बता दूं कि दिसम्बर, सन् १९५४ में बिहार गवर्नमेंट ने रेलवे मिनिस्ट्री से यह कहा था कि आप हमारे एजेंट बन कर पावर फ़ैरी सर्विस को चलायें। रेलवे विभाग ने उस चीज़ को भी मजूर किया और जो शरायत बिहार गवर्नमेंट ने हमारे सामने रक्खीं हमने उन शरायत की बिना पर एस्टिमेट्स बना कर बिहार गवर्नमेंट को भेज दिये। बिहार गवर्नमेंट का नज़रिया यह था कि आप हमारी तरफ से फ़ैरी चलाइये और जितने अखराजात होते हैं अगर नफ़ा होता है तो वह हमको क्रैडिट कर दें और अगर घाटा होता है तो वह हम पूरा कर देंगे। हमने अपना एस्टिमेट बना कर और अपनी दूसरी जो छोटी मोटी शरायत होती थीं वह सब बिहार गवर्नमेंट को भेज दीं। रेलवे ने जो एस्टिमेट लगाया वह यह था कि यह जो पावर फ़ैरी सर्विस रेलवे अलग से औपरेट करे और उससे जो आमदनी आयेगी वह ३ लाख ८ हज़ार और ५०० रुपये सालाना होगी और उसके ऊपर जो खर्चा आयेगा वह ४ लाख ५८ हज़ार ८०० रुपये अर्थात् उसमें लगभग डेढ लाख रुपये का घाटा रहेगा। यह हमारा अनुमान था। तो हमने जो यह अन्दाजा लगाया था कि डेढ़ लाख का घाटा रहेगा इससे बिहार गवर्नमेंट पूरे तौर पर इत्तिफाक नहीं कर सकी। हमने जो अन्दाजा लगाया था इसमें रेलवे ने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के लिये ९२ हजार की एक रकम लगायी थी। यह खर्चा कुल आमदनी का २९.८५ फीसदी है। बिहार गवर्नमेंट ने इस बात पर ऐतराज किया कि यह रकम बहुत ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज २९.८५ फीसदी के बजाय ७५ चार्ज किया जाये। हमें यह पता नहीं कि उन्होंने यह ७.५ किस बिना पर कहा। लेकिन मेरे खयाल में यह कोई बड़ा मसला नहीं है और हमने अपने रेलवे के जनरल मैनेजर को लिखा है कि वह बिहार गवर्नमेंट के साथ जहां तक जल्द हो सके बात चीत करके इस मसले को हल करें ताकि वहां पर जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है वह दूर हो। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोई तस्फिया हो जायेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो बिहार के नुमायन्दगान हैं जो कि बिहार के लोगों की यहां नुमायन्दगी करते हैं, वह भी बिहार गवर्नमेंट से कहेंगे कि इस छोटी सी रकम के ऊपर ज्यादा अड़चन न डालें और हम भी अपनी तरफ से ढील करने की कोशिश करेंगे।

इन अल्फाज़ के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी कोई अमली कदम उठाया जायगा।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : एक सवाल का जाबाब तो मिला ही नहीं। मैंने पूछा था कि यह घाट टू घाट बुकिंग कब से बन्द हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं कालिज में पढ़ता था उस वक्त तो यह बुकिंग होता था। यह कब से बन्द हुआ है और क्यों बन्द हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस वक्त तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ठीक तारीख मुझे याद नहीं है।

श्री विभूति मिश्र (बिगहा) : हम लोग जो चम्पारन से आते हैं उनको दो नदियां पार करनी पड़ती हैं, एक गंडक और दूसरी गंगा। बरसात के दिनों में हमें बड़ी दिक्कत होती है।

चम्पारन, मुजफ़्फ़रपुर, दरभंगा के लोग हाजीपुर तक आते हैं। रेल में हमको ज्यादा वक्त लगता है और बस में कम वक्त लगता है। रेल में दस घंटा लगता है और बस में पांच साढ़े पांच घंटा ही लगता है। बरसात में हाजीपुर से पटना तक के ६ मील के लिये ३० मील का किराया लगता है। तो बरसात के लिये तो वह यह रियायत कर दें।

दूसरी बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर अक्सर यहां आते रहते हैं मिनिस्टर साहब उनसे खुद मिल लें। आपने जनरल मे नेजर को कहा है कि वह वहां जायेंगे तब चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे इसमें बहुत समय लगेगा। आज कल तो पीपिल्स गवर्नमेंट है। क्यों न मिनिस्टर साहब हवाई जहाज से जा कर चीफ़ मिनिस्टर से बात कर लें। वहां वे जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है।

महेन्द्र घाट पर जहाज पर चढ़ने की जगह नहीं मिलती। इंजीनियर के लिये बंगला लेने में दो साल निकल गये। हमें महेन्द्र घाट पर तिल रखने को जगह नहीं मिलती। यह सब मामला तै किया जाये।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं भी वही कहना चाहता हूं जो कि अभी मिश्र जी ने कहा है। यह जो सोनपुर से पटना तक एक्सेस फेयर लगता है इस पर मंत्री जी ने रोशनी नहीं डाली। कृपा करके इस पर भी रोशनी डाल दें। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी वह कुछ उत्तर दें।

श्री शाहनवाज खां : मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट फेरी सर-विस वहां चल रही है घाट टू घाट बिहार गवर्नमेंट की तरफ से उसमें अपर क्लास के लिये ७५ नये पैसा किराया है और रेलवे फैरी का किराया जो मोहतरिम दोस्त ने कहा वह ३२ मील का चार्ज करते हैं, वह किराया भी ६९ नये पैसे है। तो जो प्राइवेट फैरी जार्च करती है.....

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह फिगर गलत हैं। फैरी १९ नये पैसे चार्ज करती है।

श्री शाहनवाज खां : मैंने तो अपर क्लास के लिये कहा कि उसको किराया ७५ नये पैसे है।

श्री राजेन्द्र सिंह : जो फिगर मंत्री महोदय ने दिया है वह गलत है। सोनपुर से महेन्द्र का किराया १९ नये पैसे है। मैंने टाइम टेबल से वैरीफाई किया है कि प्राइवेट फैरी का किराया ३ आने है। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ७५ नये पैसे याने १२ आने है। यह किराया नहीं हो सकता। वह हमारा विश्वास करें। हम चार चार आदमी वहां के यह बात कह रहे हैं कि मंत्री जी को गलत फिगर दिये गये हैं। इस पर गौर करके आप ऐसा कदम उठाइये ताकि बिहार के लोगों को मालूम हो कि यह सरकार उनके साथ मन से हमदर्दी रखती है, केवल मौखिक ही नहीं।

सभापति महोदय : आपको कुछ और कहना है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे सिर्फ़ इतना कहना है कि मैं अगले महीने की १५ तारीख को पटना जाने का इरादा रखता हूं। वहां मैं मुख्य मंत्री से मिलूंगा और जो भी संभव होगा करने की कोशिश करूंगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १ अप्रैल, १९५९/११ चैत्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९ / १० चैत्र १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४२६९–९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५६५	प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता	४२६९–७१
१५६६	डाइकेल्शियम फास्फेट	४२७१
१५६७	उत्पादिता परिषद् . .	४२७२–७५
१५६८	अमरीकी व्यापार मिशन	४२७६-७७
१५६९	कच्ची फिल्मों का उत्पादन .	४२७७-७८
१५७०	दिल्ली में नाली व्यवस्था . . .	४२७८
१५७२	हड़तालों की रोकथाम के लिये विधान बनाना . .	४२७९-८०
१५७३	वार्षिक संघों को मान्यता देना .	४१८०-८१
१५७४	दूसरी आणविक भट्टी . .	४२८२
१५७६	चाय का निर्यात . . .	४२८२-८३
१५७८	समाजवादी समाज व्यवस्था . .	४२८३–८५
१५७९	रसायन और सम्बद्ध उद्योग .	४२८६
१५८०	हार्ड और सोफ्ट बोर्ड	४२८६-८७
१५८१	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों की भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था में बदली .	४२८७–८९
१५८२	पुनर्वास मंत्रालय के कार्यालयों का बंद होना	४२८९-९०
१५८३	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज़ का कारखाना . .	४२९०–९२
१५८४	ग्वालियर में रेडियो स्टेशन . .	४२९२
१५८५	यूरेनियम . .	४२९२-९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१६	पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण में खाद्य की कमी .	४२९३–९५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४२९५—४३१६

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५७१	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	४२९५
१५७५	कालिख का उत्पादन	४२९५
१५७७	"भारत १९५८" प्रदर्शनी . . .	४२९५–९६
१५८६	मेसर्स छगनलाल टेक्सटाइल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, चालीसगांव	४२९६
१५८७	जापान से नमक के बदले रसायनों का विनिमय	४२९६
१५८८	खान निरीक्षणालय	४२९६
१५८९	फ्रांस के साथ व्यापार-करार .	४२९७
१५९०	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति .	४२९७
१५९१	कर्मचारी भविष्य निधि योजना	४२९८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५२४	पटसन मिलें	४२९८
२५२५	मोटर तथा वस्त्र उद्योग .	४२९८
२५२६	त्रिचनापल्ली में मीडियम वेव एन्टेना मास्ट	४२९८–९९
२५२७	मैसूर में औद्योगिक बस्तियां .	४२९९
२५२८	महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करना	४३००
२५२९	दवाइयों के लिये रासायनिक पदार्थ	४३००
२५३०	मोटर गाड़ी निर्माण केन्द्र	४३००
२५३१	फोटो वस्तुओं का आयात	४३००–०१
२५३२	अफ्रीका के देशों में भारतीय .	४३०१–०२
२५३३	उड़ीसा में ग्राम आवास परियोजनायें	४३०२
२५३४	नाइलोन का आयात	४३०२–०३
२५३५	कार्य व उत्पादन समितियां	४३०३
२५३६	मूंगफली के तेल के कोटे . . .	४३०३
२५३७	सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	४०३–०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५३८	सिंदरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	४३०४
२५३९	सूती कपड़ा मिलें . . .	४३०४
२५४०	जनसंख्या की नमूने की गणना	४३०५
२५४१	मद्रास राज्य में कुम्बकोणम् में पीतल तथा धातु का कारखाना .	४३०५
२५४२	होटल के कर्मचारी	४३०५—०६
२५४३	इन्दौर मिल के श्रमिकों को भविष्य निधि का लाभ	४३०६
२५४४	कपड़ा मिलों द्वारा विदेशी कपास का उपभोग . .	४३०६
२५४५	गैर-सरकारी कारखानों में औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार .	४३०६—०७
२५४६	"टंग्स्टन कारबाइड टिप्स'	४३०७
२५४७	कागज का आयात . . .	४३०७
२५४८	प्रकाशन विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति	४३०८
२५४९	प्रकाशन विभाग के निर्देशक	४३०८
२५५०	केशोराम काटन मिल्स, कलकत्ता	४३०९
२५५१	हिमाचल प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार . . .	४३०९
२५५२	बिजली के सामान का निर्यात . .	४३०९—१०
२५५३	दर्ज किये गये और नौकरी पर लगाये गये व्यक्ति .	४३१०
२५५४	कपड़ा उद्योग के बारे में प्रलेखीय चल चित्र	४३१०
२५५५	प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र .	४३१०
२५५६	रूस जाने के लिये पासपोर्ट	४३११
२५५७	जापान में भारतीय . . .	४३११
२५५८	सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	४३११
२५५९	चमड़े के सामान का निर्यात	४३११
२५६०	कागज का उत्पादन . . .	४३१२
२५६१	छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायधिकरण	४३१३
२५६२	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . .	४३१३
२५६३	"नेकेड अर्थ' नामक फिल्म	४३१३
२५६४	सौंडा कोयला खान में दुर्घटना	४३१३—१४
२५६५	संयक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत का अंशदान	४३१४—१६

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ४३१६

निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्य-वाही के बारे में निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :——

(१) पहला विवरण सातवां सत्र, १९५९ ।
(२) अनुपूरक विवरण छटा सत्र, १९५८ संख्या ४ ।
(३) अनुपूरक विवरण पांचवां सत्र, १९५८ संख्या ८ ।
(४) अनुपूरक विवरण चौथा सत्र, १९५८ संख्या १७ ।
(५) अनुपूरक विवरण तीसरा सत्र, १९५७ संख्या १९ ।
(६) अनुपूरक विवरण दूसरा सत्र, १९५७ संख्या २३ ।

(२) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटेड के लेखा-परीक्षित लेखे सहित वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) अधिनियम १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १४ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३०८ की एक प्रति ।

प्रा कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ४३१७

श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता ने स्वास्थ्य मंत्रालय—चिकित्सा सेवायें—भाग २ के बारे में प्राक्कलन समिति का पैंतालीसवां प्रति-वेदन उपस्थापित किया ।

अनुदानों की मांगें ४३१७—५७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घण्टे की चर्चा ४३५७— ६३

श्री राजेन्द्र सिंह ने महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ११२ के ११ फरवरी, १९५९ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न बातों पर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की ।

श्री शाहनवाज़ खां ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

बुधवार, १ अप्रैल, १९५९/११ चैत्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।